

रजिस्ट्री सं.डी.एल.-33004 / 99



REGD.No.D.L.33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.डी.एल.-अ.-11042020-219035
CG-DL-E-11042020-219035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

=====
सं. 1071] नई दिल्ली, सोम दिन, मार्च 23, 2020 / चैत्र 3, 1942
No.1071] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2020/CHAITRA 3, 1942
=====

पर्यावरण, वन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च 2020

का.आ. 1199(अ). केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) के धारा 3 क उपधारा (1) आओर धारा (2) खंड (v) द्वारा प्राप्त शक्तिक प्रयोग करैत भारत के कोनो भी भाग में, कोनो परियोजना सबहक आरम्भ

करबाक लेल अथवा क्षमता परिवर्धन के अन्तर्वलित कराबय लेल ऐहेन विद्यमान परियोजना सबके विस्तार आओर आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बधन आओर प्रतिषेध अधिरोपित करबाक हेतु पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना का0 अ0 1533 तारीख 14 सितम्बर 2006 आओर एकरा उपरान्त संशोधन सबहक अधिक्रांत करैत निम्नलिखित अधिसूचना जारी करवाक प्रस्ताव करई छि जकरा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अपेक्षानुसार, जनता के जानकारी क लेल, जनिका अहि सँ प्रभावित होयबाक संभावना अछि, प्रकाशित कयल जा रहल अछि आओर ई सूचना देल जाईत अछि जे उक्त प्रारूप अधिसूचना पर ओहि तारीख सँ, जहि तारीख क अई अधिसूचना के राजपत्रक सबप्रति जनता के उपलब्ध करा देल जाईत अछि, 60 (साईट) दिनक अवधि के समाप्ति पर अथवा ओकर बाद बिचार कएल जाएत।

प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव पर कोनो आक्षेप करबाक लेल अथवा सुझाव देबय लेल हितबद्ध कोनो व्यक्ति एकरा अहि तरहेँ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरे लिखित रूप सँ केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, सचिव, पर्यावरण आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली – 110003 के पठा सकई छैथ अथवा ईमेल पता – eia2020-moefcc@gov.in पर पठा सकई छैथ।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार के द्वारा भारत के तत्कालीन पर्यावरण आओर वन मंत्रालय के अधिसूचना सं० का० आ० 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर 2006 (जाहि में एकरा एकर पश्चात, ईआईए अधिसूचना 2006 कहल गेल अछि) ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसूची में सूचीबद्ध भारत क कोनो भाग में किहक परियोजना सबहक आरम्भ करय अथवा क्षमता परिवर्धन के अन्तर्वलित करबा योग्य विद्यमान परियोजना क विस्तार अथवा आधुनिकीकरण पऽर ताबे धरि देल शक्ति सब आओर रोक के अधिरोपित कएल जा सकल छल, जा धरि ईआईए अधिसूचना 2006 आओर पश्चातवर्ती संशोधन सबमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया क हिसाब सँ यथास्थिति मंत्रालय अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात प्राधिकारी द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान नहि कऽ देल गेल छल।

आब न्यायालय सब आओर राष्ट्रीय हरित अधिकरण सबहक प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण आओर कार्यान्वयन के सरल बनयबाक लेल समय-समय पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के लेल बहुतों संशोधन सब जारी कयल गेल। यद्यपि ईआईए अधिसूचना 2006 प्रस्तावित परियोजना सबहक कारणें पर्यावरण संघात क निर्धारित करैइत ऐहेन आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपैऽ सब के साकार करय में सहायक भेल अछि जाहि में नियोजन प्रक्रम पर पूर्वहिं पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित अछि तँ हेतु केन्द्रीय सरकार ऑनलाइन प्रणाली के कार्यान्वयन प्रक्रिया के तरफ सँ प्रत्यायोजन सुव्यवस्थिकरण मानकीकरण, अहि के माध्यम सँ अहि प्रक्रिया के अधिक पारदर्शी आओर समीचीन बनावयक लेल ईच्छित अछि।

आओर मंत्रालय द्वारा छह मासक समय सीमा संगहि मामला के उल्लंघन के मूल्यांकन क लेल प्रक्रिया अधिकथित करय बला अधिसूचना सं० का० आ० 804 (अ) तारीख 14 मार्च 2017 कऽ जारी कयने छल। उक्त अधिसूचना द्वारा ऐहेन परियोजना सबहक उल्लंघन के परिभाषित कयल जे संनिर्माण कार्य आरम्भ कयलनि अथवा पूर्व

पर्यावरण अनापत्ति के बिना उत्पाद मिश्रण में विस्तार अथवा आधुनिकीकरण अथवा परिवर्तन कयलैथ।

तथापि अहि प्रकार क होबयबला उल्लंघन विनियामक प्राधिकरण सब के द्वारा मूल्यांकन अथवा मॉनिटरि अथवा निरीक्षण क प्रक्रिया के क्रम में भविष्य में उजागर भय सकैत अछि। अतः मंत्रायल शीघ्रातिशीघ्र पर्यावरण के हीस्ट में परियोजना सबहक ऐहेन उल्लंघन के विनियम के अन्तर्गत लाबय के लेल प्रक्रिया अधिकथित करेनाई आवश्यक बुझना जाईत अछि न कि हुनका अनियंत्रित आओर निर्बाध छोड़ल जाय, जे पर्यावरण क लेल बेसी खतरनाक होयत।

आओर हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामला में हुनक रिट याचिका (सिविल) सं० 2364 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तारीख 28 नवम्बर 2014 में बाँकी सम बातक संग इएह अभिनिर्धारित कयल गेल जे पर्यावरण अनापत्तिक प्रस्ताव के लेल बिचार क्रय ओकर गुणागुण के हिसाब सँ समीक्षा कयल जाय जे पर्यावरण सम्बन्धि विधि सबहक अभिकथित उल्लंघन क लेल प्रस्तावित कोनो कार्रवाई सँ स्वतंत्र होय;

आओर मूल आवेदन 837/2018 संदीप मित्तल बनाम् पर्यावरण, वन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के मामला में मूल आवेदन सं० 837/2018 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित कयल गेल जे मंत्रालय पूर्व पर्यावरण अनापत्ति क शर्त सबहक अनुपालन करबाक लेल मानीटरी तंत्र के सुदृढ़ करताह;

आओर केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा (3), के उपधारा (1) आओर उपधारा (2) के खंड (v) के संग पढ़ैत पर्यावरण संरक्षण नियम 1956 के उपनियम (3) के खंड (घ) अथवा नियम 5 द्वारा भेटल शक्ति सबहक प्रयोग करईत आओर पश्चातवर्ती संशोधन सबहक के संगपढ़ैत अधिसूचना संख्या का० आ० 1535 (अ) तारीख 14 सितंबर 2006 अधिसूचना सं० का० आ० 190 (अ)

तारीख 20 जनवरी 2016 का 0 आ 4307 (अ) तारीख 29 नवम्बर 2019 आ 750 (अ) तारीख 17 फरवरी 2020 कऽ ओहि बातक अलावे अधिक्रान्त करैत जइनिका ऐहेन अधिक्रमण सँ पूर्वहि अथवा करबाक सँ – लोप कयल गेलय, एहि प्रारूप अधिसूचना क प्रकाशित करई छैथ।

1. संक्षिप्त नाम आओर प्रारूप

- (i) अहि अधिसूचना क संक्षिप्त नाम पर्यावरण संघात निर्धारित अधिसूचना 2020 (जकरा एहि में एकर पश्चात् “ईएआई” अधिसूचना 2020 कहल गेलय) अछि।
- (ii) ई अधिसूचना राजपत्र में एकर अंतिम प्रकाशन के तारीख कऽ प्रवृत्त होयत।

2. अधिसूचना के लागू होयब:-

ई अधिसूचना सम्पूर्ण भारत जाहि के अन्तर्गत राज्य क्षेत्रीय सागर खंड भी होयबाक चाही, कऽ लागू होयत।

3. परिभाषा सब अहि अधिसूचना में, जा धरि संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहिं होय, पऽद सबके निम्नानुसार परिभाषित कयल गेलय।

- (1) “प्रत्यायित पर्यावरणीय संघात निर्धारण परामर्शी संगठन: (जकरा अहि में एकर पश्चात् ‘ए सी ओ’ कहल गेल अछि)”

एकटा ऐहेन संगठन अछि जे भारतीय गुणवत्ता परिषद (QC9) के राष्ट्रीय शिक्षण आओर प्रशिक्षण प्रत्ययन बोर्ड (एनएबीईटी) अथवा कोनो दोसर अभिकरण जे मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित कएल जाए सँ प्रत्यायित अछि।

- (2) "अधिनियम" सँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 के अधिनियम सं0 29) अभिप्रेत अछि ।
- (3) "मूल्यांकन" सँ विहित प्ररूप (पों) में आवेदन आओर सऽब दस्तावेज जाहि में ईआईए रिपोर्ट सेहो अछि, पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करबाक लेल मूल्यांकन समिति द्वारा लोक परामर्शक परिणाम के विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत अछि ।
- (4) मूल्यांकन समिति सँ यथा स्थिति केन्द्रीय स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा संघ राज्य क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अभिप्रेत अछि ।
- (5) आधार रेखा आँकड़ा सब (जकरा अहिमें एकरा सँ पश्चात् बी0 एल0 डी0 कहल गेलय) सँ पूर्व – परियोजना अथवा पूर्व विस्तार पर्यावरणीय परिदृष्य के चित्रित करय बला आँकड़ा अभिप्रेत अछि जाहि में स्थल (सब) पऽर आओर अध्ययन क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के वायु, जऽल, भूमि, वनस्पति प्राणिवर्ग, सामाजिक आर्थिक अहि सँ सम्बन्धित सेहो आँकड़ा अछि ।
- (6) "सीमाक्षेत्र" सँ भारतक सीमावर्ती देशक संग वास्तविक नियंत्रण रेखा सँ 100 कि0 मी0 आकाशीय दूरी क अन्तर्गत आबय बला क्षेत्र अभिप्रेत अछि ।
- (7) निर्मित क्षेत्र सँ एके संगे समस्त तल सब जाहि के अन्तर्गत के तहखाना आओर आनों सेवा क्षेत्र से हो अछि, निर्मित अथवा अच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत अछि जाहि के भवन सब अथवा संनिर्माण परियोजना सभा में प्रस्ताव कयल गेल अछि ।
- (8) "उत्कृष्ट तलकर्षण" सँ विशाल पोत सबहक सहायता करबाक उद्देश्य सँ पोत परिवहन मार्ग सृजित करनाई अथवा गँहीर बनएबाक लेल जे

समुद्रतल सँ अदूषित सामग्री के हटयबाक एकबारगी प्रक्रिया अभिप्रेत अछि। अहि के अन्तर्गत पत्तनसब अथवा बन्दरगाह सब आओर चैनल के भीतइर, बाहर तल कर्षण क्रिया—कलाप सेहो अछि।

- (9) प्रवर्ग 'क' सँ अहि अधिसूचना क अनुसूचीक स्तम्भ (3) में यथा सूचीबद्ध परियोजना संब अथवा क्रिया कलाप अभिप्रेत अछि।
- (10) प्रवर्ग 'ख' सँ अछि अधिसूचना क अनुसूचीक स्तम्भ (4) में यथा सूचीबद्ध परियोजना सब अथवा क्रिया कलाप अभिप्रेत अछि।
- (11) प्रवर्ग 'ख' सँ अहि अधिसूचना के अनुसूचीक स्तम्भ (5) में यथा सूचीबद्ध परियोजना सब अथवा क्रिया कलाप अभिप्रेत अछि।
- (12) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जकरा अहि में एकरा पश्चात् "सी पी सी बी" कहल गेल अछि) एकटा ऐहेन बोर्ड अछि जाहि में जऽल (प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण अधिनियम 1974 (1974 के 6) के मातहत गठित कयल गेल अछि।
- (13) "हरित भवन निर्माण प्रमाण पत्र" सँ एकीकृत वास निर्धारण (जीआरआईएचए) के लेल हरित रेटिंग के रेटिंग कार्यक्रम, भारतीय उर्जा आओर पर्यावरण डिजाईन में नेतृत्व (एलईईडी) वृहत्तर दक्षताक डिजाईन में उत्कृष्टता अथवा समय—समय पर मंत्रालय द्वारा जारी कोनो तेसर पक्षकार हरित भवन निर्माण रेटिंग व्यवस्थाक मातहत निकलल प्रमाण पत्र अभिप्रेत अछि।
- (14) "कलस्टर" सँ अहि अधिसूचनाक पैरा 24 के उप पैरा) 3 में देल गेल मापदंड क हिसाब सँ खन्ना सब अथवा पट्टा सबहक समूह के द्वारा बनाओल कोनो क्षेत्र अभिप्रेत अछि।

- (15) "कलस्टर' प्रमाण पत्र" खान के निदेशक आओर भूविज्ञान अथवा कोनो दोसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कयल गेल 24 आ सब अथवा पट्टा सबहक कलस्टर के लेल प्रमाण पत्र अछि।
- (16) "कॉरपोरेट" पर्यावरण उत्तरदायित्व (जकरा अहि में एकर पश्चात् 'सी ई आर' कहल गेल अछि) ई एम पी क भाग अछि जाहि में परियोजना प्रस्तावक क लोक परामर्श के क्रम में उठाओल मुद्दा पर आओर अथवा ईआईए अध्ययन क क्रम में कएल गेल निर्धारण आधारित सामाजिक आवश्यकता पर आधारित कएल निकटस्थ परिस्थिति सब में पर्यावरण सुरक्षा क लेल कतिपय क्रिया-कलाप करबाक लेब आदेश देल जाईत अछि।
- (17) "तटीय विनियामक जोन" (जाहि में अहि में एकरा पश्चात् "सी0 आर जेड0" कहल गेल अछि) वैह जोन अछि जाहि में तटीय विनियामक जोन अधिसूचना 2019 सब आओर समयान्तर पर कयल गेल पश्चातवर्ती संशोधनक तहत अधिसूचित कएल गेल अछि।
- (18) संकटमय प्रदूषित क्षेत्र सँ समय – समय पऽर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क द्वारा चिन्हित कयल औद्योगिक कलस्टर अथवा क्षेत्र अभिप्रेत अछि।
- (19) "जिला अथवा प्रभागीय स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" (जकरा अहि में एकरा पश्चात् "डीईएसी" कहल गेल अछि।

अधिनियम क धारा 23 क मातहत दएल शक्ति सबहक प्रयोग करैइत एसईआईए अथवा यूटीआईएए द्वारा जिला स्तर अथवा प्रभागीय स्तर पर एकरा निर्दिष्ट परियोजना सबहक पर्यावरण मूल्यांकन क लेल राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पैरवी पर अहि

अधिसूचना के प्रयोजनक लेल आओर समुचित पैरवी करबाक लेल गठित विशषज्ञ लोकनिक एकटा समिति अछि।

- (20) “जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट” सँ ऐहेन रिपोर्ट अभिप्रेत अछि जे अधिवृद्धि अथवा भण्डार सबहक क्षेत्र सब के जाहि में खनन कएल जेतैक, चिन्हबाक लेल आओर कटाव क क्षेत्र सबहक चिन्ह आओर अवसंरचनात्मक संरचना सबहक आओर संस्थापन सबहक समीपस्था जतय खनन के प्रतिषिद्ध कयल जाय आओर पुनः पूर्तिक वार्षिक दरक संगणना आओर ओहि क्षेत्र में खनन के उपरान्त पूनः पूर्ति के लेल समय अनुज्ञात करबाक लेल जिला में भूविज्ञान अथवा सिंचाई विभाग अथवा वन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग अथवा भूमि जल बोर्ड अथवा सुदूर संवेदनशील विभाग अथवा खनन अछि सब द्वारा तैयार कएल जाइत अछि।
- (21) “पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (जकरा अहि में एकरा पश्चात ईएसए कहल गेल अछि)” ऐहेन क्षेत्र अछि, जे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के धारा 3 के उपधारा (2) आओर समय-समय पर पश्चातवर्ती संशोधन सबहक अधीन अधिसूचित कएल गेल अछि।
- (22) “पारिस्थिकी संवेदनशील क्षेत्र (जाहि में अहि में एकरा पश्चात ‘ईएसए’ कहल गेल अछि ऐहेन क्षेत्र अछि जे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के धारा 3 के उपधारा (2) आओर समय समय पऽर पश्चातवर्ती संशोधन सभक अधीन अधिसूचित कएल गेल अछि।
- (23) पर्यावरण संघात निर्धारण (जाहि में अहि में एकरा पश्चात् ‘ईआईएए’ कहल गेल अछि) रिपोर्ट ऐहेन दस्तावेज अछि जे विनियामक प्रधिकरण द्वारा विहित सौपल गेल कृत्य सब पर आधारित आओर एकरा अधिसूचना के परिशिष्ट-10 में देल गेल सधारण संरचना के

मुताबिक प्रस्तावित परियोजना के लेल एसीओ के माध्यम सँ परियोजना प्रस्तावक के द्वारा तैयार कएल जाइत अछि।

- (क) “प्रारूप ईआईए रिपोर्ट” लोक परामर्शक प्रयोजन के लेल विनियामक प्राधिकरण के निर्देशक के अनुसार तैयार कएल गेल ईआईए रिपोर्ट अछि;
- (ख) “अन्तिम ईआईए रिपोर्ट” लोक परामर्श जाहि में मूल्यांकन क प्रयोजनक लेल जनता के द्वारा उठाओल गेल विषय सबहक सम्यकतः समाधान करयबला न्यूनीकरण उपैस, समयबद्ध कार्य योजना परियोजना प्रस्तावक ‘क’ द्वारा अहि में कएल गेल प्रतिबद्धता सब के लेल बजटीय सेहो उपलब्ध अछि, आ तकरा उपरान्त तैयार कएल गेल ईआई रिपोर्ट अछि:
- (24) “ईआईए समन्वयक” एकता सेक्टरीय विशेषज्ञ आओर कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ सबहक समन्वयक अछि, आओर जे एसीओ के द्वारा प्रत्यायित अछि।
- (25) “पर्यावरण प्रबंधन क्षेत्र योजना (जाहि में अहि में एकरा पष्वात् ‘ईएमपी’ कहल गेल अछि) “रिपोर्ट” अहि अधिसूचना के परिशिष्ट XI में देल गेल साधारण संरचना के हिसाब सँ प्रस्तावित परियोजना के लेल एसीओ के माध्यम सँ परियोजना प्रस्तावक क द्वारा तैयार कएल गेल दस्तावेज अछि;
- (26) “विस्तार” सँ अनुसूची अथवा यथास्थिति अभिप्राप्त पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी में संबन्धित परियोजना क लेल विनिर्विष्ट सीमा सब सँ अलग क्षमता परिवर्धन बला परियोजना के यथा लागू खान पट्टा क्षेत्र अथवा परियोजना क्षेत्र संबर्धनीय कमान क्षेत्र अथवा निर्मित क्षेत्र अथवा लम्बाई अथवा संख्या अथवा जनन क्षमता अथवा उत्पादन

क्षमता अथवा आद्योपोत अथवा प्रबंध क्षमता अहि में बोर्ड वृद्धि अभिप्रेत अछि। खनन परियोजना सब अथवा क्रियाकलापक दशा में खान पट्टा क क्षेत्र अथवा उत्पादन क्षमता में कोनों वृद्धि के विस्तार क रूप में बूझल जाए,

- (27) "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" (जकरा अहि में एकरा पश्चात् 'ईएसी' कहल गेल अछि) मंत्रालय के द्वारा एकरा निर्दिष्ट कएल गेल परियोजना सबहक मूल्यांकन क लेल आओर समुचित पैरवी करबय लेल केन्द्रीय स्तर पर विशेषज्ञ सबहक समिति गठित अछि।
- (28) "प्ररूप" सँ अहि अधिसूचना सँ संलग्न प्ररूप (प्ररूप) अभिप्रेत अछि;
- (29) "कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ" (जकरा अहि में एकरा पश्चात् 'एफएई' कहल गेल अछि) एसीओ के द्वारा प्रत्यायित विशेषज्ञ छथीन आओर जे एसीओक संग कार्य करई छैथ अथवा एकरा संग पैनलित छैथ;
- (30) 'संधारण शर्त' (जकरा अहि में एकरा पश्चात् जीसी कहल गेल अछि) सँ इएह अभिप्रेत अछि जे समूह ख¹ में विनिर्दिष्ट कोनो परियोजना अथवा क्रियाकलाप निचलका (क) अथवा (ख) में उल्लिखित क्षेत्र सम में अगर पूर्णतः अथवा भागतः अवस्थित होय प्रवर्ग में परिवर्तन के वगैर केन्द्रीय स्तर पर मूल्यांकन कयल जाएतः—
- (क) निम्नलिखित के सीमा सँ अनुसूचीक मद में सं० 3, 5, 32, 33 के बावत 10 कि०मी० के भीतर आओर दोसर मदक मामला में 5 कि०मी० के भीतर
- (i) संरक्षित क्षेत्र; अथवा
- (ii) संकटमय प्रदूषित क्षेत्र; अथवा
- (iii) परिस्थितिकी संबेदनशील क्षेत्र; अथवा

- (iv) अन्तर राज्यीय का संघ राज्य क्षेत्र
- (ख) निम्नलिखित के सीमा क भीतर
- i. अत्यन्त प्रदूषित क्षेत्र अथवा
 - ii. परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र
- (31) "द्वीप तटीय विनियामक जोन (जकरा अहि में एकरा स पहिने आईसीआरजेड कहल गेल अछि) ऐहन जोन अछि जकरा द्वीप तटीय विनियामक जोन अधिसूचना, 2019 आओर समय समय पर कयल गेल संशोधन सबहक अधीन अधिसूचीत कएल गेल अछि।
- (32) "अनुरक्षण तल कर्षण" सँ नौवहन, संनिर्माण अथवा सँ क्रियात्मक प्रयोजन हबहक लेल (पाईन के) समुचित सुरक्षित गहराई के बनौने राखब लेल विद्यमान नौवहन चैनल सब घाट सब, झूलय बला बॉन्ड घाट सँ झण्ड सब अथवा तल छटा सब के आवधिक रूप से हटायब अभिप्रेत अछि।
- (33) "सूक्ष्म लघु आओर मध्यम् उद्यम्" सँ सूक्ष्म, लघु आओर मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम सं० 27) आओर ऐकर पश्चात्वर्ती संशोधन क अधीन परिभाषित परियोजना अभिप्रेत अछि।
- (34) "खनिज सज्जीकरण" सँ ऐहन प्रक्रिया अभिप्रेत अछि जाहि के द्वारा भौतिक अथवा भौतिक-रासायनिक, पृथक्करण प्रक्रिया के माध्यम सँ अयस्क के मूल्यवान घटक सन्द्रित कएल जाइत अछि।
- (35) "मंत्रालय" सँ भारत सरकार क पर्यावरण वोन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभिप्रेत अछि।
- (36) "आधुनिकीकरण" प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन अथवा काँच सामग्री मिश्रण अथवा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन अथवा मार्गविरोध

निवारण अथवा कार्य दिवस क संख्या में वृद्धि अथवा विद्यमान खान पट्टा क्षेत्र जनिका लेल विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी मंजूर कएल जाईत अछि में उत्खनन के दर सँ वृद्धि सहित परियोजना में संयत्र आओर मंशीनरी क उपयोग क्षमता में वृद्धि;

- (37) “अनुपालन” सँ परियोजना के लेल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा में विनियात्मक प्राधिकरण के द्वारा विहित निबंधन सब आओर शर्त सबहक अनुपालन अभिप्रेत अछि ।
- (38) “अधिसूचित औद्योगिक संपदा” सँ ऐहेन औद्योगिक सम्पदा अभिप्रेत अछि जाहि में पार्क; प्रक्षेत्र; क्षेत्र; निर्यात प्रसंस्करण जोन (ईपीजेड) विशेष आर्थिक जोन (सेज) जैव प्राद्योगिकी पार्क, चमड़ा प्रक्षेत्र, तटीय, आर्थिक जोन (सीईजेड); विशेष विनिधान क्षेत्र (एसआईआर) राष्ट्रीय विनिधान आओर विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) औद्योगिक कलस्टर, पेट्रोलियम, रसायन आओर पेट्रो रसायन विनियान क्षेत्र (पीसीपीआईआर) सेहो अछि जे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार क द्वारा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क द्वारा 14 सितम्बर 2006 सँ पहिनहिं हि अधिसूचित कएल गेल अछि अथवा जे लोकनि ईआईए अधिसूचना 2006 अथवा अई अधिसूचना क अधीने जेना आदिष्ट पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कय लेने छैथ;
- (39) “संरक्षित क्षेत्र” सँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 के 53) आओर समय-समय पर एकर पश्चातवर्ती संशोधन सबहक अधीन यथा-अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत अछि ।
- (40) “पूर्व पर्यावरण अनापत्ति” (जकरा अहि में एकरा पश्चात् पूर्व – ईसी कहल गेल अछि) सँ प्रवर्ग, ‘क’ प्रवर्ग ‘ख’ । आओर प्रवर्ग ‘ख 2’ परियोजना सब जनिका अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति

क समक्ष राखऽब अपेक्षित अछि, के लेल मूल्यांकन समिति क पैरवी पऽर विनियामक प्राधिकरण के अनापत्ति अथवा सहमति अभिप्रेत अछि ।

(41) “पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा” (जकरा अहि में एकरा पश्चात् पूर्व-ईसी कहल गेल अछि) सँ प्रवर्ग ‘ख2’ के बाबत अनुसूची में ‘क’ सूचीबद्ध प्रस्तावित परियोजना जनिका अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति क समक्ष नहि राखब अपेक्षित अछि, के कार्यान्वित करबाक लेल विनियामक प्राधिकरण क अनुज्ञा अथवा सहमति अभिप्रेत अछि;

(42) “पूर्व पर्यावरण अनापत्ति शर्त” सँ ऐहेन परियोजना क लेल विनियामक प्राधिकरण के द्वारा विहित शर्त अभिप्रेत अछि, जनिका लेल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा क बांछा कएल गेल अछि;

क. “विनिर्दिष्ट शर्त” सब सँ मूल्यांकन समिति क द्वारा विदित मामला दर मामला आधार पऽर अगर कियो छैथ विनिर्दिष्ट परियोजना अथवा अवस्थान संबंधी शर्त अभिप्रेत अछि आओर

ख. मानक शर्त सब सँ यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी प्रदान करैत काल नियत करबाक लेल समय-समय पर मंत्रालय द्वारा बिहित शर्त अभिप्रेत अछि । तथापि, ऐहेन शर्त सब मूल्यांकन समिति क द्वारा (पूर्व-ईसी क मामला सब में आओर विनियामक प्राधिकरण द्वारा (पूर्व-ईपी क मामला सब में) मामला दर मामला क आधार पर मूल्यांकन के क्रम में सम्यक् तत्परता पर उपांतरित कएल जाएत ।

(43) “परियोजना” सँ परियोजना अथवा कोनो क्रियाकलाप अभिप्रेत अछि;

- (44) “परियोजना अवधि” सँ परियोजनाक कालावधि अभिप्रेत अछि जाहि में
 (I) संनिर्माण अथवा संस्थापन अथवा स्थापन अथवा प्रतिज्ञापन
 (II) प्रचालन आओर (III) व्यतिरिक्तता अथवा परियोजना सम्पन्न भेला
 क बाद बन्द करनाई अथवा विखंडित करऽब मिलल अछि;
- (45) “परियोजना प्रस्ताव” सँ ऐहेन व्यक्ति, अथवा लोक, अथवा प्राइवेट
 अस्तित्व अभिप्रेत अछि जे परियोजना क कार्यकलाप सब पर पूर्ण
 नियंत्रण राखई छैथ आओर कम्पनी कै बोर्ड निदेशक अथवा ऐहेन
 अस्तित्व अथवा फर्म वा न्यास अथवा सीमित दायित्व अथवा भागीदारी,
 अथवा संयुक्त उधम् अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम क सक्षम प्राधिकारी
 के द्वारा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार
 के द्वारा परियोजना क कार्यकलाप सब हक प्रबंध करबाक लेल
 सम्यक प्राधिकृत अछि अथवा नियुक्ति कएल गेल अछि आओर अहि
 अधिसूचना क प्रयोजन क लेल विनियामक प्राधिकारी क समक्ष
 पत्राचार करबाक लेल आओर दस्तावेज सबहक निष्पादित करय लेल
 सम्यकतः प्राधिकृत अथवा नियुक्त कएल गेल अछि ।
- (46) “लोक परामर्ष” सँ ऐहेन प्रक्रिया अभिप्रेत अछि जाहि के द्वारा ऐहेन
 स्थानीय प्रभावित व्यक्ति सब आओर दोसर व्यक्ति सब जनिका
 परियोजना के पर्यावरणीय संघात में युक्तियुक्त पण अछि, परियोजना
 डिजाइन करैत काल में ऐहेन सब तात्त्विक चिन्ता सब के
 समुचित रूप सँ ध्यान में राखय के दृष्टि सँ अभिनिश्चय कएल जाइत
 अछि ।
- (47) “विनियामक प्राधिकरण” सँ मंत्रालय अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण
 संघात निर्धारण प्राधिकरण अथवा संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण
 संघात निर्धारण प्राधिकरण अभिप्रेत अछि

- (48) "अनुसूची" सँ अई अधिसूचना सँ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत अछि ।
- (49) "विस्तारण" सँ पूर्व-ईसी के बांछा करए बला परियोजना क लेल ईआईए रिपोर्ट के तैयार करबय लेल विनियामक प्राधिकरण द्वारा सौपल कृत्य अवधारण करय के प्रक्रिया अभिप्रेत अछि ।
- (50) "गौण धातु विज्ञानी" सँ उत्पादन प्रक्रिया अभिप्रेत अछि जे अयस्क कटौती प्रक्रिया, स्क्रेप, उद्धरण आओर उद्योग क लेल विनिवेश के रूप में शिलिका क उत्पादन क संग आरम्भ होईत अछि आओर एकर उत्पाद अर्द्ध तैयार उत्पाद अथवा तैयार उत्पाद होईत अछि ।
- (51) "अत्यन्त प्रदूषित क्षेत्र" सँ औद्योगिक कलस्टर अथवा क्षेत्र अभिप्रेत अछि जकर पहिचान समय समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अत्यन्त प्रदूषित क्षेत्र के रूप में होईत अछि,
- (52) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जकरा अहि में एकर पश्चात "एमईएसी" कहल गेल अछि) सँ अई अधिसूचना के प्रयोजन राज्य स्तर पर मंत्रालय के द्वारा एकरा निर्दिष्ट परियोजना सबहक पर्यावरण मूल्यांकन के लेल आओर समुचित पैरवी करबय के लेल अई अधिसूचना क प्रयोजन के लेल गठित विशेषज्ञ सबहक समिति अभिप्रेत अछि ।
- (53) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जकरा अहि में एकरा पश्चात 'एमपीसीबी' कहल गेल अछि) जऽल (प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 क 6) के तहत गठित बोर्ड अछि;
- (54) राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (जकरा अहि में एकरा पश्चात 'एसईआईएस' कहल गेल अछि) सँ पर्यावरण

(संरक्षण) अधिनियम 1986 के धारा 3 क उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार क द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत अछि;

- (55) "अध्ययन क्षेत्र" सँ यथास्थिति प्रवर्ग 'क' क अन्तर्गत आवय बला परियोजना क सीमा क आस पास 10 कि०मी० अथवा प्रवर्ग 'ख' क अंतर्गत आवय बला परियोजना क सीमा क आस पास (इर्द गिर्द) 5 कि० मी० के आकाशीय दूरी क भीतर लऽगक आस पास क क्षेत्र अभिप्रेत अछि ।
- (56) "सौंपल गेल कृत्य" (जकरा अहि में एकरा पश्चात् 'टीओआर' कहल गेल अछि) सँ ईआईए रिपोर्ट तैयार करबाक प्रयोजन क लेल परियोजना हेतु विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित विस्तृत कार्यक्षेत्र अभिप्रेत अछि ।
- क. निर्दिष्ट सौंपल कृत्य सँ ईआईए रिपोर्ट के तैयार करबाक लेल आवश्यक बूझल मूल्यांकन समिति द्वारा विदित विनिर्दिष्ट परियोजना अथवा अवरस्थान विनिर्दिष्ट सौंपल कृत्य अभिप्रेत अछि; आओर
- ख. "मानक सौंपल गेल कृत्य" सँ अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना सब हक बाबत ईआईए रिपोर्ट के तैयार करबाक लेल समय समय पर मंत्रालय के द्वारा मानक सौंपल कृत्य अभिप्रेत अछि ।
- (57) "संघ राज्य क्षेत्र स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जकरा अहि में एकरा पश्चात् 'यूटीईएसी' कहल गेल अछि) सँ एकरा निर्दिष्ट परियोजना सब हक पर्यावरणीय मूल्यांकन के लेल आओर समुचित पैरवी करबाक लेल मंत्रालय के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अधिसूचना क प्रयोजन के लेल गठित विशेषज्ञ सबहक समिति अभिप्रेत अछि ।

- (58) "संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (जकरा अहि में एकरा पश्चात् "यूटीईआईएए" कहल गेल अछि) सँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के धारा 3 क उपधारा (3)क अधीन मंत्रालय के द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत अछि;
- (59) "संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति (जकरा अहि में एकरा पश्चात् "यूटीपीसीसी" कहल गेल अछि) सँ जल प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण अधिनियम 1974 क अधीन गठित समिति अभिप्रेत अछि; आओर
- (60) "उल्लंघन" सँ ऐहेन मामलासब अभिप्रेत अछि जाहि में परियोजना सब यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी बिनु अभिप्राप्त कयने ने पूर्व-ईसी में विनिर्दिष्ट सीमा सँ अलग स्थल पर अथवा संनिर्माण कार्य अथवा संस्थापन अथवा उल्लंघन जे भी पहिले सँ होय आरम्भ कय देल गेल अथवा उत्पादन आओर/अथवा परियोजन, क्षेत्रक विस्तार केलैईथ ।

4. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरणीय अनुज्ञा क अपेक्षा

- (1) प्रवर्ग 'क' प्रवर्ग 'ख1' आओर 'ख2' क अधीन अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना सबहक अथवा क्रिया-कलाप सबहक विस्तार अथवा आधुनिकीकरण सहित परियोजना सब नऽव अथवा क्रियाकलाप सब में जनिका अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति क समक्ष राखल जेनाई अपेक्षित अछि, स्थल पर कोनो संनिर्माण कार्य अथवा संस्थापना अथवा स्थापना अथवा उत्खनन जे भी पहिले भेल होय के प्रारम्भ सँ पूर्व अथवा पूर्व में स्वीकृत यथास्थिति, पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईसी में विनिर्दिष्ट सीमा सँ फाजिल उत्पादन आओर/अथवा

परियोजना क्षेत्र विस्तार करय सँ पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकारी सँ पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होयत ।

- (2) ख-2 प्रवर्ग के अधीन अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना अथवा क्रिया-कलाप सबहक विस्तार अथवा आधुनिकीकरण सहित नऽव परियोजना सबहक अथवा क्रियाकलाप सबहक जनिका अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष राखऽब अपेक्षित अछि, स्थल पर कोनो संनिर्माण कार्य अथवा संस्थापन अथवा स्थापना अथवा उत्खनन जे भी पहिले होय, के आरम्भ सँ पूर्व, अथवा पूर्व में स्वीकृत, यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी में विनिर्दिष्ट सीमा सँ फाजिल उत्पादन आओर/अथवा परियोजना क्षेत्रक विस्तार करैई सँ पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण सँ पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा अपेक्षित होयत ।
- (3) तथापि ई स्पष्ट कएल जाईत अछि जे अहि अधिसूचना में प्रयोजनक लेल 'संनिर्माण कार्य' में बाड़ लगाय कऽ भूमि के सुरक्षित करनाई अथवा घेरा देबाल सुरक्षा गारद (सब) के लेल अस्थायी शेड कोनो गाछ क कटाई कयने बिनू भूमि समतल कैनाई, भूमि के लेल अपेक्षित भू-तकनीकी अन्वेषण अगर कोनो होय, सम्मिलित नहिं अछि ।

5. परियोजना सबहक आओर क्रियाकलाप सबहक प्रवर्गीकरण:

- (1) अनुसूची में सूचीबद्ध सऽव परियोजना सब तीन प्रवर्ग सब अर्थात् प्रवर्ग 'क' प्रवर्ग 'ख1' आओर प्रवर्ग 'ख2' में अछि जे संभाव्य बांटल सामाजिक आओर पर्यावरणीय संघात आओर अई संघात सबहक स्थानिक विस्तार पर आधारित अछि ।

- (2) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के अधीन सभी परियोजना सब में जाहि में विद्यमान परियोजना सबहक क विस्तार आओर आधुनिकीकरण सेहो मिलल अछि, मंत्रालय सँ पूर्व ईसी अपेक्षित होयत।
- (3) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख1' के अधीन सब परियोजना सब में जाहि में विद्यमान परियोजना सबहक विस्तार आओर आधुनिकीकरण सेहो मिलल अछि, कदाचित अहि के अन्तर्गत ओ परियोजना सब नहिं अछि जे आई अधिसूचना के खंड 3 के उपखंड (30) क अधीन परिभाषित साधारण शर्त सबके पूर्ण करैत अछि, यथास्थिति, एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए सँ पूर्व ईसी अपेक्षित होयत।
- (4) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख1' के अधीन सब परियोजना सब में जाहि में विद्यमान परियोजनाक विस्तार आओर आधुनिकीकरण से हो मिलल अछि आओर जे अहि अधिसूचना क खंड (30) के अधीन परिभाषित साधारण शर्त सब के पूर्ण करैत अछि, परियोजना के प्रवर्ग में बिनू कोनों परिवर्तन के मंत्रालय सं पूर्व-ईसी अपेक्षित होयत।
- (5) प्रवर्ग 'ख2' क अधीन सब परियोजना सब में, जनिका अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति क समक्ष राखनाइ अपेक्षित अछि। यथास्थिति 'एसईआईएए' अथवा यूटीईआईएए सँ पूर्व ईसी अपेक्षित होयत।
- (6) प्रवर्ग 'ख2' क अधीन सब अन्य परियोजना सब (उपरोक्त उपखंड(5) क अधीन विनिर्दिष्ट परियोजना सब सं भिन्न परियोजना सब) में, यथास्थिति एसईआईएए अथवा यूटीआईएए सँ पूर्व-ईपी अपेक्षित होयत। ई परियोजना सब मूल्यांकन समितिक समक्ष राखल जायत।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-अवधारित राष्ट्रीय रक्षा आओर सुरक्षा सँ संबंध राखय बाली अथवा अन्य रणनीतिक महत्व सबहक अंतर्वलित करय वाली परियोजना सऽभ में, परियोजनाक प्रवर्ग में कोनो परिवर्तन के बिनू मंत्रालय सँ, यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी अपेक्षित होयत।

एकरा अतिरिक्त ऐहेन परियोजना सब सं संबंधित कोनों जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में नहिं राखल जायत।

6. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ईएसी निम्नलिखित पात्रता मानदंड सब के पूर्ण करए वाला विशेषज्ञ सब सँ ही मीऽल कऽ बऽनतः—

(क) अर्हता: व्यक्ति के लग में कोनों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सँ विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा कला अथवा विधि अथवा कारोबार प्रशासन अथवा कृषि अथवा उद्यान कृषि अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा प्रौद्योगिकी अथवा इंजीनियरिंग अथवा वास्तुविद् में स्नातक डिग्री अथवा वृत्तिक प्रमाणन् (सी.ए.,सी.एस. आओर सी.एम.ए.) होयबाक चाही।

(ख) आयु-मूल्यांकन समिति के लेल नाम निर्दशन के तारीख कऽ 70 वर्ष सँ कम अवस्था के होयबाक चाही।

(ग) अनुभव: नीचा देल सुसंगत क्षेत्र सभ में 15 वर्ष क अनुभव रखैत होईथ।

(i) पर्यावरण गुणवत्ता: पर्यावरण गुणवत्ता सं संबंधित डेटा के मापन, मानीटरी विश्लेषण आओर निर्वाचन में विशेषज्ञ होय।

- (ii) सेक्टरीय परियोजना प्रबंधन: सेक्टर सब अर्थात खनन, प्राकृतिक संसाधन सबहक निष्कर्षण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परमाणु उर्जा, प्राथमिक प्रसंस्करण, सामग्री उत्पादन, सामग्री प्रसंस्करण विनिर्माण, फेब्रीकेशन, भौतिक अवसंरचना जहि में पर्यावरण सेवा सब सेहो अछि ताहि में परियोजना प्रबंध अथवा प्रसंस्करण अथवा संक्रिया सब अथवा सुविधा सबहक प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
- (iii) पर्यावरण संघात निर्धारण प्रक्रिया: ईआईए के संचालित करबऽ लेल आओर क्रियान्वित करबाक लेल आओर ईएमपी तैयार करय लेल आओर दोसर प्रबंध योजना सब में विशेषज्ञ आओर जे ईआईए प्रक्रिया में प्रयुक्त भविष्य-सूचक तकनीक सबहक आओर यन्त्र सबहक विशेषज्ञता आओर-जानकारी राखई छैथ ।
- (iv) जोखिम निर्धारण अथवा व्यवसायिक स्वस्थ्य ;
- (v) जीव विज्ञान (वनस्पति आओर जीव जन्तु संबंधी प्रबंधन) अथवा वानिकी अथवा वन्य जीव अथवा समुद्रीय विज्ञान;
- (vi) पर्यावरण अर्थशास्त्र जिनका संग परियोजना मूल्यांकन क अनुभव रखैत होयथ ;
- (vii) प्रदूषण निवारण अथवा न्यूनीकरण अथवा पर्यावरणीय विज्ञान ;
- (viii) लोक प्रशासन अथवा प्रबंध जाहिके अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक सेक्टर आओर पर्यावरण विषय सेहो अछि ।
- (ix) पर्यावरण विधि, आओर
- (x) सामाजिक संघात निर्धारण अथवा पुनर्वास आओर पुनर्स्थापन

- (2) ईएसी के पदावधि तीन बरख सँ बेसी नहि होयत ।
- (3) ईएसी के संख्या पंद्रह नियमित सदस्य सब जाहि में अध्यक्ष आओर सचिव से हो छैईथ, सँ बेसी नहिं होयत । तथापि, अध्यक्ष समिति क विशिष्ट बैसार क लेल सुसंगत क्षेत्र में सदस्य (सबहक) रूप में विशेषज्ञ (सब) के सहयोजित कए सकऽत ।
- (4) अध्यक्ष अथवा सभापति ऐहेन प्रतिष्ठित व्यक्ति होयताह जे पर्यावरण नीति संबंधी विषय सब में, प्रबंधन में, अथवा विभिन्न विकासात्मक सेक्टर सब सँ संबंधित लोक प्रशासन में अनुभव राखैईत होयथ ।
- (5) अध्यक्ष अथवा सभापति सदस्य सब में सँ कोनों एक सदस्य क उपाध्यक्ष अथवा उप सभापति नाम निर्देशित कयल जाएत जे अध्यक्ष अथवा सभापतिक अनुपस्थिति में ईएसी के अध्यक्षता करताह ।
- (6) सदस्य जाहि में अध्यक्ष अथवा सभापति सेहो अछि के अधिकतम पदावधि मूल्यांकन समिति अथवा प्राधिकरण में सं कोनों एक समिति अथवा प्राधिकरण में तीन बरख अथवा ओकर भाग क दू पदावधि सब के लेल होयत, अध्यक्ष अथवा सभापति आओर सदस्य अई अधिसूचना क अधीन गठित एक सँ बेसी प्राधिकरण अथवा भें संगे-संग कार्य नहिं करताह ।
- (7) अध्यक्ष अथवा सभापति आओर सदस्य सबहक कार्यकाल के समाप्ति सं पूर्व कारण बिनू आओर मंत्रालय द्वारा संचालित उचित जांच के बिनू मनमाना ढंग से कऽम नहिं कएल जा सकईत अछि ।
- (8) एक सँ अधिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति सबहक जेहेन मंत्रालय द्वारा सही बुझना जाएत गठन कएल जा सकईत अछि ।

- (9) संबंधित ईएसी के प्रधिकृत सदस्य ऐहेन परियोजना से संबंधित कोनों स्थल क निरीक्षण कए सकताह जिनका संबंध में विस्तारण अथवा मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति माँगल गेल होय आओर परियोजना प्रस्तावक के कम सँ कम सात दिन पूर्वहिं सूचना देल गेल होय, जे निरीक्षण क लेल आवश्यक सहयोग के व्यवस्था करताह।
- (10) ईएसी सामूहिक उत्तरदायी क सिद्धांत पर कार्य कऽरत। अध्यक्ष प्रत्येक मामला सब में सर्वसम्मति बनयबाक भरसक प्रयास कऽरत आओर अगर सर्व सम्मति नहिं बनि पाओत तऽ बहुमत क अभिमत अभिभावी होयत। मुदा अगर विनिश्चय बहुमत द्वारा कएल जाएत अछि, पक्ष आओर विपक्ष में, अभिमत सबहक ब्यौरा सब कार्यकृत में अभिलिखित कएल जायत।
- (11) निदेशक अथवा वैज्ञानिक 'ई' अथवा समतुल्य क पाँइत अन्वून मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य कऽरत।
- (12) ईएसी प्रत्येक मास में कऽमों सँ कऽम एक बेर बैसार कऽरत।
- (13) मंत्रालय समय-समय पर ईएसी के गठन क लेल अनुसरण करय वला प्रक्रिया जारी कऽरत।
7. **राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण अथवा संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण**
- (1) एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए तीन सदस्य लोकनि संमिलाऽ कऽ बऽनत, जाहिं में अध्यक्ष अथवा सभापति आओर सदस्य सचिव हेताह। सदस्य सचिव संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन के ऐहेन सेवारत अधिकारी होयत जे राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निदेशक अथवा समतुल्य पाँइत सँ अन्वून पाँइत के

नहीं होयत। सदस्य सचिव सं प्रत्याशा कएल जाईत अछि जे ओ पर्यावरण विधि सब सँ सुपरिचित होयताह।

- (2) एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए के कार्यकाल तीन बरखक लेल होयत। तथापि, आओर जखन कखनों आवश्यक आओर समीचीन बुझायत, मंत्रालय विद्यमान प्राधिकरण क कार्यकाल के 3 मास सं बेसी के अवधि क लेल बढ़ा सकई छैथ।
- (3) अध्यक्ष अथवा सभापति ऐहेन प्रतिष्ठित व्यक्ति होऽइथ जे पर्यावरण नीति संबद्ध विषय सब में, प्रबंध में, विभिन्न विकासात्मक सेक्टर सब सँ संबंधित लोक प्रशासन में अनुभव रखैइत होयथ। अर्हता: आयु आओर अनुभव अई अधिसूचनांक खंड 6 के उपखंड (1) में देल गेल मानदंड क अनुसार होयत।
- (4) गैर सरकारी सदस्य जाहि में अध्यक्ष अथवा सभापति सेहो अछि के अधिकतम कार्यकाल मूल्यांकन समिति अथवा प्राधिकरण में कोनों एकटा समिति अथवा प्राधिकरण में तीन बरख अथवा हुनक भाग क दू पदावधि सबहक लेल होयत, अध्यक्ष अथवा सभापति आओर सदस्य अई सूचना के अधीन एक सँ अधिक गठित प्राधिकरण अथवा समिति में संगे-संग कार्य नहीं करताऽ।
- (5) अध्यक्ष अथवा सभापति आओर सदस्य सबहक कार्यकाल के कार्यकालक समाप्ति सं पूर्व कारण बिनु आओर संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संचालित उचित जांच क बिना मोन, माना ढंग से काजनाहिं कएल जा सकऽत।
- (6) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सदस्य सब आओर अध्यक्ष के नाम विद्यमान प्राधिकरण क कार्यकाल क सभापति सं कम सं कम पैतालिस दिन पूर्वहिं मंत्रालय के पठाओत् आओर मंत्रालय

विद्यमान प्राधिकरण क कार्यकालक समाप्ति सं पहिने अई अधिसूचना के प्रयोजन सबहक लेल एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए के एक प्राधिकरण क रूप में गठन करताह।

- (7) अगर राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विद्यमान प्राधिकरण के कार्यकालक समाप्ति सं पूर्व पैतालिस दिन पहिने ही मंत्रालय क सदस्य सबहक आओर अध्यक्ष क नाम पठवय में असफल रहैत छैथ, तऽ मंत्रालय अई अधिसूचना क प्रयोजन क लेल एस ईआईएए अथवा यूटीईआईएए के राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के निर्दिष्ट कयने बिनु एक प्राधिकरणाक रूप में गठन कराओत।
- (8) एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए के सऽभ विनिश्चय बैसार में कयल जाएत आओर सामान्य रूप सँ सर्वसम्मत होयत। परन्तु अगर विनिश्चय बहुमत द्वारा कराओल जाईत अछि, पत्र आओर विपक्ष में अभिमत सबहक ब्योरा कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप सँ अभिलिखित कयल जाएत आओर ओकर एकटा प्रति मंत्रालय पठाओल जाएत।
- (9) एसईआईएए अथवा यूटीआईएए प्रत्येक मास में कम से कम एक बेर बैसार कऽरत।

8. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति—

- (1) एसईएसी अथवा यूटीईएसी अथवा डीईएसी के अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा सदस्य सबहक अर्हता, आयु आओर अनुभव अछिं अधिसूचना क खंड(6) क उपखंड(1) में देल गेल मापदंड के अनुसार होयत।

- (2) एसई एसी अथवा डीईएसी के अन्य मापदंड आओर कृत्य अहि अधिसूचना क खंड 6 क उपखंड (2) सँ उपखंड (10) तक में देल गेल मानदंड के अनुसार होयत ।
- (3) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क एकटा प्रतिनिधि जे राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निदेशक अथवा समतुल्य पाँइत सँ अन्यून पाँइत के नई होय, एसईएसी अथवा यूटीईएसी क मामला में समिति क सचिव क रूप में कार्य करताह ।
- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति क कोनों अधिकारी डीईएसी क सचिव क रूप में कार्य करताह ।
- (5) डीईएसी के पुनर्गठन जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के द्वारा पठाओल नाम सबहक आधार पर एसईआईए अथवा यूटीईआईए के द्वारा प्रत्येक तीन बरखक पश्चात् कयल जाएत ।
- (6) एसईएसी अथवा यूटीईएसी क पुनर्गठन केन्द्रीय सरकार क द्वारा राजपत्र अधिसूचना क माध्यम सँ प्रत्येक तीन बरखक पश्चात कएल जायत । जखन कखनों आवश्यक आओर समीचीन बुझल जाएत् मंत्रालय तीन मास सं बेसी के अवधि क लेल विद्यमान समिति क कार्यकाल के बढ़ा सकई छैइथ ।
- (7) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विद्यमान एसईएसी अथवा यूटीईसी क कार्यकाल के समाप्त होमय सं कम सं कम 45 दिन पहिनहिं सदस्य सबहक आओर अध्यक्ष क नाम मंत्रालय के पठाओत आओर मंत्रालय, विद्यमान समितिक क कार्यकाल समाप्ति सं

पूर्वहि, अहि अधिसूचना क प्रयोजन सब के लेल एसईसी अथवा यूटीईसी क गठन करताह।

- (8) अगर राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विद्यमान डीईएसी क कार्यकाल क समाप्ति सँ 45 दिन पूर्वहिं सदस्य सबहक आओर अध्यक्ष क नाम मंत्रालय के नहिं पठाओल गेलय तऽ मंत्रालय राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के निर्दिष्ट केने बिनु अई अधिसूचना क प्रयोजन क लेल मूल्यांकन समितिक क रूप में एसईएसी अथवा यूटीईएसी क गठन करताह।
- (9) अगर जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विद्यमान डीईएसी के कार्यकाल क समाप्ति सँ 45 दिन पहिले डीईएसी क सदस्य सबहक आओर अध्यक्ष क नाम यथास्थिति एसई आईएए अथवा यूटीआईएए के नहिं पठवई छैथ तऽ यथास्थिति, एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए, जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के निर्दिष्ट कएने बिनु अहि अधिसूचना क प्रयोजन सबहक लेल मूल्यांकन समिति क रूप में डीईएसी क गठन करताह।
- (10) एकरा अतिरिक्त अगर यथास्थिति, संबंधित एसईआईए अथवा यूटीईआईएए, समय-समय पऽर मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित समयावधि के भीतर डीईएसी क गठन करबा में असफल रहई छैथ तऽ मंत्रालय ऐहेन सदस्य सँ मिल कए बनल सुसंगत डीएएसी जे ओ ठीक बुझैथ के गठन ओतना अवधि (कम सँ कम छह मास) क लेल करतई। जा धरि यथास्थिति, संबंधित एसईआईएए अथवा यूटीईआईएए संबंधित एसईईसी के गठन नई करई छैथ।

- (11) मंत्रालय प्रशासनिक सुविधा क कारण सब आओर प्रस्ताव सबके शीघ्र खतम् करबाक लेल राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र क लेल एकटा सँ बेसी एसईएसी अथवा यूटीएसी क गठन कऽ सकताह ।
- (12) एसईसी अथवा यूटीईसी प्रत्येक मास में कम सं कम एक बेर बैसार कऽरत ।

9. तकनीकी विशेषज्ञ समिति—

- (1) तकनीकी विशेषज्ञ समिति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 क धारा 3 के उपधारा (3) क अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित कएल जायत जे अधिकतम 10 सदस्य सभ जाहि में अध्यक्ष सभापति आओर सदस्य सचिव भी छैथ सँ मिल कऽ बनेता ।
- (2) तकनीकी विशेषज्ञ समिति वैज्ञानिक सिद्धान्त सभ पर परियोजना क प्रवर्गीकरण अथवा पुनःप्रवर्गीकरण जाहि में प्रक्रिया सब हक सरलीकरण, समय-समय पर मंत्रालय के द्वारा अहि अधिसूचना क प्रयोजना सबहक समिति के समनुदेशित दोसर काज सेहो अछि आरंभ करताह ।
- (3) समिति क कार्यकाल पांच बरखक होयत ।
- (4) तकनीकी विशेषज्ञ समिति क प्राधिकृत सदस्य, मंत्रालय के द्वारा परियोजना प्रस्तावक क कम सँ कम सात दिनक पूर्व सूचना दऽ क परियोजना में अन्तर्वलित पर्यावरण संघात क निर्धारण करबाऽक प्रयोजन क लेल, कोनों परियोजना अथवा क्रियाकलाप सब सं संबंधित कोनों स्थल के दौरा कय सकताह ।

10. पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा प्रक्रिया में प्रकम—

- (1) प्रवर्ग 'क' अथवा प्रवर्ग 'ख1' के पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया अधिकतम छह प्रक्रम सभ सं मिली कय बनत। तथापि, विशिष्ट मामला सब अथवा मामला सबहक वर्ग के लेल ऐहेन प्रक्रम सबहक अनुप्रयोज्यता अहि अधिसूचना में देल गेल अछि। आनुक्रमिक क्रम में छह प्रक्रम निम्नलिखित अछि:—

- प्रक्रम (1) : विस्तारण;
- प्रक्रम (2) : प्रारूप ईआई रिपोर्ट तैयार करनाई;
- प्रक्रम (3) : लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) : अन्तिम ईआईए तैयार करनाई
- प्रक्रम (5) : मूल्यांकन; आओर
- प्रक्रम (6) : पूर्व पर्यावरण अनापत्ति क स्वीकृति
अथवा अस्वीकृति;

- (2) प्रवर्ग ख(2) के लेल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया जकरा अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष रखबाक अछि, अधिकतम तीन प्रक्रम सं मिसली कऽ बऽनत। ई तीन प्रक्रम आनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित अछि:—

- प्रक्रम (1) : ईएमपी रिपोर्ट तैयार करनाई
- प्रक्रम (2) : मूल्यांकन;
- प्रक्रम (3) : पूर्व पर्यावरण अनापत्तिक स्वीकृति अथवा अस्वीकृति।

- (3) प्रवर्ग 'ख2' क लेल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया जकरा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष राखऽब अछि, अधिकतम दू प्रक्रम सब सँ मिऽली कऽ बऽनत। दू प्रक्रम आनुक्रमिक क्रम सं निम्नलिखित अछि:—

- प्रक्रम (1) : ईएमपी रिपोर्ट तैयार करनाई
- प्रक्रम (2) : विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन क संपूर्णता क सत्यापन ; आओर
- प्रक्रम (3) : पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा क स्वीकृति अथवा अस्वीकृति।

परन्तु ईएमपी तैयार करय वला एसीओ आओर परियोजना प्रस्तावक ईएमपी के पर्याप्ता क लेल जिम्मेदार हेताह।

परन्तु ई किहू आओर जे ईएमपी रिपोर्ट अभिलेख पर राईख देल गेल अछि आओर विनियात्मक प्राधिकरण क लऽग में परियोजना क लेल अतिरिक्त उपाय विहित करबाक अधिकार आरक्षित अछि।

11. यथा—स्थिति, पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा क लेल आवेदन क प्रक्रिया:—

- (1) अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना क लेल यथास्थिति पूर्व—ईसी अथवा पूर्व ईपी के बांछा करय बला परियोजना प्रस्तावक, सभ प्रक्रम क सोझां में उल्लिखित संबंधित प्ररूप (पों) में अधिसूचित ऑनलाईन पोर्टल क माध्यम सँ आवेदन करताह। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहिं कएल जायत।

प्रक्रम/ प्रयोजन	प्ररूप	सँ अनुपारत	अनुप्रयोज्यता	विनियामक प्राधिकरण
विस्तारण	प्ररूप 1	पूर्व साध्यता रिपोर्ट	प्रवर्ग 'क' आओर प्रवर्ग 'ख1' के अधीन सब परियोजना सब	मंत्रालय प्रवर्ग 'क' आओर प्रवर्ग 'ख1' (जनिका साधारण शर्त लागू होई त अछि) के अधीन परियोजना सब हक लेल आओर यथास्थि ति एसईआईए स अथवा यूटीईआ ईएए प्रवर्ग 'ख1' क अधीन परियोजना सब हक लेल जनिका साधारण शर्त नई लागू होई छैन आओर प्रवर्ग 'ख2'
लोक	प्रेषित	(1) अंगेजी में	अई	संबंधित एसपी

परामर्श	साधारण पत्र	तैयार कएल गेल प्रारूप ईआईए रिपोर्ट कमें स कम दस प्रति सब आओर एकरा साफ्ट (इलेक्ट्रोनिक) प्रति (।।) अंग्रेजी में आओर राज्य अथवा संघ क राजभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा में ईआईए रिपोर्ट क सार के कमें सँ कम 10 हार्ड प्रति सब	अधिसूचना क खंड 14 के उपखंड (1) में देल गेल सब परियोजना सब	सीबी / यूटीपी सीसी क सदस्य सचिव
मूल्यांकन	प्ररूप 1	(।) प्रारूप 1 क आओर	अनुसूची क मद 42	यथास्थिति एस ईआईए

		(11) वैचारिक योज ना	आओर सब 43 क अधीन स्तम्भ (5) में उल्लिखित सभ परियोजना सब	अथवा यूटीईआ ईएए
	प्ररूप 1	(i) प्रारूप-1ख2 (ii) ईएमपी (iii) अंतिम अभिन्यास यो जना (iv) खनन परियोजना सब हक दशा में साध्यता रिपोर्ट अथवा खनन योजना (v) लघु खनिज सबहक खनन के दशा में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट; आओ र	प्रवर्ग 'ख2' क अंतर्गत आवय वला सभ परियोजना सब	यथास्थिति एस ईआई एए अथवा यूटीईआ ईएए

		(vi) कलस्टर स्थितिक दशा में कलस्टर प्रमाण पत्र		
	प्ररूप 2	(i) अन्तिम ईआईए रिपोर्ट (ii) खनन परियोजना क दशा में साध्यता रिपोर्ट अथवा अनुमोदित खनन योजना क प्रति (iii) अंतिम अभिन्यास यो जना क प्रति (iv) लोक परामर्श कार्य वहिस्त्राव (v) लघु खनिज सबहक खनन क दशा में जिला सर्वेक्षण	प्रवर्ग-क अथवा प्रवर्ग 'ख2' के अंतर्गत आवय बला सभ परियोजन सब	मंत्रालय प्रवर्ग क आओर ख1 (जिनका साधारण शर्त लागू होई छैन) के अधीन परियोजना सब हक लेल। यथास्थिति, एस ईआईएए अथवा यूटीआई एए प्रवर्ग - 'ख1' के लेल (जनिका साधारण शर्त लागू नहिं होई दैन) आओर प्रवर्ग 'ख2' क अधीन परियोजना सबहक लेल।

	<p>रिपोर्ट, आओर (vi) कलस्टर स्थिति क दशा में कलस्टर प्रमाणपत्र, आओर (vii) विस्तारण अथवा आधुनिकीकर ण क दशा में सक्षम प्राधिकारी क द्वारा जारी यथास्थि ति पूर्वतर पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी शर्त सबहक अनुपालन प्रमाण पत्र, आओर (viii) अई अधिसूचना क</p>		
--	---	--	--

		पैरा 27 क उपपैरा (5) में यथाविनि र्दष्ट अन्य पूर्व अपेक्षा सब		
--	--	--	--	--

- (2) यथास्थिति, पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी क बाबत् प्रक्रिया क स्कीम संबंधी निरूपण परिशिष्ट 14 में देल गेल अछि ।

12. विस्तारण:

- (1) अनुसूची के प्रवर्ग 'ख2' क अधीन सूचीबद्ध सऽब परियोजना सब में विस्तारण अपेक्षित नहिं होयत ।
- (2) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक तत्परता क सुकर बनायब जाहि में यथास्थिति, प्राथमिक अथवा गौण आंकड़ा क संग्रहण सेहो अछि, टीओआर अथवा पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी के मंजूरी के लेल आवेदन फाईल करबाऽ सँ पूर्वो मंत्रालय क द्वारा समय-समय पर विकसित सेक्टरवार मानक टीओआर मंत्रालय क बेवसाईट पर प्रदर्शित कएल जाएत ।
- (3) मानक टीओआर विनियामक प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन समिति के बिना निर्दिष्ट कयने 7 (सात) कार्य दिवस सबहक भीतरे आवेदन क स्वीकृति पर आनलाईन पद्धति के माध्यम सँ निम्नलिखित परियोजना सब क जारी कएल जायत:-
- (क) अनुसूची क मद 38 क सामने स्तम्भ (3) आओर (4) क प्रविष्टि (1) आओर प्रविष्टि (11) के अंतर्गत आबय बला सीमा क्षेत्र क सब राजमार्ग परियोजना सब ;

- (ख) ऐहेन सऽभ परियोजना सब नाहिं में अधिसूचित औद्योगिक सम्पदा सब में अवस्थित करेबाक लेल प्रस्तावित अछि आओर जे ऐहेन अधिसूचना में अनुज्ञात नहिं अछि ।
- (ग) ओहि विद्यमान परियोजना सब हक सब विस्तार संबंधी प्रस्ताव जनिका पूर्व में पूर्व पर्यावरण अनापति प्राप्त भय गेल छैन ।
- (घ) अनुसूचि क मद 42 आओर मद 43 क स्तम्भ (4) के प्रविष्टि के अंतर्गत आवय वाला सऽभ भवन संनिर्माण आओर क्षेत्र विकास परियोजना सब ।

मुदाऽ मूल्यांकन समिति क परियोजना क लेल मानक टीओआर के जारी करबाक संबंध में सूचित कएल जायत । मूल्यांकन समिति, मानक टीओआर के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट टी ओ आर क पैरवी, अगर ओ मानक टीओआर के जारी कयल जाय सँ तीन दिनक भीतरे अई परियोजना क लेल आवश्यक पाओल जाय ।

- (4) ऊपर उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट सँ भिन्न नऽव परियोजना सबहक मानक टीओआर क अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट टीओआर क पैरवी करवय लेल, अगर आवश्यक पाओल जाए, आवेदन क तारीख सँ 30 दिनक भीतरे विनियामक पदाधिकारी क द्वारा मूल्यांकन समिति के निर्दिष्ट कएल जाएत । अगर, विनियामक प्राधिकरण मामला सबहक प्रारूप-1 में आवेदन क तारीख सँ 30 दिनक भीतरे मूल्यांकन समिति के निर्दिष्ट नहिं करैत छैथ तऽ सेक्टर विनिर्दिष्ट मानक टीओआर विनियामक प्राधिकरण द्वारा तेसर दिन आनलाईन जारी कएल जाएत ।

- (5) टीओआर क लेल आवेदन मूल्यांकन समिति क पैरवी पर संबंधित विनियामक प्राधिकारी के द्वारा अस्वीकृत कएल जाएत। ऐहेन अस्वीकृति क दशा में, ऐहेन अस्वीकृति क कारण सब हक सहित विनिश्चय आवेदन क प्राप्ति क साईठ दिन क भीतरे सम्यक् वैयक्तिक सुनवाई के पश्चात लिखित में परियोजना प्रस्तावक के संसूचित कएल जेतैन।
- (6) परियोजना प्रस्तावक, मूल्यांकन समिति द्वारा नियत कयल गेल सेक्टर विनिर्दिष्ट मानक टीओआर आओर विनिर्दिष्ट टीओआर अगर कोनो होय, पर आधारित ईआईए रिपोर्ट तैयार करताह।
- (7) संबंधित विनियामक प्राधिकारी के द्वारा जारी नदी घाटी परियोजना सब हक अलावे परियोजना सब लेल सौंपल कृत्य सबहक विधि मान्यता एकरा जारी कएल तारीख सँ चार्ल वर्ष के लेल होयत। नदी घाटी परियोजना सबहक मामला में, ईS विधिमान्यता पाँच बरखक लेल होयत।
- (8) ऐहेन परियोजना क विस्तार में कोनो परिवर्तन क दशा में, जिनका लेल विनियामक प्राधिकारी द्वारा टीओआर विहित कएल गेल अछि, परियोजना प्रस्तावक के द्वारा टीओआर के विधिमान्यता क भीतरे आओर लोक परामर्श से पूर्व टीओआर में संशोधन क लेल आवेदन प्ररूप-3 में ऑनलाइन कएल जाएत। ऐहेन सभ प्रस्ताव यदि अपेक्षित होय, आवेदन के तारीख सँ तीन दिन क भीतरे मूल्यांकन समिति के निर्दिष्ट कऽयल जाऽ सकत। तथापि संशोधित टीओआर के विधिमान्यता पूर्वतर टीओआर के जारी करबाक तारीख सँ गानल जाऽएत।
- (9) अगर, ओहि भूमि अथवा भागतः अथवा पूर्णतः दोसर परियोजना (सब) संगहि अतिव्यापी भूमि क लेल एकटा सँ बेसी प्रस्ताव प्राप्ते होईत

अछि जकर टीओआर अथवा पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी कोनो दोसर परियोजना के पहिने हीऽ जारी कए देल गेल अछि, ऐहेन सभ मामला के लंबित राऽखल जेतैक। विनियामक प्राधिकरण संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र क मुख्य सचिव केऽ लिखित संसूचना पठयेता आओर राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क सलाह क आधार पर विनिश्चय कएल जेऽतैक।

(13) पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार केऽनाई।

- (1) आधार रेखा आँकड़ा सब समय-समय पर मंत्रालय के द्वारा जारी कएल अथवा सीपीसीबी द्वारा विहित सेक्टर विनिर्दिष्ट ईआईए मार्गदर्शी मैनुअल सब में विनिर्दिष्ट नयाचार सबहक अनुसार संग्रहित कऽएल जाऽयत।
- (2) आधार रेखा आँकड़ा सब नदी घाटी परियोजना सब सँ भिन्न सब परियोजना सबहक बाबत ईआईए रिपोर्ट क लेल मानसून सँ भिन्न ऐक सीजन क लेल संग्रहित कएल जायत। तथापि, मानसून सीजन क आधार रेखा आँकड़ा सभ सेहो संग्रहित कऽर पड़तैन, अगर टीओआर मंजूर करैत काल में मूल्यांकन समिति के द्वारा ऐहेन अपेक्षा विहित कएल जाए।
- (3) आधार रेखा आँकड़ा सभ एक बरखक लेल संग्रहित कएल जाएत जाहि के अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना सबहक संबंध में ईआईए क लेल मॉनसून सेहो अछि।
- (4) आधार रेखा आँकड़ा क संग्रहण आओर विश्लेषण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन सम्यकत् अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला क माध्यम सँ कऽएल जाऽएत।

- (5) उपलब्ध गौण आँकड़ा सब पर सेहो 12 समुद्री मील के छोड़ि प्रस्तावित परियोजना सबहक लेल आधार रेखा क रूप में विचार कएल जाऽयत।
- (6) ऊपर उपखंड(1) सँ उपखंड(5) में निर्दिष्ट आधार रेखा आँकड़ा सब विस्तारण क लेल आवेदन के ध्यान में नहिं रखैत कोनो भी प्रक्रम पर संग्रहित कएल जा सकईत अछि। तथापि, लोक परामर्श क लेल एस0पी0सी0बी पर यूटीपीसीसी के प्रारूप ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करवाऽ काऽल में ऐहेन आधार रेखा आँकड़ा तीन बरख सँ बेसी पुरान नहिं होऽय।
- (7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 क अधीन सम्यकतः अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला क माध्यम से संग्रहित पश्च परियोजना मानीटरी आँकड़ा सबपर सेहो परियोजना सबहक विस्तार अथवा आधुनिकीकरण क लेल विचार कएल जाऽएत।
- (8) ईआईए रिपोर्ट, ऐहेन ए सी ओ क माध्यम सँ परियोजना प्रस्तावक के द्वारा परिशिष्ट 10 में देऽल गेऽल सामान्य संरचना क अनुसार तैयार कएल जाऽएत जे विशिष्ट सेक्टर आओर ओहि सेक्टर क लेल परियोजना क प्रवर्ग के लेल प्रत्याचित अछि।
- (9) प्रारूप ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्श क प्रयोजन क लेल आओर मूल्यांकन क प्रयोजन क लेल अन्तिम ईआईए रिपोर्ट तैयार कएल जाऽयत।
- (10) पर्यावरण संघात निर्धारण में अन्तर्वलित ईआईए समन्वयक आओर कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ, (सभ) क संग प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन क प्रकटन परिशिष्ट-13 पर विनिर्दिष्ट रूप विधान में ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित कएल जाऽयत। आओर ओऽ परियोजना

प्रस्तावक क अतिरिक्त ओहि में देल गेल, अंतर्वस्तु सबहक अथवा आँकड़ा क लेल जवाबदेह होऽयत।

- (11) कोनो ईआईए रिपोर्ट प्रवर्ग 'ख2' क अधीन सूचीबद्ध परियोजना सबहक लेल अपेक्षित होयत। तथापि, परिशिष्ट 11 पर देल गेल सामान्य संरचना क अनुसार ईएमपी रिपोर्ट ए सी ओ क माध्यम सँ तैयार कऽएल जाऽयत आओर आवेदन क संग प्रस्तुत कएल जाएत।

14. लोक परामर्श

- (1) लोक परामर्श क सामान्यतया निम्नलिखित सँ मिली कऽ बनल दूऽटाऽ संघटक होयत।
- (क) स्थल पर अथवा एकर निकट सामीप्य में अथवा एऽकटा सँ बेसी जिला में अवस्थित परियोजना क्षेत्र क दशा में जिलावार लोक सुनवाई स्थानीय प्रभावित व्यक्ति लोकऽनि के मामला सबहक अभिनिश्चित करबाकऽ लेल अधिसूचना में विहित रीति में कयल जाए।
- (ख) ऐहेन कोनों दोसर संबंधित व्यक्ति सब सँ जे परियोजना क पर्यावरणीय, पहलु सब में युक्ति युक्त पण राखेईत छैथ, लिखित में प्रत्युत्तर आमंत्रित कयल जाए।
- (ग) एकरा अतिरिक्त अगर अपेक्षित होय, परियोजना क आधार पर, मामला दर मामला आधार पर कोनों दोसर समुचित ढंग क माध्यम सँ लोक परामर्श क पैरवी मूल्यांकन समिति, अथवा विनियामक समिति द्वारा कएल जाए। तथापि, विनियामक प्राधिकरण अई अधिसूचना क खंड 5 के उपखंड(7) के अधीन विचार कयल जा रहल रक्षा परियोजना सबहक मामला सब में

लोक सुनवाई आओर/अथवा परामर्श क साध्यता आओर अपेक्षा पर विनिश्चय कऽय सऽकताह ।

- (2) नऽव अथवा विस्तार प्रस्ताव सभ में अथवा आधुनिकीकरण के सब प्रवर्ग—क आओर प्रवर्ग 'ख1' परियोजना सबहक जिनकर 50% सँ बेसी क्षमता में वृद्धि अछि, से लोक परामर्श करताह ।

परन्तु निम्निलिखित क लेल लोक परामर्श सँ छूट प्राप्त अछि ।

- (क) अनुसूची क मद 4 के अंतर्गत आवय वला सिंचाई परियोजना सब हक आधुनिकीकरण ।
- (ख) अधिसूचित औद्योगिक सम्यक सब के भीतरे अवस्थित अनुसूची क मद 10(च) 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40 क अंतर्गत आवय वला सभ परियोजना सब ।
- (ग) अनुसूची क मद 42 आओर मद 43 के अंतर्गत आवय वला सभ परियोजना सब ।
- (घ) सब प्रवर्ग 'ख2' परियोजना सब आओर क्रियाकलाप ।
- (ङ) राष्ट्रीय रक्षा आओर सुरक्षा से संबंध राखय वला आओर दोसर रणनीतिक महत्व के अन्तर्वलित करय बला परियोजना सब जे केन्द्रीय सरकार अवधारित कऽरैथ ।
- (च) सीमा क्षेत्र सब में मद 31 आओर मद 38 के अधीन सऽब टाऽ रेखीय परियोजना सब ।
- (छ) 12 समुद्री मील सँ अलग अवस्थित सब अपतट परियोजना सब

मुऽदा इएह आओर कि अनुसूची क मद 31 के अधीन सब परियोजना सभ में लोक परामर्श जिला (सब) तक सीमित होएत जायत। राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य अथवा प्रवालभिती अथवा परिस्थिति क संवेदन क्षेत्र अवस्थित अछि।

- (3) जतयऽ लोक सुनवाई क माध्यम सँ लोक परामर्श अपेक्षित अछि, ओतय परियोजना प्रस्तावक यथास्थिति एसपीसीपी अथवा यूटीपीसीसी सँ संबंधित सदस्य सचिव के जनिका अधिकार क्षेत्र में परियोजना अवस्थित अछि, परिशिष्ट-1 में देऽल गेऽल क अनुसार विनिर्दिष्ट रूप विधान में अनुरोध पत्र क संग अंग्रेजी में प्रारूप तैयार कएल गेल प्रारूप ईआईए रिपोर्ट के कऽमो सँ कऽम दऽस हार्ड प्रति सब आओर एकटा साफ्ट (इलेक्ट्रोनिक) प्रति आओर, अंग्रेजी एवं राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र क राजभाषा अथवा क्षेत्र क भाषा में ईआईए रिपोर्ट के सार क कम सँ कम दस हार्ड प्रति सब प्रस्तुत करताह।
- (4) अगर परियोजना स्थल क अंतर्गत एकटा जिला अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सँ बेसी जिला सब, राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र आवईया तऽ परियोजना प्रस्तावक, प्रक्रिया क अनुसार लोक सुनवाई आयोजित करयबाक लेल प्रत्येक संबंधित, एसपीबी अथवा यूटीपीसीसी के अलगे सँ अनुरोध करताह।
- (5) लोक परामर्श परिशिष्ट-1 पर देऽल गेऽल प्रक्रिया क अनुसार परियोजना के विनिर्दिष्ट कराओत।
- (6) लोक सुनवाई जाहि के अंतर्गत संबंधित विनियामक प्राधिकरण के लोक सुनवाई के कार्यवाही सब हक प्रस्तुत केनाई सेहो अछि, परियोजना प्रस्तावक सँ अनुरोध पत्र क प्राप्ति के तारीख सँ चालीस कार्य दिवस क अवधि के भीतरे संबंधित एस पी सी सी अथवा यूटीपीसीसी के द्वारा पूर्ण कऽएल जाऽएत।

- (7) अगर संबंधित एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी पूर्वोक्तानुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरे लोक सुनवाई आरंभ आओर संपूर्ण नहीं करताह तऽ विनियामक प्राधिकरण कोनों दोसर लोक अभिकरण अथवा प्राधिकरण जे विनियामक प्राधिकरण क अधीनस्थ अछि, अहि अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया क अनुसार चालीस कार्य दिवस क अतिरिक्त अवधि के भीतरे प्रक्रिया क संपूर्ण करबाक लेल, विनियोजित करताह ।
- (8) अगर उपरोक्त उपखंड(7) क अधीन नाम निर्दिष्ट लोक अभिकरण अथवा प्राधिकरण संबंधित विनियात्मक प्राधिकरण के ई रिपोर्ट कऽई छैथ जे स्थानीय परिस्थिती क कारण, ऐहेन रीत में लोक सुनवाई करेनाई संभव नहीं अछि जे संबंधित स्थानीय व्यक्ति सबहक विचार सब के स्वतंत्र रूप सँ अभिव्यक्त करवा में समर्थ बऽनेयता, ई संबंधित विनियात्मक प्राधिकरण क विस्तार सँ ओहिं तथ्य सब के रिपोर्ट करताह जे रिपोर्ट आओर ऐहेन दोसर विश्वसनीय जानकारी में हिनका लऽग में होइन केऽ पश्चात् विनिश्चय कय सकताह जेकि अहि मामला में लोक परामर्श में लोक सुनवाई सम्मिलित करनाई आवश्यक नहि अछि ।
- (9) परियोजना क पर्यावरण पहलू सब में युक्ति युक्ति पण राखय वला कोनों दोसर संबंधित व्यक्तिय लोकनि सँ लिखित में प्रत्युत्तर प्राप्त कएल लेल संबंधित एस पी बी अथवा यू टी पी सी सी, लोक सुनवाई क व्यवस्था करबाक लेल लिखित अनुरोध क प्राप्ति के दस दिन क भीतरे अपन वेबसाईट पर विहित प्रारूप में आवेदन क प्रति क संग आवेदक क द्वारा तैयार सार ईआईए रिपोर्ट दय कऽ ऐहेन संबंधित व्यक्ति सब सँ प्रत्युत्तर आमंत्रित कऽरताह । गोपनीय सूचना जाहि में बौद्धिक संपदा अधिकार बला गैर प्रकटनीय अथवा विधिकतः विशेषाधिकार सूचना सेहो अछि, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्त्रोत वेबसाईट

पर नहि देल जाऽयत। संबंधित विनियामक प्राधिकरण परियोजना क विषय में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवा क लेल कोनों दोसर समुचित मीडिया के भी उपयोग कए सकऽताह। तथापि विनियामक प्राधिकरण लोक सुनवाई क तारीख तक सामान्य कार्यालय समय क क्रम में अधिसूचित स्थान पर निरिक्षण क लेल प्रारूप ईआईए रिपोर्ट कोनों भी संबंधित व्यक्ति सँ लिखित अनुरोध कयला सं उपलब्ध कराओत। अहि लोक परामर्श प्रक्रिया क भाग रूप में प्राप्त सऽभ प्रत्युत्तर शीघ्रतम उपलब्ध साधन सबहक माध्यम सँ परियोजना प्रस्तावक के अग्रेषित कयल जेतैन।

- (10) लोक परामर्श क पूर्ण भय गेलाक पश्चात लोक सुनवाई क कार्यवाही सब के प्रति परियोजना प्रस्तावक के भी उपलब्ध कराओल जेतैऽन। परियोजना प्रस्तावक अहि प्रक्रिया के क्रम में अभिव्यक्त तात्विक सब पर्यावरण समस्या सबहक सामाधान करवाह आओर प्रारूप ईआईए रिपोर्ट आओर ईएमपी में न्यूनीकरण योजना संग समुचित परिवर्तन करवाह। अहि प्रकार तैयार कएल गेल अंतिम ईआईए रिपोर्ट मूल्यांकन क लेल संबंधित विनियामक प्राधिकरण के परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत कऽएल जाऽयत।

15. मूल्यांकन

- (1) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के, अहि के प्राप्त भय गेलाक तारीख सँ पन्द्रह कार्य दिवस क भीतरे संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा परियोजना क लेल विहित सौपल गेल कृत्य सभ के प्रति निवेश सँ कराई सँ समीक्षा कएल जाएत। आवेदन में अपर्याप्ता सब ऑनलाईन संसूचित कएल जायत अथवा संपूरित आवेदन ऑनलाईन स्वीकार कयल जायेत।

- (2) प्रवर्ग-ख2 क अंतर्गत आबय बला विषय सब सँ अलग, ताऽ धरि अनुसूची में मद क सोझ में विनिर्दिष्ट रूप सँ उल्लिखित नहीं होय, विनियामक प्राधिकरण क द्वारा स्वीकार कएल गेल सभ आवेदन मूल्यांकन समिति क समक्ष राखल जाएत आओर एकर मूल्यांकन आवेदन स्वीकार कयला क पैतालिस कार्य दिवस क भीतर हिं पूर्ण कयल जायत। मूल्यांकन समिति क पैरवी सब, बैसार के कार्यवृत्त क माध्यम सँ, संबंधित विनियात्मक प्राधिकरण क वेबसाईट पर प्रदर्शित कएल जाएत।
- (3) प्रवर्ग ख2 क अंतर्गत आबय बला विषय सभ के लेल सऽब आवेदन ताऽधरि जावे अनुसूची के मद क समक्ष विनिर्दिष्ट रूप सँ उल्लिखित नहीं होय, विनियात्मक प्राधिकरण के द्वारा आवेदन क स्वीकार करला पऽर, आवेदन क तारीख सँ पैतालिस कार्य दिवस क भीतरहिं ओहि परियोजना क लागू मानक शर्त के संलग्न करि कय ऑनलाईन प्रणाली क माध्यम सँ पूर्व-ईपी जारी कएल जाएत।
- (4) मामला सबहक मूल्यांकन अहि अधिसूचना खंड 15 क उपखंड (2) क अनुसार कोनो एहेन कार्यवाही में पारदर्शी रीत सँ मूल्यांकन समिति क द्वारा कएल जाएत। जकरा लेल परियोजना प्रस्तावक व्यक्तिगत रूप सँ अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि (जे निदेशक बोर्ड में अधिकारी क स्तर सँ नीचा के नई होईथ) क माध्यम सँ अथवा वीडियो कान्फ्रेंसिंग क माध्यम सँ आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करबाक लेल बनाओल जाएत। परियोजना प्रस्तावक समिति क समक्ष, मूल्यांकन के क्रम में ईआईए, रिपोर्ट के तैयार करबा में अन्तर्वलित ईआईए, समन्वयक आओर क्रियात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ (सभ) क सहायता लय सकताह। अई कार्यवाही के समाप्त भयलोपरांत मूल्यांकन समिति विनियामक प्राधिकरण के या तऽ नियत निबंधन सब आओर शर्त सब पर

पूर्व-ईसी मंजूर करय क लेल अथवा एकरा लेल कारण सब सहित पूर्व-ईसी क लेल आवेदन क नामंजूरी क लेल, प्रवर्गीय पैरवी सब करताह।

- (5) अगर पूर्व-ईसी क मंजूरी क लेल परियोजना के पैरवी कयल जाईत अछि तरवन् कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरण सुरक्षापाय सब आओर शर्त सब के स्पष्ट रूप सँ सूचीबद्ध करताह। अगर पैरवी सब अस्वीकृति के लेल अछि तऽ ओहि लेल कारण सबहक सेहो उल्लिखित कराओल जायत।
- (6) परियोजना प्रस्तावक के, प्रस्ताव पर विचार करए आओर बैसार क कार्यसूची के संदर्भ में ऑनलाईन प्रणाली क माध्यम सँ मूल्यांकन समिति के बैसार क नियत तारीख सँ कमों सँ कम दस दिन पूर्वे सूचित कएल जायत।
- (7) मूल्यांकन क समय, मूल्यांकन समिति क द्वारा नव अध्ययन क मांग ताऽ धरि नहि कएल जाएत जाऽ धरि मूल्यांकन समिति क ध्यान में नवका तथ्य नहि आवि जाईत अछि आओर परियोजना प्रस्तावक सँ अतिरिक्त अध्ययन करबाक माँग अपरिहार्य नई भय जाईत अछि आओर एकरा बैसार क कार्यवृत्त में स्पष्टतः दर्शाओल जाएत।
- (8) अनुसूची क मद 42 क स्तम्भ (4) क अधीन ऐहेन परियोजना सबहक दशा में जनिका लऽग हरित भवन निर्माण क अंतिम प्रमाण पत्र अछि, प्रस्ताव पर पूर्वता पर विचार कएल जेतैक।
- (9) मंत्रालय समय-समय पर निगर्मित पर्यावरण उत्तरदायित्व क लेल, मार्गदर्शी जारी करताह जाहि में महत्वपूर्ण रूप सँ प्रदूषित क्षेत्र सबहक, आदि में अवस्थित कयल जायक अनबाक लेल प्रस्तावित नव

परियोजना सब, विस्तार परियोजना सब, आधुनिकीकरण परियोजना सबहक लेल स्लैब परिकल्पित अछि।

- (10) सक्षम पदाधिकारी क समक्ष प्रस्ताव अंकित विनिश्चय क लेल। मूल्यांकन समिति के वैसार क कार्यवृत्त के प्रदर्शित करय वाला तारीख सँ पन्द्रह कार्य दिवस क भीतरे राखल जायत।
- (11) सक्षम पदाधिकारी, अन्य पन्द्रह कार्य दिवस क भीतरे अन्तिम विनिश्चय करताह।

16. आधुनिकीकरण क लेल पूर्व पर्यावरण अनापत्तिक स्वीकृत के लेल प्रक्रिया:-

- (1) अनूसूची में सूचीबद्ध परियोजना सबहक बाबत विद्यमान परिसर सब अथवा खान पट्टा क्षेत्र क भीतर आधुनिकीकरण क लेल पूर्व इसी क मांग करय वला सभ आवेदन अहि में नीऽचा देल गेल मैट्रिक्स क अनुसार अपेक्षा सब हके अध्यधीय होयत।

स्लैब	आधुनिकीकरण के माध्यम से	ऑनलाइन पोर्टल के	विस्तारण के अपेक्षा	पुनरीक्षित	पुनरीक्षित ईएमपी के	कीऽ मूल्यांकन	लोक परामर्श क अपेक्षा
	उत्पादन क्षमता में आशायित वृद्धि	माध्यम सँ प्ररूप में आवेदन		रिपोर्ट क अपेक्षा	अपेक्षा	समिति के निर्दिष्ट कएल गेल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i)	उत्पादन क्षमता में वृद्धिक बिना आधुनिकीकरण	प्ररूप-2	नहिं	नहिं	नहिं	नहिं	नहिं
(ii)	10 प्रतिशत तक	प्ररूप-2	नहिं	नहिं	हँ	नहिं	नहिं
(iii)	10 प्रतिशत सँ बेसी आओर 25 प्रतिशत तक	प्ररूप-2	नहिं	नहिं	हँ	हँ	नहिं
(iv)	25 प्रतिशत से बेसी आओर 50 प्रतिशत	प्ररूप-2	नहिं	हँ	हँ	हँ	नहिं

	तक						
(v)	50 प्रतिशत से बेसी	प्ररूप-1	हँ	हँ	हँ	हँ	हँ खण्ड 14 हक अनुसार

- (2) मैट्रिक्स के अनुसार, अपेक्षा अहि खंड क अधीन छूट के अन्तर्वलित बिना कएन परियोजना क जारी नवीनतम ईसी (जकरा विस्तार प्रवर्ग क अधीन पूर्व-ईसी सेहो अछि) के प्रति निर्देश सँ उत्पादन क्षमता में संचयी वृद्धि क लागू होयत।

उदाहरणार्थ – अगर पूर्व-ईसी युनिट सबहक उत्पादन क्षमता क लेल जारी कयल गेल अछि तऽ आधुनिकीकरण क लेल पूर्व-ईसी के स्वीकृति क लेल आवेदन पर निम्नलिखित अनुसारें भिन्न-भिन्न स्लैब सबहक अधीन विचार कएल जा सकैत अछि।

पूर्व-ईसी (माईन लिएऽ 1/1/2016 कऽ स्वीकृत कएल गेल)

उत्पादन क्षमता : X

क्रम संख्या	संचयी उत्पादन	तारीख	लागू स्लैब	प्रक्रम	कारण
1	X		I		क्षमता में वृद्धिक बिना आधुनिकीकरण
2	1.1X	1.12.2020	II	प्रथम आधुनिकीकरण	नव उत्पादन 1.1 X अछि (X-उत्पादन स्तर जाहि के लेल पूर्व-ईसी प्रदान कएल गेल अछि)
3	1.2 X तक	1.06.2021	III	दोसर आधुनिकीकरण	नव उत्पादन ओहि उत्पादन क 1.2 गुणा अछि जकरा लेल पूर्व-ईसी प्रदानन कएल गेल छल (X)। ई अहि तथ्य के होईते सेहो अछि जे प्रस्तावित उत्पादन

					1.1x के 10% सँ कम अछि जे पहिल आधुनिकीकरण में पूर्व में अनुमोदित कएल गेल छल।
4	1.4X तक	01/06/2022	IV	तेसर आधुनिकीकरण	नव उत्पादन आहि उत्पादन क 1.4 गुणा अछि जकरा लेल पूर्व-इसी प्रदान कएल गेल छल (X)। ई अहि तथ्य क होईतो सेहो अछि जे उसे प्रस्तावित उत्पादन 1.2(X) के 25% सँ कम अछि (जे दोसर आधुनिकीकरण में पूर्वहि अनुमोदित कयल गेल छल)

- (3) तथापि, स्लैब (V) क निबन्धानुसार जारी पूर्व-इसी 'विस्तार' प्रवर्ग क अधीन अनुदत्त कएल गेल बूझल जाएत।
- (4) उपरोक्त उपखंड(2) क उपबंध परियोजना सब लेल लागू नहिं होएत:—
- (क) जे प्रवर्ग ख2 के अंतर्गत आबईया आओर आधुनिकीकरण के आधार पर प्रवर्ग 'ख1' अथवा प्रवर्ग 'क' में संपरिवर्तित होईत अछि: आओर
- (ख) ओहि परियोजना, जकरा लेल लोक सुनवाई ईआईए अधिसूचना (सबहक) अनुसार लागू छल के आजीवन क क्रम में लोक सुनवाई नहि संचालित कएल गेल छल;
- (5) उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा पूर्व में अनुदत्त पूर्व-इसी क संबंध में 10 प्रतिशत तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि क लेल आशायित प्रस्ताव

सबहक लेल, पूर्व-ईसी के लेल सभ आवेदन विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन क स्वीकृति पर जारी कएल जायत।

- (6) पूर्वत्तर स्वीकृत पूर्वक-ईसी क संबंध में 10 प्रतिशत से 50% उत्पादन क्षमता में वृद्धिक लेल आशायित प्रस्ताव सब हक लेल पूर्व-ईसी के लेल सऽय आवेदन सब पर आवेदन क तारीख सँ पैतालिस कार्य दिवस सबहक क भीतरे मूल्यांकन समिति क द्वारा विचार कएल जाएत आओर तदनुसार पूर्व-ईसी के स्वीकृत करबाक लेल मूल्यांकन कएल जाएत।
- (7) वायु (प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अथवा जल (प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण) अधिनियम, 1974 क अधीन गठित तकनीकी समिति क पैरवी पर एसपीसीबी, अथवा यूटीपीसीसी के द्वारा जारी "प्रदूषण भार में कोनों वृद्धि नहिं" प्रमाण पत्र पर सेहों उपर उपखंड (1) में देल गेल सारणी क स्तम्भ(5) आओर स्तम्भ (6) क अधीन अपेक्षित ईआईएए आओर ईएमपी क स्थान पर विचार कएल जाऽयत।

17. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क स्वीकृति अथवा अस्वीकृति:-

- (1) विनियामक प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति क पैरवी पर विचार करताह आओर नीचा देल गेल क अलावे मूल्यांकन समिति क वेसार क कार्यवृत्त क संदर्भ में तीस कार्य दिवस क भीतर अथवा अपेक्षित दस्तावेज सभक सहित सम्पूर्ण आवेदन क प्राप्ति के नब्बे कार्य दिवस क भीतरे परियोजना प्रस्तावक के अपन विनिश्चय के सूचित करय पड़तैन।
- (2) विनियामक प्राधिकरण मूल्यांकन समिति के पैरवी सब पर सामान्यतः स्वीकार करय पड़तैन। ओहि मामला सभ में जतय प्राधिकरण

मूल्यांकन समिति क पैरवी से असहमत होईत छैथ ओतय विनियामक प्राधिकरण, असहमति क लेल, कारण सभहक उल्लेख करैइत मूल्यांकन समिति क बैसार के कार्यवृत्त क पैतालिस कार्य दिवस क भीतरे मूल्यांकन समिति द्वारा पुनर्विचार करवाक लेल मिनती करवाह। अहि विनिश्चय क सूचना आनलाईन मोड के माध्यम सँ आवेदक के संगहि-संग सूचित कएल जाएत। मूल्यांकन समिति, बाद में, विनियामक प्राधिकारी के संप्रेक्षण सभ पर विचार करताह आओर पैतालिस कार्य दिवस क अतिरिक्त अवधि के भीतरे ओहि पर विचार प्रस्तुत करताह। मूल्यांकन समिति क विचार सभ पर विचार कयला क पश्चात विनियामक प्राधिकरण क विनिश्चय अंतिम होयत। ई विनिश्चय संबंधित विनियामक प्राधिकारी के द्वारा आगू तीस दिन कार्य दिवस क भीतरे संबंधित प्राधिकरण के द्वारा परियोजना प्रस्तावक के सूचित कएल जेतैन।

- (3) ओहि दशा में जखन विनियामक प्राधिकरण क विनिश्चय उपरोक्त उपखंड(2) में विनिर्दिष्ट अवधि क भीतरे आवेदक के संसूचित नहिं कएल जाईत छैन। तखन आवेदक ऐना अग्रसर होय ता जेना माँगल गेल पूर्व-ईसी मूल्यांकन समिति क अंतिम पैरवी सबहक निबंधानुसार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृति भय गेल होय अथवा अस्वीकृत कयल गेल होय।
- (4) उपरोक्त उपखंड (2) क अधीन विनियामक प्राधिकरण क द्वारा विनिश्चय के लेल विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त भय गेला पर, विनियामक प्राधिकरण क विनिश्चय आओर मूल्यांकन समिति क पैरवी सब लोक दस्तावेज होयत।
- (5) अन्य विनियामक निकाय सभ अथवा प्राधिकरण सभ सँ अनापत्ति सब यथास्थिति पूर्व ईसी अथवा विस्तारण अथवा मूल्यांकन अथवा संबंधित

विनियामक प्राधिकरण क द्वारा कएल गेल विनियामक सँ पहिने अपेक्षित नहिं होयत अलावे निम्नलिखित के:-

- (क) खनन परियोजना सभक दशा में सक्षम पदाधिकारी सँ खनन योजना के अनुमोदन।
- (ख) परियोजना में अन्तर्वलित वोन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 क 6) क अधीन वनभूमि के विपथन क सिद्धान्त रूप सँ अनुमोदन।
- (ग) सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड क्षेत्र में अवस्थित परियोजना क दशा में राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र तटीय प्रबंध प्राधिकरण के पैरवी सभ: आओर।
- (घ) जखन पूर्व-ईसी क लेल प्रस्ताव पर विचार करबाक लेल भूमिका क पूर्ण अर्जन पूर्व अपेक्षा नहिं भय सकत। सरकारी हस्तक्षेप क माध्यम सँ अर्जित करएक लेल प्रस्तावित परियोजना स्थल (सब हक) संबंध में भूमि क दशा समय-समय पर यथा-संशोधित भूमि अर्जन, पुनर्वास आओर पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 (2013 के अधिनियम संख्या 30) के उपबंध सबहक अनुसार भूमि क अर्जन सँ संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क द्वारा जारी आरंभिक अधिसूचना क प्रति अपेक्षित होयत। भू-स्वामी सबहक संग निजी बात-चीत क माध्यम से अर्जित कएल जा रहल भूमि क दशा में प्रस्तावित परियोजना क लेल भूमि के विक्रय करबाक लेल भू स्वामी क आशय दरशावय बला विश्वसनीय दस्तावेज अपेक्षित होयत। खनन परियोजना सबहक दशा में 'आशय पत्र' के विश्वसनीय दस्तावेज क रूप में मानल जाएत।

- (6) परियोजना प्रस्तावक अथवा एसीओ अथवा ईआईए समन्वयक के कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ, जे ईआईए रिपोर्ट तैयार करय में अन्तर्वलित अछि के द्वारा ऐहेन मिथ्या अथवा फुईस अथवा भ्रामक सूचना अथवा डेटा के नुकेनाई, आओर अथवा ओकरा परोसनाई, कयनाई विस्तारण अथवा मूल्यांकन अथवा आवेदन जाहि में ईआईए रिपोर्ट सेहो अछि, पर, विनिश्चय क लेल सारवान अछि, आवेदन के रद्द करय क लेल दायी हेताह आओर यथा स्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी के रद्दीकरण ओहि आधार पर स्वीकृत कयल जायत ऐहेन आधार पर पहिनहिं यथास्थिति आवेदन क नामंजूरी अथवा पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क रद्दीकरण पर परियोजना प्रस्तावक के वैयक्तिक सुनवाई के अवसर देला क पश्चाते आओर प्राकृतिक न्याय क सिद्धान्त सबहक पालन कऽरि क, विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय कएल जायत।
- (7) ईआईए रिपोर्ट के तैयार करबय में अन्तर्वलित परियोजना प्रस्तावक अथवा एसीओ अथवा ईआईए समन्वयक अथवा कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा देल गेल मिथ्या अथवा फुईस अथवा भ्रामक सूचना अथवा डेटा क संज्ञान पर मंत्रालय समुचित कार्रवाई करताह जाहि में संगठन के अथवा जिम्मेदार व्यक्ति के कारी सूची में देनाई सेहो अछि।
- (8) जतय परियोजना अथवा क्रियाकलापक बाबत सरकार द्वारा मंजूर कयल कोनो पट्टा अथवा अनुज्ञापित अथवा अधिकार अथवा अनुज्ञा अथवा प्राधिकार अथवा त कोनो विधिक कार्यवाही सब में अथवा विधि क अनुसार सरकार द्वारा रद्द कय देल जाईत अछि आओर ओहि परियोजना के संबंध में उक्त पट्टा अथवा अनुज्ञापित अथवा अधिकार अथवा अनुज्ञा अथवा प्राधिकार कोनो दोसर व्यक्ति अथवा सफल

बोली दाता के मंजूर कएल जाईत अछि तखन निम्नलिखित क दशा में:-

- (क) तत्समय प्रवृत्त कोनों विधिक अधीन पूर्वोक्त विषय पर विनिर्दिष्ट अधिनियमित ऐहेन विधि क उपबंध लागू होयत, आओर ।
- (ख) तत्समय प्रवृत्त कोनो विधिक अधीन पूर्वोक्त विषय पर कोनो विनिर्दिष्ट अधिनियम नहिः परियोजना आरम्भ करबाक लेल हकदार विधिक व्यक्ति अथवा विधिक अनुसारें सरकार द्वारा चयनित सफल बोलीदाता पूर्व-इसी के मंजूरी क लेल अछि अधिसूचना क परिशिष्ट-6 में देल गेल प्ररूप-6 में आवेदन करताह । ऐहेन सभटा आवेदन विद्यमान ईआईए रिपोर्ट आओर पूर्व में मंजूर कएल गेल पूर्व-इसी पर विचार करैइत मूल्यांकन समिति द्वारा विचार कएल जायत । मूल्यांकन समिति, ओहि वैधता अवधि के अधीन रहैइत पूर्व-इसी क मंजूरी के लेल ओहि निबंधन सब आओर शर्तक पैरवी कय सकऽत जनिका शुरूये में मंजूर कयल गेल छल । तथापित, मूल्यांकन समिति, ऐहेन परियोजना सबहक लेल, मामला विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्त सब कें जे ओ जरूरी बुझैअथ, नियत कय सकताह ।

18. पूर्व-इसी अथवा पूर्व-ईपी में संशोधन:-

- (1) परियोजना प्रस्तावक, यथा-स्थिति, पूर्व-इसी अथवा पूर्व-ईपी के निबंधन सभ आओर शर्त सभ में कोनो परिवर्तन सँ संबंधित अभिहित पोर्टल पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण के प्ररूप-4 में ऑनलाईन आवेदन करताह ।

- (2) पूर्व-ईसी में संशोधन क लेल सभ आवेदन सब पर आवेदन क तारीख सँ पैतालीस कार्यदिवस क भीतरे मूल्यांकन समिति क द्वारा बिचार कएल जाएत आओर पूर्व-ईसी में संशोधन क पैरवी क लेल मूल्यांकन कएल जाएत ।
- (3) पूर्व-ईपी में संशोधन क लेल सभ आवेदन सब पर आवेदन क तारीख सँ बीस कार्य दिवस क भीतरे विनियामक प्राधिकारी क द्वारा विचार कएल जाएत आओर तकरा अनुसारें पूर्व-ईपी में अनुमोदित संशोधन जारी कएल जायत ।
- (4) लोक परामर्श करय के अथवा पूर्व-ईसी क मंजूरी के पश्चात परियोजना स्थल अवस्थान में कोनो बदलाव नऽव प्रस्ताव बूझल जायत आओर ओकरा विहित प्रक्रिया क अनुसारें नव शुरूआत सँ, ताऽ धरि मूल्यांकन नहि कएल जायत जाऽ धरि मूल्यांकन समिति क ई समाधान नहिं भय जाईत अछि जे बदलाव ऐतेक छोट अछि जे ईआईए रिपोर्ट में कोनो अंतर नहिं पऽड़त । मूल्यांकन समिति क पैरवी पर, विनियामक प्राधिकरण, पूर्व-ईसी में संशोधन जारी करताह ।
- (5) जाबे धरि उच्चतम उत्पादन क्षमता, खनन पट्टा क्षेत्र, खान बंद करय बला शर्त सब अपरिवर्तित रहैत अछि आओर परियोजना प्रस्तावक के द्वारा लागू कयल गेल अछि ताबे धरि न्यूनीकरण उपैऽ सबहक प्रकृति आओर विस्तार, मंजूर कयल गेल, पूर्व-ईसी में प्रतिबद्ध कयल गेल अनुसार, ओहि काल बिन्दु पर कयल जा रहल उत्खनन क मात्रा के तदनुरूप लागू अछि, परियोजना प्रस्तावक, पूर्व-ईसी में अनुज्ञात उच्चतम उत्पादन के अधिकतम तक उत्पादन कए सकई छैथ आओर खनन के संक्रिया सबहक अनुक्रम में परिवर्तन सेहो अनुज्ञात, कएल जाईत अछि । तकरा बावजूदों परियोजना प्रस्तावक, अनुसूचित उत्पादन आओर/अथवा आवधिक रिपोर्ट में तदनुरूप न्यूनीकरण,

उपैऽ सबहक संग संक्रिया सबहक अनुक्रम में ऐहेन परिवर्तन क रिपोर्ट करताह। एकरा अलावे असफलता उत्पादन क मात्रा के तदनु रूप आंशिक न्यूनीकरण उपैऽ अछि अथवा जे संक्रिया क अनुक्रम में परिवर्तन के ध्यान में रखैत अपेक्षित अछि, जाहि पर परियोजना प्रस्तावक के तरफ सँ अनुपालन क रूप में विचार कयल जाएत जे अपेक्षित कार्रवाई क लेल दायी होयत।

- (6) दोसर परियोजना सबहक मामला सब में यथास्थिति, पूर्व-इसी अथवा पूर्व-ईपी में कोनो संशोधन ओहि काल स्वीकृत क्षमता में, जकरा लेल यथास्थिति पूर्व-इसी अथवा पूर्व-ईपी मंजूर कयल गेल अछि परिवर्तन क बिनु यूनिट सब पर उपस्कर अथवा मशीनरी क समाकृति में परिवर्तन क लेल अपेक्षित अछि।
- (7) सिंचाई प्रौद्योगिकी में ऐहेन परिवर्तन जकर परिणाम पर्यावरण लाभ सबहक (उदाहरणार्थ, फब्बारा सँ सिंचाई, आदि के लेल बाढ़ सिंचाई) कारण सर्वदलीय कमान क्षेत्र में वृद्धि, होइत अछि, किन्तु बान्ह क उंचाई आओर जलमग्न में वृद्धि क बिना यथा-स्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व-ईपी में संशोधन क आवश्यकता नहिं होयत।

19. पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा क विधि मान्यता:-

- (1) यथास्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व ई.पी. क अवधि के विधिमान्यता में परियोजना के तीन चरण में अन्तर्वलित होयत:-
 - (क) संनिर्वाण अथवा संस्थापन चरण, आओर
 - (ख) सक्रियात्मक चरण आओर
 - (ग) व्यतिरिक्ता अथवा समापन अथवा विखंडन चरण
- (1) संनिर्माण अथवा संस्थापन चरण -

संनिर्माण अथवा संस्थापन चरण से विनियामक प्राधिकरण के द्वारा निम्नलिखित के लेल यथास्थिति, पूर्व ईसी अथवा पूर्व-ईपी क मंजूरी क तारीख सँ अवधि अभिप्रेत अछि—

- (क) संनिर्माण परियोजना (अनुसूची क मद 42 आओर मद 43) संनिर्माण परियोजना सबहक दशा में ओहि सभ संनिर्माण क्रियाकलाप सबहक समापन जनिका यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क लेल आवेदन सँ संबंध अछि आओर/अथवा
- (ख) संयत्र आओर मशीनरी के संस्थापन क समापन जाहि में सऽब अन्य मामला सब (अनुसूची क मद 1, मद 42 ओआर मद 43 सँ भिन्न) में उत्पादन संक्रिया सबहक प्रारंभ सेहो अछि जनिका, यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क लेल आवेदन सँ संबंध अछि।
- (ग) मूल्यांकन समिति के द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना अवधि अधिकतम पच्चास वर्ष अथवा खनन पट्टा क विधिमान्यता के अवधि धरि, अहि में सँ जे भी पहिने भजाय, क अध्यधीन अछि।

संनिर्माण आओर/अथवा संस्थापन चरण क लेल पूर्व-ईसी क विधि मान्यता क अवधि निम्नलिखित होयत—

- (घ) खनन परियोजना सब:— मूल्यांकन समिति द्वारा यथा-प्राक्कलित परियोजना अवधि अधिकतम पच्चास वर्ष क अध्यधीन अथवा खान पट्ट क विधि मान्यता क अवधि धैर, जे भी पहिने होय यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क

मंजूरी क तारीख सँ दस वरख क भीतरे खनन क्रियाकलाप के प्रारंभ क अध्यक्षीन;

(ड) नदी घाटी परियोजना सब (अनुसूची के मद 3) अथवा सिंचाई परियोजना सब (अनुसूची के मद 4) अथवा परमाणु शक्ति परियोजना सब आओर परमाणु इंधन क प्रसंस्करण (अनुसूची के मद 6) पन्द्रह वर्ष;

(च) सबटा अन्य परियोजना सब: 10 वर्ष परन्तु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण क समक्ष कम्पनी सबहक दिवाला समाधान प्रक्रिया क अवधि अथवा कोनो दोसर अधिकरण अथवा न्यायालय क द्वारा परियोजना क संनिर्माण आओर/अथवा संस्थापन पर प्रतिषेद्य अछि अथवा पाबंदी क अवधि अथवा कोनो दोसर प्राधिकरण क अधिरोपित विलंबन काल, तीन वरखक अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन उपर विनिर्दिष्ट यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी के विधि मान्यता क अवधि के संगणना क लेल अपवर्जित कएल जायत।

(II) संक्रियात्मक चरण:— संक्रियात्मक चरण क विधिमान्यता व्यपगत भय जाएत यदि, यथास्थिति, संनिर्माण आओर/अथवा संस्थापन अहि अधिसूचना क खंड (19) के उपखंड (2) आओर उपखंड (3) के अनुसार तत्स्थायी विधिमान्यता क भीतरे पूरा नहि कएल जाइत अछि। अहि अधिसूचना क खंड (19) क उपखंड (2) क उपबंध सबहक अधीन रहैइत, खनन के अलावे परियोजना सबहक संक्रियात्मक चरण के लेल, यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी के विधि मान्यता—

- (क) परियोजना क शेष अवधि के लेल शाश्वत होयत
- (ख) संपूरित परियोजना तक सीमित होयत अथवा स्पष्ट कयल जाईत अछि कि मात्र परियोजना क संपूरित भाग परियोजना के शेष अवधिक लेल शाश्वत् क रूप में ओतय मानल जायत् जतय परियोजना उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरे आंशिक रूप से कार्यान्वित कएल जाईत अछि ।
- (2) क्षेत्र विकास परियोजना सबहक मामला सब में यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व ईपी के विधि मान्यता ऐहेन क्रियाकलापहिं सब तक सीमित होयत, जे विकासकर्ता क रूप में परियोजना प्रस्तावक क जिम्मेवारी भय सऽकत ।
- (3) ऐहेन खनन परियोजना सभ क मामला सब में, यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी में मंजूर कएल गेल क्षमता सँ कम कार्य कयने अछि आओर मूल्यांकन समिति क द्वारा यथास्थिति प्राक्कलित परियोजना अवधि के भीतरे आरक्षिति सब समाप्त नहिं होयल अछि, पूर्व-ईसी क विधिमान्यता अवधि ओहि उत्पादन क्षमता आओर खनन पट्टा क्षेत्र क लेल मूल्यांकन समिति के पैरवी पर बढ़ाओल जा सकत जाहिं के लेल यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व ईपी मंजूर कएल गेल छल । तथापि, यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क विधिमान्यता खनन पट्टा सबहक अवधि सँ बेसी के नहिं होयत ।

20. परियोजना पक्ष पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी के मानीटरी:-

- (1) परियोजना प्रस्तावक कर्मों सँ कम दू स्थानीय समाचार पत्र सभ में, अपनहिं खर्च पर अहि तथ्य के मुख्यतः विज्ञापित करबाओत जे परियोजना के विनियामक प्राधिकरण क वेबसाईट के ब्यौरा क संग यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी प्रदान कए देल गेल अछि,

यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क प्रति समदर्शित कएल जायत। यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क प्रति सेहो कंपनी आओर सुसंगत परियोजना क वेबसाईट पर स्थायी रूप सँ संप्रदर्शित कएल जायत।

(2) विनियामक प्राधिकरण, यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी अप्पन अभिहित पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में दय देताह।

(3) पूर्व ईसी क प्रति सब अनापत्ति के मंजूरी क तीस दिन क भीतरे निम्नलिखित प्राधिकारी सब के परियोजना प्रस्तावक सब हक द्वारा प्रस्तुत कएल जाएत जे ओकरा बाद में प्राप्ति क तारीख सँ तीन दिन क भीतरे ओकरा संप्रदर्शित करई छैथ।

(क) जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलक्टर / उपायुक्त (सब)

(ख) जिला परिषद् अथवा नगर निगम अथवा पंचायत संघ

(ग) जिला उद्योग कार्यालय

(घ) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) संबंधित पंचायत राज संस्था सब, विकास प्राधिकरण।

(ङ) मंत्रालय क संबंधित प्रादेशिक कार्यालय, आओर

(च) एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय

4. परियोजना प्रस्तावक के लेल इएह आज्ञापक होयत कि ओ पूर्व वित्तीय वर्ष सँ संबोधित यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी में नियत शर्त सबहक बाबत अनुपालन रिपोर्ट अभिहित पोर्टल के माध्यम सँ ऑनलाईन 30 जून तक प्रस्तुत करैथ। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित, विनियामक प्राधिकारी के पूर्व-ईसी क मंजूरी के तारीख सँ परियोजना अवधि तक प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत कएल जायत तथापि,

विनियामक प्राधिकरण, यदि आवश्यक बुझाय तऽ बेसी बेऽर-बेऽर बारंबार अंतराल सब पर ऐहेन अनुपालन रिपोर्ट क मांग कय सकताह।

5. सुसंगत वित्तीय वर्ष क पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष संबंधित यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी में उल्लिखित शर्त सबहक बाबत वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट सबके 30 जून धरि प्रस्तुत करबाऽ में असफलता क दशा में प्रवर्ग 'ख2' परियोजना सबहक मामला सब में 500/- टाका प्रतिदिन बिलम्ब शुल्क प्रवर्ग 'ख1'। परियोजना सबहक क मामला सब में 1000/- टाका प्रतिदिन आओर प्रवर्ग क परियोजना सबहक मामला में 2500/- टाका, प्रतिदिन विलंब शुल्क उद्धाहित कयल जायत। यदि यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी में उल्लिखित शर्त सबहक बाबत अनुपालन रिपोर्ट सभ के प्रस्तुत नहि कएल जायत अछि तऽ निरंतर तीन वर्ष के अवधि के लेल शर्त सब लागू रहऽत, यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी के अहि सम्बन्ध में कोनो सूचना के वगैर वापस लेल गेल बूझल जायत।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सभ अनुपालन रिपोर्ट सभके सम्बन्धित विनियामक प्राधिकरण क वेबसाईट पर उपलब्ध कराओल जायत।
7. नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावक क वेबसाईट पर सेहो संप्रदर्शित कएल जायत।
8. प्रवर्ग 'क' परियोजना सभक लेल पूर्व-ईसी के बाबत विहित शर्त सबहक अनुपालन मॉनिटरी मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय अथवा सीपीसीबी के प्रादेशिक निदेशालय द्वारा कएल जायत। मॉनिटरी रिपोर्ट, निरीक्षण के तारीख सँ पन्द्रह दिन क भीतरे अभिहित वेब पोर्टल पर अपलोड कयल जायत।

9. प्रवर्ग 'ख' परियोजना क लेल पूर्व-ईसी आओर प्रवर्ग 'ख2' परियोजना सबहक लेल पूर्व-ईपी के बाबत विदित शर्त सबहक अनुपालन मॉनिटरी एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी द्वारा कयल जाएत। मॉनिटरी रिपोर्ट निरीक्षण क तारीख सँ पन्द्रह दिन क भीतरे अभिहित पोर्टल पर अपलोड कएल जायत।
 10. उपरोक्त उपबंध सब के होईतो सेहो मंत्रालय क प्रादेशिक कार्यालय सीपीसीबी, एसपीसीबी अथवा इटीपीसीसी के प्रादेशिक निदेशालय क माध्यम सँ मनीटरी क लेल मंत्रालय क प्रयास सबके अनुपूरित करबाक लेल, मंत्रालय, यादृच्छिक रीति में परियोजना सब हक, यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व -ईपी क शर्त सब हक अनुपालन मानीटरी करबाक लेल राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरकारी संस्था सबहक पैनलीकृत कय सकताह ।
 11. अनुपालन मानीटरी, अन्य गप्पक संग-संग मूल्यांकन समिति के द्वारा यथा मूल्यांकित ईआईई रिपोर्ट में उपलब्ध आधार, रेखा सूचना, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी के निबंधन सब आओर शर्त सब आओर संगहि दोसर उपबंध सब जे कि समय समय पर मंत्रालय के द्वारा विनिर्दिष्ट कयल जाय के लेल जायत।
21. पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपीक स्थानांतरणीयता
1. कोनो परियोजना प्रस्तावक के विनिर्दिष्ट परियोजना क लेल मंजूरी कएल गेल यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी अंतरण क तारीख एक वर्ष क भीतरे प्ररूप 5 में अंतरक द्वारा अथवा अंतरिति द्वारा आवेदन पर परियोजना के आरंभ करबाक लेल हकदार एकटा दोसर विधिक व्यक्ति के एकर विधिकमान्यता के क्रम में अंतरक द्वारा लिखित अनापत्ति जे विनियामक प्राधिकरण क समक्ष फाइल कएल जाय, संगहि अंतरित कयल जा सकत। विनियामक प्राधिकरण, ओहि शर्त सबहक आओर निबंधन सब के आधार पर यथास्थिति पूर्व-ईसी

अथवा पूर्व-ईपी के अंतरित कय सऽकत जिनका अधीन यथास्थिति, पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी आरंभ माईन लेल गेल छल आओर ओहि विधिमान्यता अवधि क लेल ऐहेन मामला सब में मूल्यांकन समिति के कोनो निर्देश नहिं कएल जाऽयत।

2. कोनो विनिर्दिष्ट परियोजना क लेल मंजूर कयल गेल पूर्व-ईसी दू अथवा बेसी ऐहेन विधिक व्यक्ति सब में विभाजित कयल जा सकैत अदि जे परियोजना के आरंभ करय के हकदार अछि आओर अंतरण क तारीख सँ एक बरखक भीतरे विनियामक प्राधिकरण क समक्ष फाईल कएल जाय बला प्ररूप में अंतरण के द्वारा आवेदन पर कोनो दोसर विधिक व्यक्ति (सब) के एकर विधि मान्यता क क्रम में अंतरित कयल जा सकैत अछि। विनियामक प्राधिकरण मूल्यांकन समिति के पैरवी पर पूर्व-ईसी कें अंतरण करताह जे दू अथवा बेसी विधिक व्यक्ति (सब) में विभाजित सऽभ परियोजना सबहक लेल शर्त सब विहित करताह।
3. परियोजना सब के आरंभ करबाक लेल, हकदार दू अथवा बेसी विधिक व्यक्ति सब के मंजूर कयल गेल, पूर्व-ईसी आओर ई योजना सब संलग्न भूमि अवस्थित होयबाक कारणे परियोजना सब के आरंभ करबाक हकदार कोनो दोसर व्यक्ति के हुनक विधि मान्यता क क्रम में समाभेलित आओर अंतरित कयल जा सकत। आवेदन, अंतरक द्वारा लिखित अनापत्ति जेऽ अंतरण क तारीख सँ एक बरखक भीतरे, समाभेलित क्रियाकलाप के लल लागू विनियामक प्राधिकरण क समक्ष फाईल कयल जाइत अछि, के संग पररूप 5 में अंतरित क द्वारा फाईल कयल जाएत। संबंधित विनियामक प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति क पैरवी पर पूर्व-ईसी के अंतरित करताह जे समाभेलित पूर्व-ईसी क लेल शर्त सबके विहित करताह।

22. अतिक्रमण मामला सब पर कार्रवाई:-

1. अतिक्रमण पर संज्ञान निम्नलिखित पर कयल जायत:-
 - क. परियोजना प्रस्तावक के स्वप्रेरणा सँ कयल गेल आवेदन;
अथवा
 - ख. कोनो सरकारी प्राधिकारी क द्वारा रिपोर्ट कैयनाई; अथवा
 - ग. मूल्यांकन समिति क द्वारा मूल्यांकन क क्रम में पाओल गेल;
अथवा
 - घ. विनियामक प्राधिकरण क द्वारा कएल गेल आवेदन यदि कोनो
होय के प्रक्रिया करबाक क्रम में पाओल जेनाई।
2. अतिक्रमण के मामला सबहक मूल्यांकन इएह निर्धारण करबाक दृष्टि
सँ मूल्यांकन समिति क द्वारा कयल जायत जेऽ परियोजना के स्थल
पर सँ निर्माण कयल गेल अछि आओर ओकरा लय जायल गेल
अछि, जेऽ विद्यमान विधि सबहक अधीन अनुज्ञेय अथवा विस्तार
कयल गेल अछि, जकरा पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षापाय सबहक संगे
पर्यावरण संनियम सबहक अनुपालन क अधीन कैऽम राखल जा
सकैइत अछि। यदि मूल्यांकन समिति क निष्कर्ष नकारात्मक अछि
तऽ परियोजना के समापन क पैरवी पुनः उपचार क लेल निदेश
सबहक संग विधि क अधीन दोसर कार्रवाई सभ के संग कयल
जायत।
3. अगर, जाहिहाम मूल्यांकन समिति क निष्कर्ष सकारात्मक अछि, ओतय
अहि प्रवर्ग के अधीन परियोजना परिस्थितिकीय नुकसान क निर्धारण
पुनः उपचार योजना आओर परियोजना के लागू मानक सौंपल गेल,
कृत्य क अतिरिक्त प्राकृतिक आओर सामुदायिक संसाधन वृद्धि पर
समुचित विनिर्दिष्ट सौंपल गेल कृत्य क संग विहित कयल जायत।
4. सीपीसीबी समय-समय पर परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण क
लेल मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करताह।

5. परियोजना प्रस्तावक, समय-समय पर अहि विषय में सीपीसीबी क द्वारा जारी कयल मार्गदर्शी सिद्धान्त क अनुसार परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण क रिपोर्ट, एसीओ क माध्यम सँ ईआईए रिपोर्ट में स्वतंत्र अध्याय के रूप में पुनः उपचार योजना एवं प्राकृतिक आओर सामुदायिक संसाधन कृषि योजना क संग तैयार करताह।
6. परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण क लेल क्रेता संग्रहण आओर विश्लेषण पुनः उपचार एवं प्राकृतिक आओर सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना क तैयार कैयनाइ। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यक् अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला सभहक लेल राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड क द्वारा प्रत्ययित पर्यावरण प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण क क्षेत्र में कार्यरत संस्था वैज्ञानिक आओर औद्योगिक अनुसंधन परिषद क प्रयोगशाला द्वारा कयल जाएत।
7. मूल्यांकन समिति, ईएमपी के कार्यान्वयन क नियल कऽरत जाहि में निर्धारित परिस्थितिकीय नुकसान स्व-प्रेरणा के कयल गेल आवेदन क मामला सभ में अतिक्रमण क कारण व्युत्पन्न आर्थिक फायदा के 1.5 गुणा क अथवा पर्यावरण अनापत्तिक शर्त क रूप में सरकार क द्वारा रिपोर्ट कयल गेल अथवा मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन क क्रम में पाओल गेल मामला सबे में अतिक्रमण क कारण निर्धारित परिस्थितिकीय नुकसान आओर व्युत्पन्न आर्थिक नफाऽ के दू गुणा क तत्समान, पुनः उपचार योजना आओर प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन योजना सम्मिलित अछि। परन्तु मंत्रालय उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त अथवा तंत्र विहित कैयऽ सकत जकरा माध्यम सँ परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बाध्यता के निर्वहन करताह।
8. स्वप्रेरणा कएल गेल आवेदनक माध्यम सँ अतिक्रमण क संज्ञान लेला पर प्रवर्ग 'ख2' परियोजना सबहक मामला में 1000/- टाका

प्रतिदिन प्रवर्ग 'ख1'। परियोजना सभक मामला में 2000/- टाका प्रतिदिन आओर प्रवर्ग 'क' परियोजना सभ क मामला सभ में 5000/- टाका प्रतिदिन के कय विलम्ब शुल्क क संवाय आवेदन क तारीख तक आवेदन क समय अतिक्रमण के तारीख क अवधि के लेल संगणित कयल गेलनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा कएल जायत।

9. कोनो सरकारी प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट कैय केऽ अथवा मूल्यांकन समिति के द्वारा मूल्यांकन क क्रम में पाओल गेल अथवा विनियामक प्राधिकरण क द्वारा आवेदन, यदि कोनो होय, अदिक प्रक्रिया करबा में पाओल गेल अतिक्रमण क संज्ञान लेला पर प्रवर्ग 'ख' परियोजना सबहक मामला सब में 2000/- टाका प्रतिदिन; प्रवर्ग 'ख1'। परियोजना सबहक मामला में 4000/- टाका प्रतिदिन, आओर प्रवर्ग 'क' परियोजना सबहक मामला में 10000/- टाका प्रतिदिन विलंब शुल्क क संदाय आवेदन क तारीख तक अतिक्रमण के तारीख क अवधि के लेल आवेदन क काल संगणित कयल गेलानुसार परियोजना समन्वयक द्वारा कयल जायत।

उपरोक्त उप खंड (8) आओर उपखंड (9) के प्रयोजन क लेल अतिक्रमणक तारीख 14 अप्रैल, 2018 बूझल जाएत (अधिसूचना सं० का० आ० 804 (अ) तारीख 14 मार्च 2017, 2018 क डब्ल्यूएमपी सं 336। आओर 3362 आओर 2017 क रिट याचिका संख्या 11189 डब्ल्यूएमपी संख्या 3721 में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास क आदेश तारीख 14 मार्च 2018 द्वारा पश्चार्तकर्ता आदेश) अथवा अतिक्रमण क मामला सब के लेल उपबंधित समय-सीमा के समाप्त होयबाक तारीख ओहि वर्षक 1 अप्रैल, जाहि में अतिक्रमण भेल अछि।

10. परियोजना प्रस्तावक सँ पुनः उपचार आओर प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना क रकम सँ समतुल्य पाँच बरखक लेल बैध

यथास्थिति/ बैंक गारंटी/ एमपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी के प्रस्तुत करबाक अपेक्षा कएल जाऽयत आओर अर्हता क पैरवी मूलाकन द्वारा कायल जायत आओर तीन वरख क अवधि क भीतरे कार्यान्वयन के शर्तक संगे विनियामक प्राधिकरण क द्वारा अंतिम रूप देल जायत।

11. परियोजना प्रस्तावक अहि अधिसूचना क खंड 13 में देल गेल उपबंध सबहक अनुसार ईआईए रिपोर्ट तैयार करताह आओर लोक परामर्श अहि अधिसूचना क खंड 14 में देल गेल उपबंध सबहक अनुसार कयल जायत।
12. प्रस्ताव सबहक मूल्यांकन अहि अधिसूचना क खंड 15 में देल गेल उपलब्ध सभक अनुसार कयल जायत।
13. बैंक गारंटी पर्यावरण अनापत्ति के मंजूरी सँ पूर्व जमा कऽयल जायत आओर पुनः उपचार योजना जेनाकि प्राकृतिक आओर सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना के सफल कार्यान्वयन एवं प्रवर्ग 'क' परियोजना क दशा में मंत्रालय क प्रादेशिक कार्यालय के द्वारा पैरवी सम अथवा यथास्थिति एमपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी क क्रियाकलाप आओर विनियामक प्राधिकारी क अनुमोदन क पश्चात जारी कयल जातेइक।
14. एकरा अलावें, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा 19 के उपबंध क अधीन यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा एसपीसीबी अथवा यूटीपीसी के द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई कएल जायत।
15. एकरा अलावें, प्रचालन क लेल कोनो सहमति अथवा परियोजना के अतिक्रमण संघटक क लेल अधिभोग प्रमाण पत्र ताऽ धऽरि जारी नहि कयल जायत जाऽ धऽरि परियोजना के पर्यावरण अनापत्ति मंजूर नहिं मयऽ जाईया। यदि यथास्थिति पूर्व-ईसी अथवा पूर्वी-ईपी के बिनु परियोजना क प्रचालन करबाक सहमति अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी कयल गेल अछि, तखन एकरा अंतिम बूझल जायत आओर

ऐहेन परियोजना सब हक लेल अतिक्रमण क रिपोर्ट कयला के छह मासक भीतरे समाप्त भय जाएत । जिनका सँ अहि अधिसूचना क खंड 14 क उपखंड (2) क अनुसार लोक परामर्श करबाक अपेक्षा नहिं कयल जाईत अछि आओर परियोजना क लेल एक वर्ष तक लोक परामर्श करय के अपेक्षा नहिं कयल जाईत अछि जाऽ धरि एहि अवधि क भीतरे, यथास्थिति ईआईए रिपोर्ट अथवा ईएमपी क संग पूर्व इसी किमीक लेल आवेदन फाईल नहि कय देल गेल होई ।

23. अनुपालन पर कार्रवाई:-

- 1- यथास्थिति, पूर्व इसी अथवा पूर्व ईपी के शर्त सबहक अनुपालन क संज्ञान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा स्व प्रेरणा सँ रिपोर्ट करयऽ अथवा सरकारी प्राधिकारी क द्वारा रिपोर्ट करयऽ के आधार पर अथवा मूल्यांकन समिति क मूल्यांकन के क्रम में पाओल गेल अथवा विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन यदि क्यों होऽई, के प्रक्रिया क क्रम में पाओल गेल आधार पर लेल जाएत ।
- 2- प्रवर्ग 'क' परियोजना सबहक सम्बन्ध में पूर्व-इसी के शर्त सबहक अनुपालन केन्द्रीय स्तर पर मंत्रालय क द्वारा प्रयोजना क लेल गठित विशेष समिति के निर्दिष्ट कयल जायेत ।
- 3- प्रवर्ग 'ख' परियोजना सब में पूर्व-इसी के शर्त सब हक रिपोर्ट कयल गेल अनुपालन राज्य स्तर पर मंत्रालय द्वारा प्रयोजन क लेल गठित विशेषज्ञ समिति के निर्दिष्ट कएल जायत ।
- 4- सम्यक्: गठित विशेषज्ञ समिति क अनुपस्थिति में, संबंधित मूल्यांकन समिति विशेषज्ञ समिति क रूप में कार्य करताऽ ।
- 5- विशेषज्ञ समिति, ऐहेन कोनो कार्यवाही में पारदर्शी रीति में, रिपोर्ट कयल गेल अनुपालन सब पर विचार विमर्श करताह, जनिका लेल परियोजना प्रस्तावक के वैयक्तिक रूप से अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम सँ अथवा वीडियो कन्फेसिंग के माध्यम सँ आवश्यक

स्पष्टीकरण देवाक लेल बजाओल जेतैन। जनिका विनिश्चत विनियामक प्राधिकरण द्वारा कएल जायत।

- 6- कार्यवाही क समाप्ति पडर, विशेषज्ञ समिति पूर्व-ईसी के शर्त सभक लेल समयबद्ध कार्रवाई योजना क लेल परियोजना प्रस्तावक के एवं यथास्थिति एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी के लऽग में अनुपालन क प्रयोजन के लेल प्रत्याभूति भूमि के रूप में जमा बैंक गारंटी के पाई क लेल निर्णयात्मक पैरवी करताह।
- 7- बैंक-गारंटी, कार्रवाई योजना क सफल कार्यान्वयन के पश्चात् एवं मंत्रालय क क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रवर्ग 'क' परियोजना सबहक मामला सभ में सीपीसीबी प्रवर्ग 'ख' परियोजना सबहक मामला सभ में एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी के क्षेत्रीय निदेशालय के पैरवी सब जारी कयल जायत।

24. रेत खनन अथवा नदीतल खनन आओर अन्य लघु खनिज सबहक खनन, कलस्टर विरचना क लेल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट करेनाई एवं एकरा लेल मानीटरी प्रक्रिया:-

1. पर्यावरण, वेन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, समय-समय पर 'लघु खनिज सबहक' खनन के लेल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तैयार करयबाक लेल विहित प्रक्रिया जारी करताह ।
2. पर्यावरण, वोन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रवर्तन, लघु खनिज सबहक खनन क मानीटरी, जाहि में समय समय पर पर्यावरणीय संपरीक्षा सेहो अछि, के लेले प्रक्रिया जारी करताह।
3. कलस्टर परिस्थिति क बाबत प्रक्रिया निम्नानुसार होयत:-
 - क. कलस्टर तऽखन बनाओल जायत जऽखन एक पट्टा क परिधि सब हक बीच क दूरी कोनो समरूप खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टा के परिधि सँ 500 मीटर से कम अछि जे 9 सितम्बर 2013 क अनुदत्त खन पट्टा अथवा खदान अनुज्ञप्ति सब के

लागू होयत। परन्तु संलग्न क्षेत्र में राज्य सरकार क खान एवं भूविज्ञान—

- (i) खान योजना के प्रभारी रूप सँ तैयार करबाक लेल आओर ओऽकर कार्यान्वयन तथा यथास्थिति ईआईए अथवा ईएमपी के लेल स्थानीय परिस्थिति क अनुसार कलस्टर क आकार के परिभाषित करताह;
 - (ii) कलस्टर क लेल खान योजना आओर यथास्थिति ई आई ए अथवा ईएमपी तैयार कऽरत;
 - (iii) क्षेत्रीय खान योजना आओर यथास्थिति क्षेत्रीय ईआईए अथवा ईएमपी, जाहि में ओहि सामीप्य में सब कलस्टर सब छई, तैयार करताह; आओर
 - (iv) कलस्टर आओर यथास्थिति, क्षेत्रीय ईआईए अथवा ईएमपी के कार्यान्वयन क लेल पूर्व निर्धारित अनुपात में परियोजना प्रस्तावक सब सँ निधि सब जुटावय क उपबंध करताह,
- क. परन्तु ई आओर कि ऐहेन पट्टा सब जे तीन वर्ष अथवा ओई सँ बेसी के लेल क्रियाशील नहिं अछि आओर ओ पट्टा सब जनिका 15 जनवरी 2016 तक पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त भय गेल छैन, कलस्टर क क्षेत्र के संगणना करबाक लेल नहि गानल जायत, किन्तु यथास्थिति ईआईए अथवा ईएमपी में सम्मिलित कयल जायत।
- ख. जिला खनिज निधि के यथास्थिति, ईआईए अथवा ईएमपी, कार्यान्वयन के लेल निधि में

वृद्धि करबाक लेल सेही प्रयोग कयल जा सकैत अछि।

- ग. यथास्थिति कलस्टर ईआईए अथवा कलस्टर ईएमपी सब सम्भव वाहता सब के नियंत्रित कराबय के लेल सम्पूर्ण कलस्टर क लेल तैयारी करेनाई अपेक्षित अछि। अई रिपोर्ट सब में कलस्टर क बहन क्षमता, कलस्टर क्षेत्र क, परिवहन आओर सम्बद्ध विषय सब, पुनः पूर्ति एवं पुनर्भरण विषय सब, भू जल विज्ञान अध्ययन क उल्लेख हैतैक। यथा-स्थिति, कलस्टर ईआईए अथवा 'कलस्टर ईएमपी', यथास्थित राज्य अथवा राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण अथवा कलस्टर में परियोजना प्रस्तावक के समूह अथवा कलस्टर में परियोजना प्रस्तावक सबहक समूह अथवा कलस्टर में परियोजना प्रस्तावक के द्वारा तैयार कएल जायत।
- घ. सम्पूर्ण कलस्टर के लेल एकटा लोक परामर्श होयत जकरा पश्चात् कलस्टर के लेल यथास्थिति अन्तिम कलस्टर ईआईए अथवा कलस्टर ईएमपी तैयार कयल जायत।
- ड. व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावक के लेल यथा स्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी के लेल आवेदन कयल जायत आओर एकरा हुनका जारी कयल जायत। व्यष्टिक पट्टाधारक; कलस्टर में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लेल

आवेदन के प्रयोजन क लेल, यथास्थिति, ओहि कलस्टर ईआईए अथवा कलस्टर ईएमपी क, उपयोग कय सकैई छैथ। यथास्थिति, 'कलस्टर ईआईए' अथवा 'कलस्टर ईएमपी' फाईल कयल गेल स्तर पर कोनो महत्वपूर्ण परिवर्तन के ध्यान में रखैइत अद्यैतन कयल आयत।

च. यथास्थिति 'कलस्टर ईआईए' अथवा 'कलस्टर ईएमपी' ओहि कलस्टर में प्रत्येक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में परिलक्षित कयल जाएत। मूल्यांकन समिति ई सुनिश्चित करत जेऽ, यथास्थिति 'कलस्टर ईआईए' अथवा 'कलस्टर ईएमपी' सँ उत्पन्न हाबवय वला न्यूनीकरण उपैऽ, अध्ययन ओहि कलस्टर में व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावक सब के यथास्थिति, पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी के शर्त संबहक रूप में पूर्णतया परिलक्षित अछि।

25. विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरणीय अनुज्ञा क विरुद्ध अपील।

1. विनियामक प्राधिकरण क द्वारा अनुदत्त यथा स्थिति, पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी क विरुद्ध अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010 क धारा 16 के अधीन यथाविहित 30 दिनक अवधि के भीतरे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में यदि चाहथि तँ कयल जा जाऽसत।

परन्तु राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यदि संतुष्ट भय जाई छैथ जे अपीलकर्ता के उक्त अवधि क क्रम में अपील दाखिल करबा में पर्याप्त हेतुक द्वारा रोकल गेल छल, ओ साइठ दिन सँ अनधिक

अतिरिक्त अवधि क भीतरे राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के धारा 16क अधीन दाखिल करबाक लेल अनुज्ञात करताह।

26. परियोजना सबहक छूट।

निम्नलिखित मामला सब में पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी अपेक्षित नहि होयत, अर्थात:—

1. कुम्हार सब के द्वारा हुनकर रीत-रिवाज सब हक अनुसोर माटिक वर्त्तन, लैंप, खिलौना आदि सब तैयार करबाक लेल शारीरिक खनन क द्वारा सधारण माईट अथवा बाँउल क निष्कर्षण;
2. माटिक टाईल निर्माता सबहक द्वारा जे माइटक टाईल तैयार करई छैथ शारीरिक खनन के द्वारा सधारण माईट अथवा बाउल क निष्कर्षण;
3. खेतिहार सब हक द्वारा बाईढ़ क पश्चात् कृषि क्षेत्र पर बाउल क भण्डारसन के हटेनाई;
4. निज उपयोग अथवा गाम में सामुदायिक काजक लेल, गाम पंचायत में स्थित संसाधन सब सँ बाउल एवं सधारण माईट अथवा पारम्परिक निष्कर्षण;
5. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आओर गांरटी स्कीम सब, कोनो दोसर सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम सब में आरम्भ कयल गेल सामुदायिक कार्य जेना कि गाम क पोखरि सब अथवा नाली क सफाई गाम क सड़क सब, पोखरि अथवा बान्ह क संनिर्माण आओर सामुदायिक प्रयास;
6. अनुरेख परियोजना सब जेना कि सड़क सब, पाइपलाइन सब आदि के लेल सधारण माईट क निष्कर्षण अथवा सजेतिकरण अथवा उधार लेनाई;

7. बॉन्ह सब, डबरा सब, मेंड़ सब, वैराज सब, धार सब आओर नहर क हुनकर, रख-रखाव वनाओल रखबाक आओर आपदा प्रबंध के प्रयोजन क लेल हुनकर तल निष्कर्षण आओर सफाई;
8. गुजरात राज्य के अधिसूचना सं० जीयू/९०(१६)/एमसीआर-२१८९ (६८)/५-सी.एच.एच. तारीख १४ फरवरी १९९० के द्वारा गुजरात में बंजारा आओर ओड़ो का द्वारा बाउल क पारम्परिक व्यवसायिक काऽज;
9. पारम्परिक समुदाय क द्वारा अंतर ज्वारीय जोन क भीतर चूनक शंख (मृत शंख), पवित्र द्रव्य सब आदि के हाथ सँ निष्कर्षण;
१०. सिंचाई अथवा पेयजल प्रयोजनक लेल इनार सबहक खोदाई;
११. भवन सबहक नींव क लेल खोदाई, जकरा लेल यथा स्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व ईपी आवश्यक नहि अछि;
१२. जिला कलक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा कोनो दोसर सक्षम पदाधिकारी क आदेश पर कोनो आपदा अथवा बाईढ़ जकाँ स्थिति में निबट्य क लेल नहर, नाला, नाली, पोखरि अदि में उत्पन्न कोनो दरार के रोकबाक लेल सामान्य माईट अथवा मृत्तिका का उत्खनन;
१३. ऐहेन, क्रियाकलाप जे गैर खनन क रूप में राज्य सरकार क द्वारा विधान अथवा नियम सबहक अधीन घोषित कयल गेल अछि।
१४. सौर फोटो वोल्टीय (पीबी) विद्युत परियोजना सब सौर तापीय विद्युत संयंत्र आओर सौर पार्क सब हक विकास अछि;
१५. जतय कोनो वाणिज्यिक उत्पादन अंतर्वलित नहि अछि ओतय प्रयोगशाला स्केल संक्रिया सबहक अधीन रहैत अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना सबहक लेल अनुसंधान आओर विकास क्रियाकलाप;
१६. ऐहेन परियोजना सब जे अनुसूची में सम्मिलित नहि अछि, आओर जिनका ऐहेन परियोजना सबहक परिसर सब में कार्यान्वित करबाक

लेल अथवा स्थापित करबाक प्रस्ताव अछि, जिनका लेल यथा-स्थिति पूर्व ईसी अथवा पूर्व-ईपी पहिनहिं मंजूर कय देल गेल छल।

17. व्यष्टिक उद्योग जाहि में 16, 18, 24, 25 जकाँ उद्योग क समरूप प्रकार बला ऐहेन अधिसूचित औद्योगिक सम्पदा क भीतर प्रस्तावित औद्योगिक आवास अथवा ऐहेन औद्योगिक संपदासब जाहि में क्रियाकलाप सबहक पूर्व परिभाषित सेट (जे आवश्यक रूप सँ समरूप नहिं अछि) सेहो अछि, जाबे धरि औद्योगिक सम्पदा क लेल निबंधन आओर शर्त सबहक अनुपालन कयल जाईत अछि। ऐहेन सम्पदा सब/परिसर सब में पूर्व-ईसी क निबंधन आओर शर्त सबहक पालन सुनिश्चित करय के विधिक उत्तरदायित्व बला स्पष्टतः चिन्हित कयल गेल प्रबन्ध होयबाक चाही आओर जे औद्योगिक सम्पदा के सम्पूर्ण जीवन में ऐहेन निबंधन सब आओर शर्त सब हक उल्लंघन क लेल जिम्मेदार ठहरायल जाऽ सकई छैथ।
18. ऐहेन औद्योगिक सम्पदा जकर परियोजना क्षेत्र 500 हेक्टेयर सँ कम अछि आओर जाहि अनुसूची में सूचीबद्ध प्रवर्ग 'क' अथवा 'ख1' अथवा 'ख2' परियोजना क कोनो उद्योग नहि लगाओल अछि।
19. कोयला आओर गैर-कोयला खनिज पूर्वक्षण;
20. भूकम्पी सर्वेक्षण, जे अपतट आओर अभितट पर तेल आओर गैस, जाहि में कोयला तल में मिथेन आओर शेल गैस सेहो मिलल अछि वशर्त छूट प्राप्त क्षेत्र सभ भौतिक सर्वेक्षण क लेल पूर्व-ईसी अथवा पूर्व-ईपी क पूर्व शर्त सब के माईन लेने छैथ।
21. लघु संचाई परियोजना सभ जाहि में 2000 हेक्टेयर तक संवर्धनीय कमान क्षेत्र सम्मिलित अछि;
22. तापीय विद्युत संयंत्र जे कोनो सहायक ईंधन क बिनु अपशिष्ट ऊष्मा प्रति प्राप्ति क्वथनियों (डब्लू एच आर बी) क व्यवहार करैत अछि।

23. अयस्क क उन्नयन प्रक्रिया क बिना पिसाई आओर स्क्रीनिंग (अयस्क के आकार)
24. गौण धातुकर्मीय संधानशाला इकाई सब:-
- (क) गैर विषैला जाहि में अधिष्ठापन भट्ठी आओर वैद्युत चाप भट्ठी अथवा सबमर्ज आर्क भट्ठी अथवा अन्य गैस आधारित भट्ठी सब जिनकर वार्षिक क्षमता 1,00,000 (एक लाख) टन अछि;
- (ख) गैर विषैला जाहि में कुपोला जकाँ भट्ठी सब जे 60,000 टन क वार्षिक क्षमता बला कोयला अथवा इष्टिक सबहक उपयोग करई छैथ, सम्मिलित अछि;
- (ग) परिसंकटमय आओर अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रण इकाई सब।
25. एकल रि-रोलिंग मील सब-
- (क) जाहि में 1,00,000 टन तक के वार्षिक क्षमता बला अम्ल मार्जन संक्रिया सम्मिलित अछि।
- (ख) जाहि में 2,00,000 टन तक के वार्षिक क्षमता बला मार्जन संक्रिया सम्मिलित नहि अछि
- (ग) जाहि में पुनः तापन क लेल अम्ल मार्जन आओर ईंधन क कोनो आवश्यकता सम्मिलित नहि अछि।
26. पूर्व ईसी क शर्त सब हक स्वीकृत क्षमता क भीतरे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) पोर्टलैंड पोर्जोलोना सिमेंट (पीपीसी) पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पीएससी) मैसनरी सीमेंट अथवा अन्य तरहक सिमेंट।
27. "कोलतार पिच" के गलाबय क लेल एकल परियोजना
28. इकाई सुपर फास्फेट पाउडर क एकल कणिकायन;

29. उर्वरक सब पर नीमक लेप करनाई अथवा उर्वरक सबके पुष्ट वनेनाई परन्तु कुल उत्पादन पूर्व इसी के स्वीकृत क्षमता जमा लेपन अथवा उपयोग कयल गेल पुष्टीकरण सामग्री सँ बेसी नहि होय;
30. पैराफिन मोमक प्रसंस्करण;
31. अफीम सँ अलकलायड क निष्कर्षण;
32. पालीमर कणिका सभ सँ अथवा कणिका सभ सँ उत्पाद सब अथवा गाला सभ अथवा चिप सँ मानव निर्मित फाइबर सबहक विनिर्माण;
33. एल ए बी सँ रेखीय अलकायल बेंजीन सल्फयुरिक अम्ल (एलएबीएसए) क विनिर्माण;
34. देशी शराब (जेनाकि महुआ पुष्प, काजू अदि पर आधारित) इकाई सब जकर क्षमता 10 किलो लीटर दैनिक अछि;
35. रंजन, बिरंजन अथवा रंगाई के बिना अपशिष्ट कागज अथवा कागज बोर्ड निर्माण;
36. विस्फोटक सब, डेटोनेटर सब, फ्यूज सब हक लेल रक्षा मंत्रालयक अथवा रणनीतिक यूनिट अधीन यूनिट सब हक प्रबंधन आओर संचालन सेहो अछि।
37. ऐहेन हवाई पट्टी सब जाहि में गैर-वाणिज्यिक हवाई पट्टी सब सहित बंकरिंग अथवा पुनः इंधन भरण सुविधा आओर/अथवा वायु यातायात नियंत्रण अन्तर्वलित नहि अछि।
38. ओहि परियोजना सबहक लेल प्रस्तावित सामान्य बहिंस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) जिनका स्वयं पूर्व इसी क आवश्यकता नहि अछि। उक्त सीईटीपी उत्पाद सबहक विद्यमान अथवा प्रस्तावित सदस्य यूनिट सब में सँ कोनो प्रस्तावित सदस्य यूनिट पूर्व-इसी क शर्त सब हक अपेक्षा करैइत् कोनो उत्पाद क उत्पादन करबाक प्रस्ताव करैत हैथ; तखन सीईटीपी के पूर्व-इसी क आवश्यकता नहि हेतैन।
39. तलकर्षण क अनुरक्षण;

40. मद सं. 8(क), 8(ख), 9, 10(च), 11(क), 11(ख) 20, 24, 25(घ) आओर 27क सोंझा में परियोजना क बाबत सूक्ष्म उद्यम सब आओर मद सं.10(च), 24 आओर 27 के सोंझा में परियोजना सब हक बाबत लघु उद्यम।

27. लंबित मामला सब हक निपटान तक ईआईए अधिसूचना, 2006 क प्रवर्तन:-

1. अहि अधिसूचना क अंतिम प्रकाशन क तारीख से ईआईए अधिसूचना, 2006 आओर पश्चात्पूर्वी संशोधन सब के पूर्व ईसी क लेल कएल गेल आओर अहि अधिसूचना क अंतिम प्रकाशन क तारीख के लंबित सभ आवेदन सब हक मामला में ओहि विस्तार तक ओहि बात सबहक अलावे अधिक्रांत कएल जाईत अछि जिनका अहि अधिक्रमण अथवा करयबा सँ लोप कयल गेल अछि। केन्द्रीय सरकार अहि अधिसूचना क कोनो भी एक अथवा सभ उपबंध सब के शिथिल कय सकइत अथवा अहि अधिसूचना के जारी कयल गेल तारीख सँ चौबीस मास सँ अनाधिक के अवधि के लेल 2006 क अधिसूचना क थोड़ेक अथवा सभ उपबंध सब के प्रवर्तन के बनैयने राखि सकत।
2. ई स्पष्ट कयल जाईत अछि जे अहि अधिसूचना क अंतिम प्रकाशन क पश्चात् जारी सभ पूर्व-ईसी पर अहि अधिसूचना क अधीन अई ठाम तक पूर्वतर ईआईए अधिसूचना सभ में सँ कोनो अधिसूचना क अधीन प्राप्त आओर प्रक्रिया कयल गेल अथवा आंशिक रूप सँ प्रक्रिया कयल गेल आवेदन क बाबत सेहो जारी करय बला पूर्व ईसी पर विचार कयल जायत।
3. विनियामक प्राधिकरण, उपलब्ध जानकारी अथवा पूर्व ईसी क जारी कय देबाक पश्चात् लाओल गेल पर्यावरणीय मुद्दा सबहक आधार पर ऐहेन अतिरिक्त शर्त सब अधिरोपित कय सकताह जे ओ सही बूझैइथ।

का.सं.22-50 / 2018-(ए.iii)

गीता भनन संयुक्त सचिव

अनुसूची

(पैरा 2 आओर 7 देखू)

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, जेहेन भी मामला होय, के अपेक्षा बला परियोजना सबक सूची।

मद	परियोजना	अबसीमा सहित श्रेणी			शर्त सब यदि कोनो होय
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	क. गौण खनिज क खनन	खनन पट्टा क्षेत्र के >100 अछि	खनन पट्टा क्षेत्र क >5 अछि आओर <100 अछि	खनन पट्टा क्षेत्रक <5 अछि	टिप्पणः 1. 2 हेक्टेयर सँ अधिक आओर 5 हेक्टेयर तक के गौण खनिज खनन परियोजना संबहक जिला स्तरीय विषेशज्ञ अकलन समिति क निर्देशित कयल जायत। 2. खनन पट्टा क्षेत्र में कलस्टर स्थिति मिलल होयत
	ख. कोयला सहित मुख्य खनिज संबहक खनन	खनन पट्टा क्षेत्र कं >100 अछि	खनन पट्टा क्षेत्रक \geq 100 अछि	डंप खनन (निष्कर्षण अथवा डंप प्रहस्तन अति भार अथवा अपशिष्ट सामग्री)	
2	सीबीएम आओर शेल				

	गैस सहित अपतट आओर तटवर्ती तेल तथा गैस की				
	क) खोज	—	—	सब परियोजना	
	ख) विकास आओर उत्पादन (अवसंरचना सुविधा सब जेनाकि — गैस संग्रहण अथवा एकवीकरण स्टेशन, पूर्व उत्पादन प्रणाली सब पाइपलाईन अदि)	सब परियोजना	—	—	
3	नदी घाटी	>75 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन;	≥75 मेगावाट >25 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन	25 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन	टिप्पणः प्रवर्ग ख नदी घाटी परियोजना सब हक जे एक सँ अधिक राज्य अथवा संघ क्षेत्र में अवस्थित

					अछि, के केन्द्रीय सरकार क स्तर पर मूल्यांकन कएल जायत
4	सिंचाई	खेती योग्य प्रभावित क्षेत्रक $\geq 50,000$ हेक्टेयर	खेती योग्य प्रभावित क्षेत्रक $\geq 10,000$ हेक्टेयर आओर $< 50,000$ हेक्टेयर	खेती योग्य प्रभावित क्षेत्रक ≥ 2000 हेक्टेयर आओर $< 10,000$ हेक्टेयर	
5	तापीय विद्युत	≥ 500 मेगावाट कोयला / लिग्नाइट / नेप्था गैस आधारित) ≥ 100 मेगावाट	> 5 मेगावाट आओर ≤ 500 मेगावाट (कोयला / लिग्नाइट / नेप्था गैस आधारित ≥ 5 मेगावाट आओर		
		(सम दोसर ईंधन)	< 100 मेगावाट (जैब भार आओर नगर पालिका ठोस गैर परिसंकटमय	≥ 5 मेगावाट आओर ≤ 15 मेगावाट 15% तक कोयला; लिग्नाइट /	

			अपशिष्ट के छोड़ कर सम दोसर इंधन) > 15 मेगावाट आओर < 100 मेगावाट नगर पालिका ठोस गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जीव भार क ईंधन क उपयोग करैइत।	पेट्रोलियम जेनाकि सहायक इंधन सब हक उपयोग करैइत जैव भार अथवा गैस परिसंकटमय नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित।	
6	आण्विक विद्युत अथवा आण्विक इंधन क प्रसंस्करण	सब परियोजना	—	—	
7	कोयला धोवनशाला सब	सभ ≥ 1 मिलियन टन कोयला क वार्षिक उत्पादन	— < 1 मिलियन टन कोयला क वार्षिक उत्पादन	—	टिप्पणः यदि कोयला धोवन शाला खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित अछि, प्रस्तावक मूल्यांकन खनन प्रस्तावक क संग कयल जायक

					चाही
8	(क) खनिज परिष्करण जाहि में भौतिक प्रसंस्करण आओर भौतिक रायायनिक प्रक्रिया सब मिलल अछि	—	सब परियोजना सभ	लघु आओर मध्यम उद्यम।	टिप्पण: यदि खनिज परिष्करण संयंत्र खनन क्षेत्र क अंदर स्थित अछि तऽ प्रस्ताव व मूल्यांकन खनन प्रस्ताव क संग कयल जयबाक चाही
	(ख) अयस्क/सांद्र क रायायनिक प्रसंस्करण	≥ 1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन	< 1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन		
9	डलिया संयंत्र अथवा संकुलन संयंत्र	—	सब परियोजना सभ	लघु आओर मध्यम उद्यम	
10	धातुकर्म उद्योग फेरस अथवा गैर फेरस				
	(क) एकीकृत स्टील संयंत्र	≥ 1 मिलियन टन वार्षिक काँच इस्पात	≤ 1 मिलियन टन वार्षिक काँच इस्पात	—	
	(ख) स्पेज	> 0.5 मिलियन	≤ 0.5	—	

लौह संयंत्र	टन वार्षिक	मिलियन टन वार्षिक		
(ग) गैर फेरस प्रगल्य आओर परिष्करण	सभ परियोजना सब	—	—	
(घ) लौह मिश्र धातु संयंत्र	>1.5 लाख टन वार्षिक	>1.5 लाख टन वार्षिक	—	
(ङ.) द्वितीयक धातु कर्म उद्योग (विषैला धातु)	≥20000 टन वार्षिक	≥20000 टन वार्षिक	—	
(च) द्वितीयक धातु कर्म उद्योग (गैर विषैला धातु)	(i) संधानशाला जाहिमे भट्टी जकाँ प्रेरण भट्टी अथवा विद्युत आर्क भट्टी अथवा सबमर्ज आर्क भट्टी अथवा अन्य गैस आधारित भट्टी सब जकर क्षमता 1,50,000 टन प्रति वर्ष सँ बेसी होय	(i) संधानशाला जाहिमे भट्टी जकाँ प्रेरण भट्टी अथवा विद्युत आर्क भट्टी अथवा सबमर्ज आर्क भट्टी अथवा अन्य गैस आधारित भट्टी सब जकर क्षमता 100000 टन प्रति वर्ष सँ		

		<p>(ii) संधानशाला जाहिमे क्यूपोला आओर अन्य भट्टी मिलल होय आ जकर क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष सँ बेसी होय।</p>	<p>बेसी 150000 टन प्रति वर्ष तक होय ।</p> <p>(ii) संधानशाला जाहिमें क्यूपोला आओर अन्य भट्टी शामिल होय, जकर क्षमता 60000 टन प्रतिवर्ष सँ 100000 टन प्रतिवर्ष क बीच में होय।</p> <p>(iii) एकल पुनर्वेलन मिल जाहि में 100000 टन प्रतिवर्ष सँ बेसी क्षमता बाला पिकलिंग मिलल होय।</p> <p>(iv) एकल पुनर्वेलन मिल</p>		
--	--	---	--	--	--

			जाहि में 2,00,000 टन प्रतिवर्ष सँ बेसी क्षमता वाला पिंकलिंग मिलल नहि होय। (v) मध्यम उद्यम		
11	(क) सीमेंट संयंत्र	उर्ध्वाधर शाफ्ट संयंत्र क छोड़कर अन्य संयंत्र जिनका वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलिटन टन होय।	(i) वार्षिक उत्पादन क्षमता $<$ 1.0 मिलयन टन (ii) उर्ध्वाधर शाफ्ट भट्ठा वाले सीमेंट संयंत्र	लघु आओर मध्यम उद्यम	टिप्पणः सीमेंट उद्योग क वास्ते ईंधन कोयला, पेटाकोक, कोयले आओर पेटाकोक क मिश्रण आओर अपशिष्ट सह-प्रसंस्करण होयबाक अछि, मुद्दा अहि क एहि उत्सर्जन मानक सबहक को पूर्ण करबाक चाहिए।
	(ख) एकल	—	वार्षिक उत्पाद	(i)1 मिलयन	

	धातु मल घर्षण ईकाई सब		क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन	टन प्रतिवर्ष क्षमता क एकल ग्राइंडिंग ईकाई (ii)रेल/समुद्र मार्ग क माध्यम सँ प्रस्तावित धातु मल आओर तैयार मालक परिवहन के मामला में सब एकल ग्राइंडिंग इकाई (iii) लघु आओर मध्यम् उद्यम्	
12	सीसा अम्ल बैटरी विनिर्माण (सीसा अम्ल बैटरी के एसेम्बलिंग आओर चार्जिंग क छोड़ कs)		सभ परियोजना सब		
13	पेट्रोलियम	सभ परियोजना	—	—	

	रिफाइनिंग उद्योग	सब			
14	(क) कोक भट्टी संयंत्र	वार्षिक क्षमता ≥ 0.8 मिलियन टन	वार्षिक क्षमता < 0.8 मिलियन	—	
	(ख). डाभर प्रसंस्करण ईकाई सब अथवा भष्मीकरण संयंत्र	—	सभ परियोजना सब	—	
15	एस्वेसटस मिलिंग आओर एसेटस आधारित उत्पाद्	सभ परियोजना सब	—	—	
16	क्लोर क्षार उद्योग अथवा हेलोजन क उत्पादन	यदि कोनो इकाई अधिसूचित	(i) यदि कोनो इकाई अधिसूचित	यदि कोनो इकाई अधिसूचित	टिप्पण— कोनो नडव पारा प्रकोप
		औद्योगिक संपदा सब हक बाहर अवस्थित अछि तऽ दैनिक उत्पादन क्षमता ≥ 300	औद्योगिक संपदा सब हक भीतर अवस्थित अछि तऽ दैनिक	औद्योगिक संपदा सब हक अंदर अवस्थित अछि तऽ दैनिक उत्पादन क्षमता	आधारित संयंत्र के अनुज्ञा नहिं देल जायत आओर अछि अधिसूचना द्वारा झिलनीमय

		टन	उत्पादन क्षमता 300 \geq टन (ii) यदि कोनो इकाई अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक बाहर अवस्थित अछि तऽ दैनिक उत्पादन क्षमता \leq 300 टन।	<300 टन	प्रकोष्ठ प्रौद्योगिक में परिवर्तन करय बाली विद्यमान इकाई के छूट प्राप्त अछि वशर्ते कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहि अछि।
17	सोडा भस्म उद्योग	सभ परियोजना सब	—	—	
18	चर्म शोधन उद्योग सहित त्वचा/ खाल प्रसंस्करण	अधिसूचित औद्योगिक संपदा संवहक बाहर अवस्थित सभ परियोजना सब	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक अंदर अवस्थित सभ परियोजना सब	चमड़ा शोधन के विनु आओर अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक अंदर अवस्थित सब परियोजना सब	
19	रासायनिक उर्वरक	(i) सल्फ्यूरिक अम्ल सहित	सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन		

	आओर एकल अमोनिया संयत्र	एकल सुपर फास्फेट के होईर कय सभ परियोजना सब (ii) एकल अमोनियम संयत्र	सहित एकल सुपर फास्फेट क सब परियोजना सभ		
20	अम्ल सबहक विनिर्माण	एकल फास्फोरिक अम्ल अथवा अमोनिया	एकल सल्फ्यूरिक अम्ल	अन्य सभ अम्ल	
22	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम क अंश प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग, कार्बन ब्लैक क उत्पादन	सब परियोजना	—	—	
23	मानव निर्मित फाईबर के उत्पाद	विस्कोज स्टेपल फाईबर (बीएसएफ) बिस्कोज	नायलॉन आओर अन्य	—	

		फिलामेंट सूत (बीएफबाय) आओर रेयन ।			
24	कार्बन श्याम आओर इलेक्ट्रोग्रेड श्रेणी ग्रेफाइट क उत्पाद संगे पेट्रोलियम उत्पाद आओर पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन आओर सुधार सँ भिन्न अन्य प्रसंस्करण आओर परिसर क भीतरे समाविष्ट नहि अछि ।	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक बाहर अवस्थित सभ परियोजना सब	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक भीतरे अवस्थित सभ परियोजना सब	मध्यम उद्यम	

25	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन				
	(क) रंजक आओर रंजक मध्यक		कॉलम (5) के छोइइ सभ परियोजना सब	(I) शून्य स्त्राव बला प्रस्तावित परियोजना सभ आओर जे अधिसूचित औद्योगिक सपंदा सब हक भीतर अवस्थित अछि (II) सभ सूक्ष्म, लघु आओर मध्यम उद्यम	
	(ख) औषध विनिर्मित सब के छोइइ कय थोक औषधि सब आओर		कॉलम (5) के छोइइ कय सभ परियोजना सब	(I) शून्य स्त्राव बला प्रस्तावित परियोजना सभ आओर जे अधिसूचित औद्योगिक	

	मध्यम			संपदा सब हक भीतर अवस्थित अछि (11) सभ सूक्ष्म, लघु आओर मध्यम उद्यम	
	(ग) संश्लिष्ट रबर	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक बाहर अवस्थित सभ परियोजना सब।	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक बाहर अवस्थित सभ परियोजना सब।	सभ सूक्ष्म लघु आओर मध्यम उद्यम।	
	(घ) मूल कार्बनिक रसायन सब, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायनिक मध्यम, संश्लिष्ट	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सब हक बाहर अवस्थित सभ परियोजना सब	(1) सब लघु आओर मध्यम उद्यम। (11) वार्षिक 1000 टन तक संश्लिष्ट रेसिन सब/ आसंजक सब	(1) सभ लघु आओर मध्यम उद्यम। (11) वार्षिक 1000 टन संश्लिष्ट रेसिन सब/ आसंजक सब	

	रेसिन आओर संश्लिष्ट आसंजक		के विनिर्माण ।	के विनिर्माण	
26	आसवनी आओर शीरा आधारित विनिर्माण इकाई सब (जेना खमीर)	(I) शीरा आधारित आशवनी \geq 100 किलो लीटर प्रति दिन । (II) शीरा आधारित विनिर्माण इकाई सब (जेना खमीर) \geq 100 टन प्रति दिन (III) गैर-शीरा आधारित आसवनी \geq 200 किलो लीटर प्रति दिन	(I) शीरा आधारित आशवनी \leq 100 किलो लीटर प्रति दिन । (II) शीरा आधारित खमीर विनिर्माण इकाई सब (III) गैर-शीरा आधारित आसवनी \leq 200 किलो लीटर प्रति दिन ।	(I) प्रतिदिन 10 लीटर सँ बेसी के क्षमता वाली देशी मद्य (अर्थात महूआ फुल, काजू आदि पर आधारित इकाई सब) (II) पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परिसर के भीतरे अवस्थित आसवनी क क्षमता विस्तार आओर खाली मिश्रण हेतु इंधनक रूप में प्रयुक्त कयल जाय बला	

				इथेनॉल का उत्पादन के लेल ।	
27	पेंट, वार्निश, रंग, द्रव्य मध्यक (सम्मिश्रण मिश्रण के छोड़ कय) के विनिर्माण	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सभ के बाहर अवस्थित सभ परियोजना सब	अधिसूचित औद्योगिक संपदा सभ के भीतर अवस्थित सभ परियोजना सब	मध्यम उद्यम	
28	लुग्दी आओर कागज उद्योग	लुग्दी विनिर्माण आओर लुग्दी आओर कागज उद्योग, अपशिष्ट कागज के छोड़ कऽ	—	रंजन विरंजन आओर रंगाई के बगैर अपशिष्ट कागज लुग्दी आओर तैयार लुग्दी सँ कागज विनिर्माण ।	
29	चीनी उद्योग	—	कुसियार गाछ के क्षमता \geq 5000 टन	—	

			दैनिक		
30	प्रबंध आओर प्रहस्तन कार्यकलाप सब हक संग विस्फोटक सब, विस्फोट प्रेरक सब, पलील सब हक निर्माण		सब परियोजना सभ		
31	पाईप लाईन	—	—	—	
	(क) राष्ट्रीय उद्यान सब हक अथवा अभ्यारण्य सबहक प्रवाल भित्ति सब अथवा एल एन जी टर्मिनल सहित परिस्थितिकी य संवेदनशील	सभ परियोजना सब	—	—	

<p>क्षेत्र सँ जाय बला तेल आओर गैस परिवहन पाइपलाइन सब (अपरिष्कृत आओर परिष् करणी/ पेट्रो रसायन उत्पाद सब)</p>				
<p>(ख) राष्ट्रीय उद्यान सब हक अथवा अभ्यारण्य सब अथवा प्रवाल भित्ति सब अथवा पारिस्थितिकी य संवेदनशील क्षेत्र सभ सँ जाय वला द्रव पाइपलाइन</p>	<p>सभ परियोजना सब</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	

	सब (कोयला, लिग्नाइट आओर अन्य अयस्क)				
32	स्थानीय आओर जल पत्तन सहित वायु पत्तन आओर हैली पत्तन ।	स्थलीय वायु पट्टी सब सहित सब परियोजना सब, जे वाणिज्यिक उपयोगक लेल अछि ।	—	(I)जल-हवाई अड्डा सब जे वाणिज्यिक उपयोगके लेल अछि ।	
33	सब पोत भंजन यार्ड जाहिमें पोत भंजन इकाई सब मिलल अछि ।	सभ परियोजना सब	—	—	
34	पार्क सब, परिसर सब, क्षेत्र सब, निर्यात प्रसंस्करण जोन (नि प्र	(I) यदि प्रस्तावित क्षेत्र क क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर सँ बेसी होय आओर ओहि	यदि प्रस्तावित क्षेत्र क क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर सँ बेसी होय	(I) यदि प्रस्तावित क्षेत्र क क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर सँ बेसी होय आओर आहि	

<p>जो); विशेष आर्थिक जोन (वि. आ. जो.); जैव प्रौद्योगिकी पार्क सब, चमड़ा परिसर सब, तटवर्ती आर्थिक जोन (त. अ. जो.) विशेष निवेश क्षेत्र (एस. आई. आर.) राष्ट्रीय निवेश आओर विनिर्माण जोन, (एनआईएमजे ड) औद्योगिक समूह क्षेत्र सब, पेट्रोलियम रसायन</p>	<p>में कम सँ कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'क' अथवा श्रेणी 'ख' का उद्योग स्थित होय। (11) यदि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र क क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर सँ कम होय आओर ओहि में कम सँ कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध ऐसी 'क' क उद्योग स्थित होय</p>	<p>आओर आहि में कम सँ कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'ख1' के उद्योग स्थित होय।</p>	<p>में कम सँ कम ओहि में एकोटा अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'क' अथवा श्रेणी 'ख1' के उद्योग स्थित नहिं होय। (11) प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रफल के अनपेक्ष आओर ओहि में कम सँ कम एकटा अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'ख' के उद्योग स्थित होय।</p>	
---	---	--	--	--

	आओर पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र सब हक (पे. र. पे. र. वि. क्षे.) संग औद्योगिक सम्पदा				
35	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण आओर निपटान सुविधा सब (उ. भं. नि. सु.)	सभ एकीकृत सविधाएं सब जाहि में भस्मीकरण आओर भूमिभरण अथवा खाली भस्मीकरण मिलल अछि।	सभ सुविधा सब जाहि में खाली भूमिभरण मिलल अछि।	—	
36	सामान्य जैव चिकित्सीय उपचार सुविधा सब	—	सभ परियोजना सब		
37	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन माल के	(1) ६5 मिलियन टन	अंतर्देशीय जलमार्ग सँ	

	तरंगरोध, आओर पूंजीगत झमाई पलन अथवा बंदरगाह आओर चैनलक अंदर आओर बाहर	वार्षिक उठाई धराई के क्षमता (मतस्य बंदरगाह सँ भिन्न)	माल के वार्षिक उठाई-धराई के क्षमता (मतस्य बंदरगाह सँ भिन्न) (11) \geq 30000 टन प्रतिवर्ष के भाछ पकड़क क्षमता	सम्बन्धित सभ परियोजना सब	
38	राजमार्ग अथवा एक्सप्रेस मार्ग अथवा बहु-मोडल गलियारा अथवा चक्रीय सड़क सब।	(1) नऽव राजमार्ग या एक्सप्रेस मार्ग या बहु-मोडल गलियारा अथवा चक्रीय सड़क सब। (11) राजमार्ग अथवा एक्सप्रेस मार्ग अथवा बहु मोडल	(1) सब नव राज्य राजमार्ग परियोजना सब (11) पर्वतीय क्षेत्र सब में राज्यीय राजमार्ग विस्तार परियोजना सब (औसत	(1) राजमार्ग अथवा एक्सप्रेस मार्ग अथवा बहु-मोडल गलियारा अथवा चक्रीय सड़क सब हक लम्बाई में 25 सँ 100 किलोमीटर क बीच क विस्तार जाहि	टिप्पणः टोल प्लाजा चौड़ाई आओर अन्य सड़क सब हक संग चौराहा पर जंक्शन सुधार जे मार्ग अधिकार सँ भिन्न होय।

		<p>गलियारा अथवा चक्रीय सड़क सब हक लम्बाई में 100 किलोमीटर सँ बेसी के विस्तार जाहि में मौजूदा संरेखन अथवा वायपास पर 70 मीटर सँ बेसी के चौड़ी-करण अथवा मार्ग अधिकार मिलल होय।</p>	<p>समुंद्र तल सँ 1,000 मीटर सँ बेसी ऊपर)</p>	<p>में मौजूदा संरेखन अथवा बायपास पर 70 मीटर सँ बेसी क चौड़ीकरण अथवा मार्ग अधिकार मिलल होय।</p> <p>(11) मौजूदा राज्य राजमार्ग सबहक विस्तार अथवा चौड़ीकरण (औसत समुंद्र तल सँ 500 मीटर सँ 1000 मीटर तक ऊपर)</p>	
39	आकाशी यात्री रज्जुमार्ग	—	—	<p>अधिसुचित परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र सभ में अवस्थित सभ परियोजना</p>	

40	साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सा. व. शो. सं.)	—	सभ परियोजना सब		
41	साझा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सा. व. शो. सं.) जाहि में भूमिभरण आओर / अथवा भष्पीकरण क्रिया मिलल अछि ।	—	सभ परियोजना सब		
42	भवन संनिर्माण आओर क्षेत्र विकास परियोजना सब ।	—	$\geq 1,50,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र आओर / अथवा ≥ 50 हेक्टेयर कुल	(i) $\geq 20,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र आओर $\leq 50,000$ वर्ग मीटर निर्मित	टिप्पणः 1. कॉलम (5) के (i) आओर (ii) क अंतर्गत आवय वला परियोजना सब

			क्षेत्र	क्षेत्र (1) $\geq 50,000$ वर्गमीटर आओर $\leq 1,50,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र बला परियोजना सब जकरा अंतिम हरित वन के प्रमाण पत्र प्राप्त अच्छि अथवा औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थान ,अस्पताल आओर शैक्षणिक संस्थान सब हक छात्रावास सँ सम्बन्धित क्षेत्र	के मूल्यांकन समिति के निर्देशित नहि कयल जायत 2. आशयति उपयोग में कोनो परिवर्तन क लेल पूर्व-ईपी में संशोधन क लेल विनियामक प्राधिकरण सँ पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कयल जाएत। ऐहेन सब मामला सब मूल्यांकन समिति के निर्देशित कयल जायत।
--	--	--	---------	--	---

				$\geq 50,000$ वर्ग मीटर अथवा \leq 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	टिप्पण: कॉलम (5) के अंतर्गत आवय बला परियोजना सब के मूल्यांकन समिति के निर्देशित कयल जायत।
43	उत्थित सड़क सब अथवा एकल फलाई ओवर अथवा पुल	—	—	$\geq 1,50,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	
टिप्पण:					
1. साधरण शर्त सब निम्नलिखित पर प्रयोज्य नहीं होयत :- (i) मद 9, 10(च), 11(ख), 26, 38, 40, 41, 42 एवं 43 (ii) अंतर राजकीय सीमा क कारण नदी तल खनन परियोजना सब ; आओर (iii) सभी प्रवर्ग 'ख2' परियोजना सब।					
2. प्रवर्ग 'ख2' परियोजना सब हक मूल्यांकन समिति क समक्ष नहीं राखल जायत मात्र ओहि परियोजना जे मद सब क सोझमें उल्लिखित अछि।					

परिशिष्ट – 1

(खंड 14 देखें)

लोक परामर्श आयोजित करबाक प्रक्रिया

1.	लोक सुनवाई:
	लोक सुनवाई के, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति (यूटीपीसीसी) के द्वारा परियोजना स्थल (स्थल सब) में अथवा ओकर निकटस्थ परिसर में जिला वार एकटा प्रणालीबद्ध आओर पारदर्शी रीति में बेसी सँ बेसी संभव लोक भागीदारी के सुनिश्चित करैईत व्यवस्था कयल जायत।
2.	प्रक्रिया:—
	2.1 परियोजना प्रस्तावक संक्षिप्त पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट क संग ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट के एकटा हार्ड प्रति आओर एकटा साफ्ट प्रति निम्नलिखित प्राधिकारी सब अथवा कार्यालय सब के जिनकर अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होयत, अग्रेषित कारबाक व्यवस्था करताह :
	(क) जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर / उप-आयुक्त ;
	(ख) जिला परिषद अथवा नगर निगम अथवा पंचायत संघ ;
	(ग) जिला उद्योग कार्यालय ;
	(घ) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) / संबंधित पीआरआई / विकास प्राधिकारी ;
	(ङ) मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ;
	(च) एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ;

परंतु यह जे अई अधिसूचना क खंड 14 क उप-खंड (5) क अनुसार ओ अवधि जकरा भीतर लोक सुनवाई आयोजित कयल जेनाई आवश्यक अछि, ओहि अंतिम तिथि सँ शुरू होयत जखन परियोजना प्रस्तावक उपर्युक्त सभ प्राधिकारी सब के अपेक्षित दस्तावेज सब हक प्रतिसब प्रस्तुत करैत छैथ।

- 2.2** ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट क प्राप्ति पर, लोक सुनवाई होवय तक सामान्य कार्यालय घंटा क क्रम में जनता के इलेक्ट्रॉनिक रूप सँ अथवा अन्यथा निरीक्षण क लेल प्रारूप पर्यावरणीय संघात रिपोर्ट उपलब्ध कराओल जायत।
- 2.3** एसपीसीबी अथवा यूटीपीसी ई सुनिश्चित कऽरत जे ईआईए रिपोर्ट विनियामक प्राधिकरण के द्वारा विहित टीओआर क अनुसार तैयार कयल गेल अछि। एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी के द्वारा विनियामक प्राधिकरण क द्वारा विहित टीओआर सँ अलगे कोनो अतिरिक्त अध्ययन के माँग नहिं करताह।
- 2.4** सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति सेहो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर परियोजना के बाबत प्रचार करबाक लेल ओहि तरहें व्यवस्था कऽरत आओर चयनित कार्यालय सब अथवा लोक पुस्तकालय सब अथवा कोनो दोसर उपयुक्त स्थान आदि में निरीक्षण के लेल प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार उपलब्ध कराओत। ओ जेहेन पैरा 2.2 में वर्णित अछि, उपर्युक्त पाँच प्राधिकारी सब/ कार्यालय सब, के प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट क एक प्रति अतिरिक्त रूप सँ सेहो उपलब्ध कऽराओल।
- 2.5** संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, दस्तावेज सब अथवा अन्यथा, ई निर्णय कऽरत जे लोक सुनवाई कोनो अतिरिक्त अथवा अनुकल्पित स्थान सब पर

आयोजित कायल जाय के आवश्यकता अछि अथवा नहिं। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध क प्राप्ति के पन्द्रह दि क भीतर परियोजना प्रस्तावक अहि निर्णय क संदर्भ में सूचित कयल जायत।

2.6 ऊपर उप-खंड 2.5 क अनुसार निर्णय क परिणामस्वरूप चालीस दिन सबहक अवधि के गणना ओहि तिथि सँ कयल जायत जाहि तिथि कऽ परियोजना प्रस्तावक ऊपर उप-खंड 2.2 क हिसाब सँ अतिरिक्त अथवा अनुकल्पित स्थान सब हक प्रासंगिक प्राधिकारी सब के दस्तावेज उपलब्ध करवैइत अछि।

3. लोक सुनवाई क सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट क प्राप्ति के तारीख सँ दस दिन क भीतर लोक सुनवाई क पीठासीन अधिकारी के सहमति सँ सुनवाई संचालित करय के लेल तारीख, समय आओर निश्चित स्थान के अंतिम रूप देल जायत। ओऽ ओकर पीठासीन अधिकारी के सहमति क तिथि सँ पाँच दिन क भीतर मुख्य राष्ट्रीय दैनिक आओर एक प्रादेशिक भाषा अथवा राज्य क अधिकारिक भाषा के दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित कऽरताह। जनता के अप्पन प्रतिक्रिया सब देबाक लेल कर्मों सँ कम बीस दिन क सूचना अवधि उपलब्ध कराओल जायत।

3.2 विज्ञापन, जनता के ओहि स्थान सब पर अथवा कार्यालय सबहक बावत सेहो सूचित करताह जायत प्रारूप, पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट आओर पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट क संक्षिप्त सार तक सुनवाई सँ पूर्व जनता के पहुँच भय सकय। ऐहेन स्थान सब पर जतय समाचारपत्र नहिं पहुँचैइत अछि, ओतय सक्षम प्राधिकारी के ढोल बजाऽ क आओर संगे-संग रेडियो अथवा टेलिविजन पर

विज्ञापन अथवा घोषणा द्वारा जहाँ दोसर माध्यम सब सँ जनता के आम जानकारी उपलब्ध कराबय के व्यवस्था करबाक चाही।

3.3 लोक सुनवाई के तारीख, समय आओर स्थान के ताऽ धरि अस्थगित नहिं कयल जायत जाऽ धरि कोनो आवंछित आपात स्थिति ने आईब जाय आओर खाली संबंधित जिा मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर अथवा उप आयुक्त के पैरवी पर केल गेल अस्थगन के हुनके राष्ट्रीय आओर प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्र के माध्यम सँ अधिसूचित कयल जायत आओर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा चिन्हल गेल सभ कार्यालय सब में मुख्य रूप सँ प्रदर्शित सेहो कयल जायत।

3.4 ऐहेन आपवादिक परिस्थिति सब में (उपर उप-खंड 3.3 में यथावर्णित) खाली जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त क परामर्श सँ सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति क सदस्य-सचिव क द्वारा लोक परामर्श के लेल नऽव तारीख, समय आओर स्थान के विनिश्चय कयल जायत आओर उपर 3.1 क अधीन प्रक्रिया क हिसाब सँ नऽव शुरूआत सँ अधिसूचित कयल जायत।

4. पर्यवेक्षण आओर सुनवाई के पीठासीन अधिकारी

श्रेणी 'क' के मामला सब में मजिस्ट्रेट/कलेक्टर / उप-आयुक्त अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक तक के ओकर प्रतिनिधि, आओर श्रेणी 'ख' परियोजना सबहक लेल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि क सहायता सँ उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट लोक सुनवाई प्रक्रिया के पर्यवेक्षण कऽरत आओर ओकर अध्यक्षता करताह।

5. वीडियोग्राफी

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाही सब हक वीडियो फिल्म तैयार करबाक व्यवस्था कऽरत। सम्बन्धित विनियामक प्राधिकारी के रिकॉर्ड पठवय काल सुनवाई विवरण क संग वीडियो टेप क एक प्रति अथवा एक सीडी अथवा डीवीडी अथवा यूएसबी अथवा दोसर स्टोरेज डिवाइस क संलग्न कयल जायत।

6. कार्यवाही सब:

6.1 ओ सभ व्यक्ति सब हक उपस्थिति केजे अंतिम कार्रवाई क स्थल पर विद्यमान छैथ के नोट कयल जायत।

6.2 कार्यवाही के आरंभ करबाक लेल उपस्थिति हेतु कोनो गणपूर्ति अपेक्षित नहि होयत।

6.3 आवेदक क कोनो प्रतिनिधि परियोजना आओर पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट क संक्षिप्त सार के प्रस्तुति क संग कार्यवाही सब आरम्भ करताह।

6.4 स्थल पर उपस्थित सभ व्यक्ति के , आवेदक सँ परियोजना पर सूचना अथवा स्पष्टीकरण मँगबाक अवसर देल जेतैईन। लोक सुनवाई कार्यवाही सभ क संक्षिप्त सार अभिव्यक्त सब बिचार सब आओर अभिव्यक्त चिंता सब के प्रदर्शित करैईत राज्य प्रदूषण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति क प्रतिनिधि के द्वारा अभिलिखित कयल जाएत आओर प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं सब के स्पष्ट करैईत कार्यवाही सबहक अंत में श्रोता सभ के पढ़ि कऽ सुनावल जायत। करार पाओल गेल कार्यवृत्त पर ओहि दिन प्रवर्ग “क” क मामला में जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट सँ अन्यून उप-मंडल मजिस्ट्रेट आओर प्रवर्ग “ख” क मामला में उप मंडल मजिस्ट्रेट,

जेहेनो भी मामला होय, जे कार्यवाहि सबहक अध्यक्षता कयने छैथ, के द्वारा हस्ताक्षर कयल जायत आओर संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के अग्रेषित कयल जायत।

6.5 जनता क द्वारा उठाओल गेल मुद्दा सबहक विवरण आओर परियोजना प्रस्तावक के टीका-टिप्पणी सभ के सेहो स्थानीय भाषा में अथवा राज्य क आधिकारिक भाषा जेहेन भी मामला होय आओर अंगेजी भाषा में तैयार कयल जायत आओर कार्यवाही सभ क संग संलग्न कयल जायत।

6.6 लोक सुनवाई क कार्यवाही के पंचायत सब क कार्यालय जकरा क्षेत्राधिकार में परियोजना स्थित अछि, संबंधित जिला परिषद् जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त आओर एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीबी क कार्यालय में प्रदर्शित कयल जायत। एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीबी आम सूचना क लेल कार्यवाही सब के अप्पन वेबसाइट पर प्रदर्शित करताह, कार्यवाही सब पर टिप्पणि सब, अगर कोनो होय, सोझे संबंधित विनियामक प्राधिकरण अथवा विहित परियोजना प्रस्तावक के पठाओल जेतैइन।

7. लोक सुनवाई के पूरा करबाक लेल कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई क आयोजन सँ सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलाप क लेल कालावधि निम्नवत होयत।

(i). लोक सुनवाई क आयोजन सँ सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलाप लेल कालावधि निम्नवत होयत ;

(ii). पीठासीन अधिकारी क सहमति क तारीख सँ अन्य पाँच दिन क भीतर एकटा राष्ट्रीय समाचार पत्र आओर एकटा प्रादेशिक भाषा अथवा राज्य के आधिकारिक भाषा क समाचार पत्र में लोक सुनवाईक विवरण विज्ञापित कयल जायत।

[iii]. जनता क अप्पन प्रतिक्रिया देबाक लेल बीस दिन क नोटिस कालाबधि देल जायत ;

[iv]. सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होवय के पाँच दिन क अंदर सम्बन्धित विनियामक प्राधिकरण के लोक सुनवाई क कार्यवाही सब प्रेषित करताह ।

8. लोक सुनवाई हेतु आवेदन के प्रारूप

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति,

..... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

विषय: में अवस्थित मैसर्स के प्रस्तावित परियोजना क लेल पर्यावरणीय संघात आकलन अधिसूचना क उपबंध सबहक तहत लोक सुनवाई के अनुरोध क सम्बन्ध में ।

ईआईए अधिसूचना, 2020 क प्रावधान सभहक अनुसरण में, एतद्वारा प्रस्तावित परियोजना के विवरण आओर लोक परामर्श क आयोजन क लेल अपेक्षित दस्तावेज एतद्वारा प्रस्तुत अछि;

1. परियोजना क विवरण:- परियोजना के नाम; कंपनी / संगठन क नाम; पंजीकृत पता; कम्पनी के विधिक स्थित; संयुक्त उद्यम अगर कोनो होय; इत्यादि ;

2. पत्राचार क पता: परियोजना प्रस्तावक के नाम / पदनाम (स्वामी / साझीदार / सीईओ) पता: डाक सूचकांक कोड; ई-मेल पता, दूरभाष सं; फैक्स सं; इत्यादि ।

3. परियोजना क प्रवर्ग: अनुसूची में मद सं: प्रवर्ग (क अथवा ख)

4.	परियोजना क अवस्थान: प्लॉट/ सर्वे/ खसरा सं: ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परिबद्ध अक्षांश; परिबद्ध देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट सँ; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम हवाई अड्डा; निकटतम शहर/ शहर/ जिला मुख्यालय (निर्दिष्ट करैथ); ग्राम पंचायत सब, जिला परिषद्, नगर निगम, स्थानीय निकाय (पिन कोड आओर दूरभाष सं० क संग पूरा डाक पता)।
5.	अगर परियोजना एक सँ अधिक राज्य सभ में क्रियान्वित कयल जा रहल अछि तऽ तत्संबंधी ब्यौरा: राज्य सब हक संख्या जाहि में परियोजना क्रियान्वित कयल जायत; परियोजना क मुख्य राज्य; ओई सऽभ राज्य क विवरण जतय परियोजना अवस्थित अछि।
6.	सौंपल कृत्य सब (टोओआर); टोओआर निर्गम क तिथि/ मानक टीओआर; एमओईएफएंडसीसी/ एसईआईएए मिसिल सं.; टीओआर पत्र के प्रति।
7.	परियोजना के अभिविन्यास आओर उत्पाद क विवरण।
8.	परियोजना लागत (लाख टाका में) वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना क कुल लागत; ईएमपी के लेल आवंटित निधि (पूजी) सीईआर क लेल आवंटित निधि सब; ईएमपी क लेल आवंटित निधि सब (प्रतिवर्ष आवर्ती)।
9.	विभिन्न कार्यकलाप क लेल भूमि के आवश्यकता।
10.	भूमि अधिग्रहण स्थिति: भूमि अधिग्रहित; भूमि एखन अधिग्रहित कयल जेनाई अछि; अगर भूमि अधिग्रहित नहि अछि तँ अधिग्रहण के स्थिति।
11.	पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन (आर एंड आर), अगर कोनो होयथ; गाम सबहक संख्या; घर परिवार सब हक संख्या; पीडीएफ (परियोजना विस्थापित परिवार) के संख्या; पीपीएफ (परियोजना प्रभावित परिवार)

	के संख्या; आर एंड आर क लेल आवंटित निधि सब; आर एंड आर क स्थिति (पूरा भय गेल / प्रगतिधीन एखन शुरू करबाक अछि।
12.	जनबल आवश्यकता; संनिर्माण / प्रचालन क क्रम में स्थायी / अस्थायी नियोजन, कुल जनबल।
13.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम / वायु (प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण) अधिनियम / जल (प्रदूषण निवारण आओर नियंत्रण) अधिनियम क तहत जारी कयल गेल न्यायालय मामला सब में निदेशन क विवरण, अगर कोनो होय।
14.	ईआईए परामर्शदाता क विवरण:— प्रत्यायन सं; ईआईए परामर्शदाता के नाम, पता, दूरभाष सं०, ईमेल पता, प्रत्यायन क कोटि (कोटि 'क' के लेल पात्र / कोटि ख के लेल पात्र) प्रत्यायन क क्षेत्र, प्रत्यायन के विधिमान्यता।
15.	संलग्न कयल गेल दस्तावेज: अंग्रेजी भाषा में तैयार कयल गेल प्रारूप ईआईए रिपोर्ट के कमेंसँ कम 10 हार्ड प्रति आओर एकटा सॉफ्ट (इलेक्ट्रॉनिक) प्रति आओर अंग्रेजी आओर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र क अधिकारिक भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा में ईआईए रिपोर्ट क सार के कमेंसँ कम 10 टा हार्ड प्रति।
	हस्ताक्षर आओर तिथि
	नाम, पदनाम, कंपनी, पता
9.	लोक सुनवाई क सूचना के लेल प्रारूप
	लोक सुनवाई सूचना में अन्य गप्प क संग संग निम्नलिखित मिलल होयबाक के चाही।
1.	परियोजना क विवरण: परियोजना के नाम; कंपनी / संगठन के नाम; पंजीकृत पता।

2.	परियोजना क अवस्थान: प्लॉट/ सर्वे/ खेसरा सं.; ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परिबद्ध अक्षांश; परिबद्ध देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट सं.; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम हवाई अड्डा; निकटतम शहर/ शहर/ जिला मुख्यालय (निर्दिष्ट करैईथ)।
3.	अगर परियोजना एक सँ बेसी राज्य सब में क्रियान्वित कयल जा रहल अछि, तऽ तत्संबंधी ब्यौरा।
4.	परियोजना क अभिविन्यास आओर उत्पादक विवरण।
5.	परियोजना लागत (लाख टका में) वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना क कुल लागत ईएमपी के लेल आवंटित निधि (पूँजी); ईएमपी क लेल आवंटित निधि सब (प्रतिवर्ष आवर्ती)।
6.	भूमि आवश्यकता: आवश्यक कुल भूमि हेक्टेयर में; भूमि अधिग्रहण स्थिति, भूमि अधिग्रहित, भूमि एखन अधिग्रहित कयल जाय के अछि।
7.	पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन (आर एंड आर, यदि कोनो होय; गामक संख्या; घर परिवार सब हक संख्या, पीडीएफ (परियोजना विस्थपित परिवार) क संख्या पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) क संख्या; आर एण्ड आर क स्थिति (पूरा भय गेल/ प्रगतिधीन/ एखन शुरू कयनाई अछि)।
8.	जनबल आवश्यकता: संनिर्माण/ प्रचालनक ककम में स्थायी/ अस्थायी नियोजन; कुल जनबल
9.	पूर्ण डाक पता, जतय प्रारूप ईआईए रिपोर्ट सब हक प्रति सब उपलब्ध कराओल गेल अछि।

परिशिष्ट- II

(खंड- II देखू)

प्ररूप- I

1-	परियोजना विवरण:- परियोजना क नाम, कम्पनी/संगठन का नाम, पंजीकृत पता, कम्पनी क विधिक स्थिति, संयुक्त उद्यम, यदि कोनो होय, आदि।
2-	पत्राचार क पता: परियोजना प्रस्तावक क नाम; पदनाम; पता; डाक; डाक सूचकांक; ईमेल पता; मोबाईल नं0; फैक्स सं0, इत्यादि।
3-	अनुसूची क अनुसार परियोजना क प्रवर्ग: अनुसूची में मद सं0; प्रवर्ग (क/ख1/ख2); प्रस्ताव क प्रकार (नडव/विस्तार) आधुनिकीकरण); इत्यादि।
4-	परियोजना क अवस्थिति: भूखंड/सर्वे/खसरा संख्या; ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परियोजना क अक्षांस आओर देशांतर/ कार्यकलाप स्थल; भारतीय सर्वेक्षण स्थलाकृति पत्र, औसत समुद्र तल सँ अधिकतम उत्कर्ष, के एमएल मिसिल; अध्ययन क्षेत्र क भीतरे परियोजना सीमा सँ निकटतम उच्चतम बाइढ़ स्तर (नि. वा. स्त.) के दूरी; भू-कंपी जोन; निकटतम रेलवे स्टेशन, निकटतम रेलवे स्टेशन सँ दूरी (किलोमीटर में); निकटतम हवाई अड्डा सँ दूरी (किलोमीटर में) निकटतम नगर/ शहर/जिला मुख्यालय (निर्दिष्ट करैइथ) ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, स्थानीय निकाय (पूरा पता, पिन कोड आओर दूरभाष संख्या क संग) इत्यादि।
5-	कीड परियोजना अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित करबाक प्रस्ताव अछि (हँ/ नहिँ)
6-	कीड परियोजना सीमावर्ती राज्य सब में अवस्थित करबाक प्रस्ताव अछि (हँ/ नहिँ)

7- अगर परियोजना के बहुत राज्य सभ / संघ क्षेत्र सभ में क्रियान्वित करबाक अछि तऽ तत्संबंधी विवरण: राज्य सब/ संघ क्षेत्र क संख्या जाहि में परियोजना क्रियान्वित कयल जायत, परियोजना क मुख्य राज्य/ संघ क्षेत्र, जतय परियोजना अवस्थित अछि।

8- अनुकल्पिक स्थल सबहक विवरण

क		पड़ताल कयल गेल अनुकल्पिक स्थल सबहक विवरण					
अनुकल्पिक स्थल	ग्राम	जिला	राज्य	सीमाबद्ध अक्षांश (उत्तर)		सीमाबद्ध देशांतर (पूर्व)	
				सँ	तक	सँ	तक
ख	अनुकल्पिक अवस्थान सब के दर्शावय बल स्थलाकृति पत्र क प्राप्ति						

9- उत्पाद सब आओर सह-उत्पादन सबहक विवरण आओर परियोजना अभिविन्यास

क. नव परियोजना सबहक मामला सब में		:	
क. उत्पाद सब आओर सह उत्पाद सबहक विवरण		:	
उत्पाद/कार्यकलाप (क्षमता/क्षेत्र)	परिमाण	इकाई	उत्पाद/सह-उत्पाद के परिवहन/संप्रेषण क माध्यम

- इकाई:- टन प्रतिवर्ष (ट.प्र.व.), संख्या ; मेगा वाट (मे. वा.), हेक्टेयर (है.) किलोमीटर दैनिक (कि.ली.दै.) टन पेराई दैनिक, (ट. प. दै.), घन मीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी) मिलियन लीटर दैनिक (मि.लि.दै.) चर्म प्रति माह, वर्ग मीटर, अन्य)
- उत्पाद क परिवहन/संप्रेषण क माध्यम (सड़क, रेल, वाहक पट्टा, पाइप वाहक, आकाशीय रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग, समुंद्र क दू अथवा तीन तरहक संयोजन, अन्य)

ख. परियोजना अभिविन्यास का विवरण		
संयंत्र/उपस्कर/सुविधा क विवरण	अभिविन्यास	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो
ख. विस्तार या आधुनिकीकरण के मामला सब में		
क. उत्पाद अथवा सब और सह-उत्पाद सब के विवरण		

उत्पाद/कार्यकलाप (क्षमता/क्षेत्र)	परिमाण	इकाई	उत्पाद सब/सह-उत्पाद सबहक परिवहन/संप्रेषण क माध्यम
	सँ	तक	

- इकाई:- टन प्रतिवर्ष (ट.प्र.व.), संख्या ; मेगा वाट (मे. वा.), हेक्टेयर (हे.) किलोमीटर दैनिक (कि.ली.दै.) टन पेराई दैनिक, (ट. प. दै.), घन मीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी) मिलियन लीटर दैनिक (मि.लि.दै.) चर्म प्रति माह, वर्ग मीटर, अन्य)
- उत्पाद क परिवहन/संप्रेषण क माध्यम (सड़क, रेल, वाहक पट्टा, पाइप वाहक, आकाशीय रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुंद्र क दू अथवा तीन तरहक संयोजन, अन्य)

ख. परियोजना अभिविन्यास का विवरण

संयंत्र / उपस्कर / सुविधा का विवरण	मौजूदा अभिविन्यास	प्रस्तावित अभिविन्यास	विस्तार पश्चात अंतिम अभिविन्यास	अभ्युक्ति सब, अगर कोई होय ।

ग. पहिने सँ प्राप्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क विवरण; पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क तिथि: मंत्रालय/एसईआईए/ डीईआईए मिसिल संख्या; पहिने सँ प्राप्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (सब) हक प्रति; संशोधन अगर कोनो होय; इत्यादि (पहिने सँ प्राप्त कयल गेल कतेको पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (सब) हक मामला सब में सबटा पहिने सँ प्राप्त सब पूर्व प. नि. क विवरण, पूर्व प. नि. में संशोधन, अगर कोनों होई तकर विवरण)

10- काँच सामग्री / ईंधन आवश्यकता:

काँच सामग्री /	मात्रा प्रतिवर्ष	इकाई	स्रोत (आयात क	परिवहन न क	परियोजना स्थल सँ	कटि-संहति क प्रकार

इंधन			मामला में कृष्या देश आओर पत्तन जतय सँ काँच सामाग्री इंधन प्राप्त कयल जायत के नाम विनिर्दिष्ट करू)	रीति	स्त्रोत का दूरी (किलोमीटर में) (आयात क मामला में ओहि पत्तन सँ दूरी जतय सँ काँच सामग्री इंधन प्राप्त कयल जायत	(कहि संहति / इंधन / आपूर्ति करार / ई- नीलामी सं.ज्ञ. / एलओए / आवद्ध / खुलल बाजार / अन्य

विस्तार प्रस्ताव सबहक मामला में, काँच सामग्री इंधन क कुल आवश्यकता देल जयबाक चाही।

— इकाई: टन प्रतिवर्ष (ट.प्र.व.), मेगा वाट (मे.वा.), हेक्टेयर (है.), किलो लीटर दैनिक (कि.ली.दै.), टन पेराइ दैनिक (ट.पे.दै.) घन मीटर दैनिक, किलोमीटर (कि.मी.) मिलियन लीटर दैनिक (मि.ली.दै.), अन्य

उत्पाद क परिवहन/संप्रेषण क माध्यम (सड़क, रेल, वाहक पट्टा, पाइप वाहक, आकाशीय रज्जु मार्ग, दू अथवा तीन तरहक संयोजन, अन्य)

11- विद्युत अपेक्षा: परिमाण (किलो वोल्ट अंपीयर (कि.वो.अं.)): स्त्रोत; अपाती व्यवस्था (डीजल जनित समुच्चय सब हक विवरण) स्टैक ऊंचाई (मी.में) इत्यादि:

12- परियोजना क लेल भूमि के आवश्यकता

क.	भूमि स्वामित्व स्वरूप (परियोजना प्रस्तावक के पूर्व) हेक्टेयर में (वन भूमि; निजी भूमि; सरकारी भूमि राजस्व भूमि; अन्य भूमि; कुल भूमि)
ख.	वर्तमान भूमि उपयोग अलगे अलगे हेक्टेयर में (कृषि क्षेत्र; बंजर/उसर क्षेत्र, चारागाह/सामुदायिक क्षेत्र; सतह जल निकाय; आबादी; औद्योगिक; वन; मैनग्रोव; समुद्री क्षेत्र; अन्य (विनिर्दिष्ट करुं) आओर कुल)

13-	वर्तमान मूल्य पर परियोजना क कुल लागत (लाख में) :
14-	कीऽ परियोजना पर ईआईए अधिसूचना क अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्त सब लागू होईत अछि (हैं/नहि) ? अगर हैं, विवरण प्रदान करु (नाम आओर परियोजना सँ दूरी) :

क.	संरक्षित क्षेत्र	:	
ख.	गंभीर रूप सँ प्रदूषित क्षेत्र		
ग.	पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र		
घ.	अंतर राज्य/संघ क्षेत्र सीमाएँ आओर अंतराष्ट्रीय सीमा सब		
ङ.	अति प्रदूषित क्षेत्र		
च.	पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन		

15-	कीऽ प्रस्ताव में निम्नलिखित में सँ ककरोऽ अंतर्गत अनुमोदन/ अनापत्ति मिलल अछि :
	अगर हैं, तऽ <u>विवरण/हुनक</u> स्थिति बताऊ

क.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ? (हैं/नहीं)		
ख.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ? (हैं/नहीं)		
ग.	सीआरजेड अधिसूचना 2019 ? {(हैं/नहीं) यदि हैं, सीआरजेड वर्गीकरण क संग: (सीआरजेड II(क), सीआरजेड II(ख), सीआरजेड II, सीआरजेड III, सीआरजेड IV(क), सीआरजेड IV(क)}		
घ.	सीआरजेड अधिसूचना 2019 ? (हैं/नहीं) अगर हैं, सीआरजेड वर्गीकरण क संग		

16- कीड पुनर्वास आओर पुनर्स्थापन (आर एंड आर) अंतर्ग्रस्त अछि (हैं/नहीं) ?

17- पारिस्थितिकीय आओर पर्यावरणीय संवेदनशीलता (10 किमी क भीतरे):

क.	पर्यावरणीय संवेदनशीलता क विवरण				
	पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता क विवरण	नाम	परियोजना सँ दूरी (किमी)	अभयुक्त सब	
<p>– पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का विवरण:– (गंभीर रूप सँ प्रदूषित क्षेत्र, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन, वन्यजीव, कॉरिडोर, इत्यादि</p>					

ख.	कीऽ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क पैरवी अपेक्षित अछि (हैं/नहीं) ?			
ग.	पर्यावरणीय संवेदनशीलता का विवरण			
[i].	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के विवरण	नाम/ पहचान	परियोजना सँ आकाशीय दूरी	अभियुक्ति सब
[ii].	हुनक पारिस्थितिक, भू-दृश्य, सांस्कृतिक अथवा अन्य संबंधित मूल्य क लेल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय अथवा, स्थानीय विधान क अधीन संरक्षित क्षेत्र			
[iii].	क्षेत्र जे पारिस्थिक कारणक लेल महत्वपूर्ण अथवा संवेदनशील अटि वेट लैंडस, जल स्रोत अथवा अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन बायोस्फीयर, पहाडी सब, वन			
[iv].	क्षेत्र जे प्रजनन, घोंसला बनबय, चारा क लेल, आराम करबाक लेल, सर्दी			

	क लेल, प्रवास क लेल, फ्लोरा आओर फोना के संरक्षित महत्वपूर्ण अथवा संवेदनशील प्रजाति सब हक द्वारा उपयोग कएल जाईत अछि			
[v].	अंतरदेशीय, तटीय, सामुंद्रिक अथवा भूमिगत जल, राज्य राष्ट्रीय सीमा सब			
[vi].	मनोरंजन क अथवा अन्य पर्यटक/ यात्री सब बला क्षेत्र सब में पहुचय के लेल जनता क द्वारा उपयोग कयल गेल मार्ग अथवा सुविधा सब			
[vii].	रक्षा प्रतिष्ठान			
[viii].	सघन रूप सँ बऽसल अथवा निर्मित क्षेत्र			
[ix].	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोग के करबाक अधिभोगाधीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशाला सब, पूजा स्थल, सामुदायिक			

	सुविधा सब			
[x].	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी अथवा दुर्लभ संसाधन सब बला क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मतस्य उद्योग, पर्यटन, खनिज)			
[xi].	क्षेत्र जे पहिने सँ ही प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय नुकसान क अधीन अछि (ओ जतय विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक बेसी होईत अछि)			
[xii].	क्षेत्र जतय प्राकृतिक संकट मय सकैत अछि, जे वर्तमान पर्यावरणीय समस्या सब हक योजना सब के प्रभावित कय सकैत अछि (धंसना, भू-स्खलन, भूमि कटाव बाईढ़ अथवा अत्यंत अथवा प्रतिकूल मौसमी स्थिति सब)			
घ.	कीऽ उपर्युक्त क संबंध में सक्षम प्राधिकारी सँ			

	अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनुज्ञा अपेक्षित अछि (हँ/नहँ) ?		
--	--	--	--

18- परियोजना क संनिर्माण, प्रचालन अथवा नई निकालनाई जाहि में ऐहेन कार्रवाई सेहो सम्मिलित अछि जे परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तन सबहक कारण होयत (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकाय सब में परिवर्तन इत्यादि)

क्र. सं.	जानकारी/जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ/नहँ	हुनकर ब्यौरा सब (लगभग मात्रा / दर सब, जे संभव होय) सहित आंकड़ा सबहक जानकारी के स्रोत सहित
[i].	भूमि उपयोग, समावेश भूमि अथवा स्थलाकृति में स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन जाहि में भूमि उपयोग क मात्रा में बृद्धि मिलल अछि (स्थानीय भूमि योजना क संलग्न बृद्धि सेहो सम्मिलित अछि) ?		
[ii].	विद्यमान भूमि, वनस्पति आओर भवन सबहक अनापत्ति ?		
[iii].	नए भूमि उपयोग सबहक		

	सृजन?		
[iv].	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात् बोर, गृह माईट क परिक्षण करनाई ?		
[v].	संनिर्माण कार्य ?		
[vi].	विध्वंस कार्य ?		
[vii].	संनिर्माण कार्य अथवा संनिर्माण कर्मकार सब के घर क प्रबंध क लेल उपयोग कयल गेल अस्थायी स्थल ?		
[viii].	उपर्युक्त भू-भवन, संरचना सब अथवा जमीनी कार्य जाहि में अनुरेखीय संरचना सब कटनाई आओर भरनाई अथवा खोदाई सेहो सम्मिलित अछि ।		
[ix].	भूमिगत कार्य जाहि में खनन अथवा सुरंग बननाई सेहो सम्मिलित अछि ।		
[x].	भूमि सुधार कार्य ?		
[xi].	तल कर्षक ?		
[xii].	अपतट संरचना सब ?		

[xiii].	उत्पादन आओर विनिर्माण प्रक्रिया सब ?		
[xiv].	समग्री सब अथवा माल क भंडार के सुविधा सब ?		
[xv].	ठोस अपशिष्ट अथवा तरल बहिस्त्राव सब हक उपचार अथवा निपटान के लेल सुविधा सब ?		
[xvi].	परिचालन कर्मकार सबहक दीर्घ कालिक घर क प्रबंध के लेल सुविधा सब ?		
[xvii].	संनिर्माण अथवा प्रचालन क क्रम में नऽव सड़क, रेल अथवा समुंद्री यातायात ?		
[xviii].	नऽव सड़क, रेल, वायु, जलवाहिक अथवा अन्य परिवहन अवसंरचना जाहि में परिवर्तित मार्ग सब आओर स्टेशन, पत्तन विमान पत्तन आदि सेहो सम्मिलित अछि ।		
[xix].	विद्यमान, परिवहन मार्ग सब के बंद करनाई अथवा अपवर्तन अथवा यातायात परिचालन में परिवर्तन सब के लेल प्रमुख		

	अवसंरचना ?		
[xx].	नडव अथवा अपवर्तित प्रेषण लाईन सब अथवा पाइपलाईन सब ?		
[xxi].	अवरुद्ध करनाई, बान्ह बनेनाई पुलिया बनेनाई, पुनः रेखांकन अथवा जल मार्ग सब अथवा एक्वीफर सबहक जल विज्ञान क लेल अन्य परिवर्तन ?		
[xxii].	प्रवाह पार ?		
[xxiii].	भूजल अथवा भूतल सँ जल क अंतरण अथवा पृथक्करण ?		
[xxiv].	नाली सब अथवा प्रवाह के प्रभावित करय बाला जल निष्पाद सब अथवा भूमि स्तर में परिवर्तन?		
[xxv].	संनिर्माण, परिचालन अथवा नई निकालय के लेल कार्मिक अथवा सामग्री सबहक परिवहन ?		
[xxvi].	दीर्घकालिक रूप सँ तोड़नाई प्रारंभ करनाई अथवा कार्य पुनः प्रारंभ करनाई ?		

[xxvii].	डिकमिशनिंग क क्रम में जारी ऐहेन कार्यकलाप जे पर्यावरण पर समाघात कय सकताह ?		
[xxviii].	जनता के कोनो क्षेत्र क लेल या तँ अस्थायी रूप सँ अथवा स्थायी रूप सँ अयनाई ?		
[xxix].	अन्य देशीय प्रजाति सबके अयनाई ।		
[xxx].	मूल निवासी प्रजाति सब पर अथवा आनुवांशिक विधिता क हानि ?		
[xxxi].	अन्य कोनो कार्रवाई सब ?		

19- पदार्थ सब अथवा सामग्री सब हक उपयोग, भंडारण, परिवहन, उठाई धराई अथवा उत्पादन जे मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण क लेल खतरानाक अथवा जिनकर मानव स्वास्थ्य के जोखिम के वास्तविकता क संदर्भ चिंता सब उठैत अछि ।

क० सं०	सूचना/जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ/नहिं	सूचना आंकड़ा सब के स्रोत सहित हुनक ब्यौरा सब पर (लगभग मात्रा सब/ दर सब हक सहित, जतय
--------	---------------------------	---------	---

			कतौऽ संभव होय)
[i].	पदार्थ सब अथवा सामग्री सब हक उपयोग जे मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण (फ्लोरा फ़ोना आओर जल प्रदाय) के लेल परिसंकटमय (एम.एस.आई.एच.सी. नियम सब हक अनुसार) अछि ?		
[ii].	रोग के होवय में परिवर्तन अथवा रोग वाहक सब के रोगक प्रभाव (उदाहरणार्थ कीट अथवा जल अन्य रोग) ?		
[iii].	लोक सभ के कल्याण पर प्रभाव (उदाहरणार्थ जीवन दशा सब में परिवर्तन कय कऽ) ?		
[iv].	लोक सबहक संवेदनशील समूह जे परियोजना अर्थात अस्पताल करोजी सब, बालक सब, बृद्धसब आदि क द्वारा प्रभावित मय सकैत अछि ?		
[v].	कोनो अन्य कारण ?		

20- वायु में संदूषक सबहक अथवा विषैल अथवा जहरैल पदार्थ सबहक विसर्जन (कि. ग्रा./घंटा)

क्र. सं.	सूचना / जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ / नहिँ	सूचना आंकड़ा सब के स्रोत संग हुनक ब्यौरा सब पर (लगभग मात्रा सब / दर सब हक संग, जतय कतैऽ संभव होय)
[i].	स्थायी अथवा चल संसाधन सब सँ जीवाश्म ईंधन सब हक दहन सँ उत्सर्जन ?		
[ii].	उत्पादन प्रक्रिया सब सँ उत्सर्जन ?		
[iii].	समग्री सब के उठाई धराई सँ, जाहि के अन्तर्गत भंडारण अथवा परिवहन सहो अछि उत्सर्जन ?		
[iv].	निर्माण क्रियाकलाप सभ सँ जकरा अनतर्गत संयंत्र आओर उपस्कर सेहो अछि उत्सर्जन ?		
[v].	सामग्री सबहक उठाई धराई सँ जकरा अनतर्गत निम्नण सामाग्री, मल, जल आओर अपशिष्ट, गर्दा अथवा गंध सेहो मिल अछि ?		
[vi].	अपशिष्ट क भस्मीकरण सँ		

	उत्सर्जन ?		
[vii].	खुलल हवा में अपशिष्ट के जरला सँ उत्सर्जन (उदाहरणार्थ, स्लैश सामग्री, निर्माण सामग्री क ढेरी) ?		
[viii].	कोनो अन्य स्रोत सब सँ उत्सर्जन ?		

21- हल्ला गुल्ला आओर कंपन क उत्पन्न भेनाई आओर प्रकाश आओर उष्मा क उत्सर्जन

क्र० सं०	जानकारी/जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ/नहिँ	सूचना आंकड़ा सब के स्रोत संग हुनक ब्यौरा सब पर (लगभग मात्रा सब/ दर सब हक संग, जतय कतौऽ संभव होय)
[i].	उपस्कर क प्रचालन सँ उदाहरणार्थ इंजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र ?		
[ii].	औद्योगिक अथवा ओहि प्रकारक प्रक्रिया सब सँ ?		

[iii].	निर्माण अथवा ढाहलाऽ सँ ?		
[iv].	विस्फोटन अथवा पाइलिंग सँ ?		
[v].	निर्माण अथवा परिचालन सम्बन्धी यातायात सँ ?		
[vi].	प्रकाशन अथवा प्रशीतन प्रणाली सब सँ ?		
[vii].	कोनो अन्य स्रोत सब सँ ?		

- 22-** भूमि अथवा मल, नाली सब, सतही जल, भूमिगत जल तटीय जल अथवा समुद्र में प्रदूषक सभ के विसर्जन सँ भूमि अथवा जल क संदूषण के जोखिम

क्र० सं०	सूचना / जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ / नहीं	सूचना आंकड़ा सब के स्रोत सहित हुनक ब्यौरा सब पर (लगभग मात्रा सब / दर सब हक संग, जतय कतौऽ संभव होय)
[i].	परिसंकटमय सामग्री के उठाई धराई, भंडारण, उपयोग अथवा गाईद सँ ?		
[ii].	जल अथवा भूमि में अनुमानित ढंग आओर विसर्जन क स्थान)		

	मल जल अथवा अन्य बहिस्त्राव सब हक विर्सजन सँ ?		
[iii].	वायु सँ भूमि अथवा जल में उत्सर्जित प्रदूषक सब के जमा होयला सँ ?		
[iv].	कोनो अन्य स्रोत सब सँ ?		
[v].	कीऽ अई स्रोत सब सँ पर्यावरण में प्रदूषक सभ के जमा भेऽला सँ दीर्घ कालिक जोखिम अछि ?		

23- परियोजना क निर्माण अथवा प्रचालन क क्रम में दुर्घटना सब हक जोखिम जे मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के प्रभावित कय सकैत अछि ।

क्र० सं०	सूचना / जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ / नहिँ	सूचना आंकड़ा सब के स्रोत संग हुनक ब्यौरा सब पर (लगभग मात्रा सब / दर सब हक सहित, जतय कतौऽ जेहीं संभव होय)
[i].	परिसंकटमय पदार्थ सब हक विस्फोट, गार्ड, आइग, भंडारण, उठाई, धराई अथवा उत्पादन सँ		

	?		
[ii].	कोनो अन्य कारण सब सँ ?		
[iii].	कीऽ परियोजना प्राकृतिक विपदा सबहक द्वारा पर्यावरण क नुकसान पहुँचायत (उदाहरणार्थ बाइठ भूकम्प भूस्खलन, वृष्टिफोट आदि ?		

24- गप्प सब, जाहि पर बिचार कयल जाय के चाही (जेना कि पारिणामिक विकास) जकरा कारण पर्यावरणीय प्रभाव होईत अछि अथवा जे संचयी प्रभाव सब के करबाक लेल अन्य विद्यमान प्रभाव सबहक संग अथवा परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलाप सब के लेल समर्थवान अछि ।

क्र० सं०	सूचना/जाँच सूची पुष्टिकरण	हँ/नहिँ	सूचना आंकड़ा सब के स्रोत सहित हुनक ब्यौरा सब पर (लगभग मात्रा सब/ दर सब हक सहित, जलाय जेहीं संभव होय)
[i].	जकरा कारण आधार क विकास सहायक विकास अथवा परियोजना द्वारा प्रभाव भय सकैत अछि, उदाहरणार्थ : आधारिक अवसंरचना (सड़क सब, बिजली		

	प्रदाय, अपशिष्ट अथवा अपशिष्ट जल उपचार आदि); आवासन विकास, निष्कर्षित उद्योग; पूर्ति उद्योग; कोनो अन्य ?		
[ii].	जकरा कारण स्थल के बाद में उपयोग होइत अछि जकरा पर्यावरण पर प्रभाव मय सकैत अछि ?		
[iii].	पश्चातवर्ती विकास सबहक लेल उदाहरण स्थापित करनाई ?		
[iv].	सामिप्य क कारणें अन्य विद्यमान परियोजना सब पर संचयी प्रभाव अछि अथवा ओहि प्रकार क प्रभाव सबक संग नियोजित परियोजना सब ?		

25-	कीऽ परियोजना पर कोनो वाद लंबित अछि (हैं/नहीं); अगर हैं, तऽ विवरण प्रस्तुत करैइथ ।
26-	कीऽ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम/ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम / जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम क अंतर्गत कोनों निदेश जारी कयल गेल अछि (हैं/ नहीं): अगर हैं, विवरण प्रस्तुत करैइथ ।
27-	संलग्न कयल जाय बला दस्तावेज

क	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट क प्रति अपलोड करैइथ (खाली पीडीएफ के ही अपलोड करैइथ)		
ख	खाका योजना क एक प्रति अपलोड करू (खाली पीडीएफ के ही अपलोड करू)		
ग	परियोजना प्रस्तावक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र अपलोड करैइथ (खाली पीडीएफ के ही अपलोड करैइथ)		
घ	प्रयोक्त अभिकरण क निमित्त अहि आवेदन के प्रस्तुत करय बाला व्यक्ति के समर्थ में परियोजना प्रस्तावक के द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के एक प्रति अपलोड करू। (खाली पीडीएफ के ही अपलोड करू)		

28- परिवचन

हम एतद्वारा ई वचन दैत छी जे आवेदन आओर संलग्नक सब में देल गेल आँकड़ा सब आओर विश्वास में सही अछि आओर हमरा ई जानकारी अछि जे अगर प्रस्तुत आँकड़ा आओर सूचना के कोनो भाग कोनो प्रक्रम पर असत्य अथवा भ्रामक पायल जाइत अछि तऽ परियोजना के अस्वीकार कय वेल जायत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो होय,

हमऽर जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहत कयल जायत। उपर्युक्त क अलावा, हऽम एतद्वारा ई बचन दैत छी कि ओकरा बाद क कोनो कार्यकलाप/संनिर्माण/विस्तार शुरू नहिं कयल गेल अछि।

नाम; पदनाम; कंपनी; पता

टिप्पण:

1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2018 क अधीन अनापत्ति बला परियोजना सब आवेदन क संग परियोजना क्रियाकलाप, डब्ल्यू आर टी सी आर जैड (टी. ओ. आर क अवस्था में) दर्शावइत एकटा प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सम्यक रूप सँ रेखांकित सी आर जेड नक्शा आओर राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (ई.सी. के अवस्था में) के पैरवी प्रस्तुत करताह। सी आर जेड में कयल जाय बला क्रियाकलाप क लेल सी आर जैड अधिसूचना, 2019 क उपबंध सब हक अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करबाक लेल सेहो संग-संग कार्रवाई कयल जायत।
2. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य पशु सब के प्रवासी कॉरीडोर क 10 किमी क भीतर स्थापित करय जाय बला परियोजना सब हक संबंध में परियोजना प्रस्तावक अहि लक्षणा सब हक संग संग परियोजना अवस्थिति दर्शवैइत मुख्य वन प्राणी वार्डन क द्वारा सम्यक रूप सँ अधिप्रमाणित नक्शा आओर ओहि पर मुख्य वन प्राणी वार्डन क पैरवी सब पर अथवा टिप्पणी सब पर प्रस्तुत कऽरत (पूर्व ईसी क अवस्था में)।
3. स्कोपिंग/ पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति, पश्चात स्पष्टीकरण क प्रस्तुत करऽब संग पर्यावरण, वन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क संग सभ पत्राचार, जे समय समय पर अपेक्षित अछि, परियोजना प्रस्तावक क निमित्त ईएसी में भागीदारी सिर्फ प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा कयल जायत। प्राधिकृत हस्ताक्षरी, विनिर्दिष्ट परियोजना क लेल परियोजना प्राधिकृत हस्ताक्षरी क अपन दावा क समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कऽरत।

परिशिष्ट-III

(खंड- II देखें)

प्ररूप-1 क

(खाली अनुसूची के मद 42 आओर 43 में प्रवर्ग 'ख2' क अधीन सूचीबद्ध भवन आओर निर्माण परियोजना क लेल)

पर्यावरणी प्रभाव सबहक जॉच सूची

(परियोजना प्रस्तावक के पूर्ण जानकारी उपलब्ध करेनाई और जतय कतौऽ भी आवश्यक होय प्ररूप क संग स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न, करू आओर प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंध तंत्र योजना आओर मॉनिटरी कार्यक्रम क संग प्रस्तुत करू।)

क्र.	मद	विवरण
1	भूमि पर्यावरण	
1.1	कीऽ विद्यमान भूमि क उपयोग में परियोजना सँ सारवान रूप सँ परिवर्तन कयल जाएत जे वातावरण चारू करत सँ संगत नहि अछि ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान/ विकास योजना क अनुरूप होयबाक चाही। भूमि उपयोग में परिवर्तन अगर कोनो होय आओर सक्षम प्राधिकारी सँ कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत कयल जाए)।	
1.2	भूमि क्षेत्र निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुदायिक सुविधाएँ पार्किंग के आवश्यकता आदि के अनुसार सब पैङ्घ परियोजना क आवश्यकता सब के सूचीबद्ध करैथ।	
1.3	प्रस्तावित स्थल सँ संलग्न विद्यमान सुविधा सब पर प्रस्तावित क्रियाकलाप सब हक केहेन प्रभाव होयबाक संभावना अछि?	

	(जेना कि खुलल स्थल, सामुदायिक सुविधा सब, विद्यमान भूमि उपयोग क ब्यौरा सब, स्थानीय परिस्थिति के विघ्न)	
1.4	कीऽ कोनो महत्वपूर्ण भूमिविघ्न क परिणामस्वरूप भूस्खलन, भूमि कटाव आओर अस्थिरता होयत ? (मृदा किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाव के संवेदनशीलता, भूकम्पण आदि के ब्यौरा सब देल जाय)।	
1.5	कीऽ प्राकृतिक मल विकास प्रणाली क परिवर्तन सँ सम्बन्धित प्रस्ताव अछि ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल क निकट प्राकृतिक मल निकासी के दर्शित करैइत कोनो समोच्च नक्शा क ब्यौरा दियऽ)	
1.6	निर्माण कार्यकलाप— कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित, भूमि कार्य क मात्रा सब कीऽ अछि ? (अंतर्वलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर सँ सामग्री भरबाक परिवहन के ब्यौरो दियऽ)।	
1.7	निर्माण अवधि क क्रम में जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई—धराई आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा सबदीयऽ।	
1.8	कीऽ नीचा क क्षेत्र सभ आओर वेटलैंडस में परिवर्तन होयत ? (ओ ब्यौरा सब दैथ जे कोन तरेह निचला क्षेत्र आओर वेट लैंडस प्रस्तावि क्रिया कलाप सब सँ उपांतरित भय रहल छैथ)।	
1.9	कीऽ निर्माण क क्रम में निर्माण क कूड़ा— करकट आओर अपशिष्ट सँ स्वास्थ्य के खतरा होयत ? (निर्माण क क्रम में जाहि क अंतर्गत निर्माण, श्रम आओर व्ययन के युक्ति सब सेहो अछि, जनित अपशिष्ट सब के विभिन्न प्रकार क मात्रा सब देथ)	

2	जल पर्यावरण	
2.1	विभिन्न उपयोग सबहक अपेक्षा सब के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना क लेल जल अपेक्षा के कुल मात्रा दैथ। जल अपेक्षा क पूर्ति कोना होयत। स्रोत सब आओर मात्रा सबहक कथन करैथ आओर एकटा जल अतिशेष विवरण दैथ।	
2.2	जल क प्रस्तावित स्रोत के की क्षमता अछि ? (बहाव अथवा प्राप्ति क आधार पर)	
2.3	अपेक्षित जल के कीऽ गुणवत्ता अछि। अगर पूर्ति कोनो नगरपालिका स्रोत सँ नहि अछि? (जल क गुणवत्ता क वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षण सब के दर्शित करू)	
2.4	कतेक जल अपेक्षा के उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः चक्रण सँ पूर्ति भय सकैत अछि ? (मात्रा सब, स्रोत सब आओर उपयोगिता सब हक ब्यौरा सब दैथ।)	
2.5	कीऽ अन्य उपभोक्ता सब सँ जल के—उपयोजन होयत ? (कृष्या अन्य विद्यमान उपयोग सभक आओर उपभोग क मात्रा सब पर परियोजना क प्रभाव क निर्धारण करैथ)	
2.6	प्रस्तावित क्रियाकलाप सब सँ प्राप्त अपशिष्ट जल सँ प्रदूषण क भार में की बृद्धि अछि ? (प्रस्तावित क्रियाकलाप सब सँ प्राप्त अपशिष्ट जल क मात्रा सब आओर संघटन क ब्यौरा दैथ)।	
2.7	जल अपेक्षा सबहक जल संचयन सँ भेल पूर्ति क ब्यौरा सब दैथ। सृजित सुविधा सब हक ब्यौरा प्रस्तुत करैथ।	
2.8	दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरणक पश्चात क्षेत्र के प्रस्तावित	

	परियोजना के पूरा होवय के लक्षण सब (मात्रात्मकता क संग-संग गुणवत्ता सेहो) हक कारण भूमि उपयोग में भेल परिवर्तन सब के कीऽ प्रभाव होयत ? कीऽ एकरा बाईढ़ अथवा जल क जमा होयबाक कोनो रूप में समस्या में बृद्धि होयत ?	
2.9	भूमिगत जल पर प्रस्ताव के कीऽ प्रभाव होयत ? (कीऽ भूमिगत जल में कऽल लगाओल जायत; भूमिगत जल के सरिणी, पुनः प्रभारण क्षमता आओर सक्षम प्राधिकारी सँ अभिप्राप्त अनुमोदित अगर कोनो होय, के ब्यौरा सब दैथ)	
2.10	भूमि आओर पनिल सब के प्रदूषित करय बला निर्माण क्रियाकलाप सब के बन्द करबाक लेल, पैऽर सब सावधान/ कदम उठावक अछि ? (प्रतिकूल प्रभाव सब सँ बचबाक लेल मात्रा सबहक आओर अपनावय बला उपैऽ सब हक ब्यौरा दैथ)	
2.11	स्थल क भीतर कोन तरहें तेल जल क व्यवस्था कयल जाएत ? (क्षेत्र में बाईढ़ सँ बचबाक लेल कयल गेल उपबंध समोच्च स्तर सब क उपदर्शन के स्थल संग उपलब्ध कराओल गेल जल निकासी सुविधा सब हक ब्यौरा सब हक कथन करैथ)।	
2.12	कीऽ आवश्यक अवधि में विशेष रूप सँ निर्माण श्रमिक सब के लगौला सँ परियोजना स्थल क लऽग पास अस्वच्छता के स्थिति उत्पन्न भय जाईत अछि ? (उचित स्पष्टीकरण सँ न्यायोचित ठहराबैथ)	
2.13	स्थल सुविधा सब पर संग्रहण, उपचार आओर जल निकासी के सुरक्षित व्ययन क लेल कोन व्यवस्था कयल जाईत अछि ? (पुनः चक्रण आओर व्ययन के लेल प्रोद्योगिकी आओर सुविधा सब हक संग जनन, उपचार क्षमता सब हक, चाहे जेहनो होय मात्रा सब	

	हक ब्यौरा दैथ)	
2.14	दोहरी नल साजी प्रणाली के ब्यौरा दैथ अगर उपयोग कएल गेल उपचारित अपशिष्ट क प्रसाधन सबहक बहान सँ अथवा कोनो अन्य उपयोग के लेल उपयोग कयल जाईत अछि ।	
3	वनस्पति	
3.1	कीऽ जैव विविधता पर परियोजना के कोनो खतरा अछि ? (स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणाली के ओकर विशिष्ट बात सबहक संग अगर कोनो होय वर्णन करीऽ)	
3.2	कीऽ निर्माण में वनस्पति के विस्तृत निकासी अथवा उपांतरण अंतर्वलित अछि ? (परियोजना क द्वारा प्रभावित बृक्ष सब आओर वनस्पति के विस्तृत लेखा जोखा दैइथ)	
3.3	महत्वपूर्ण स्थल के बात सब पर प्रभाव सबके कम करबाक लेल प्रस्तावित उपाय की अछि ? (कोनो समुचित मापमान के कोनो अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकाय सबहक आदि के सृजन क प्रस्ताव के ब्यौरा दैथ)	
4	जीव जन्तु	
4.1	कीऽ जीव जन्तु सब, स्थलीय आओर जलीय रूप सँ कोनो तरहे हटयबाक अथवा हुनका चलय फिरय के लेल रूकावट सब होयबाक संभावना अछि ? ब्यौरा दैथ ।	
4.2	क्षेत्र क जीव जन्तु सब पर कीऽ कोनो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव अछि ? ब्यौरा दैथ	
4.3	जीव जन्तु सब पर प्रतिकूल प्रभाव सब के कम करबाक, लेल	

	कॉरीडोर, मछली लेडर्स आदि जहाँ उपेय विहित करैथ ।	
5	वायु पर्यावरण	
5.1	कीऽ पर्यावरण सँ द्वीप सब में गैस सब हक वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होयत आओर ओकर परिणाम स्वरूप उष्मा बऽढत? (प्रस्तावित निर्माण सबहक परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़य के ध्यान में रखैत विक्षेपण आदर्श सब पर आधारित अनुमानित मूल्य सब हक संग पृष्ठभूमि वायु, गुणवत्ता स्तर क ब्यौरा दैथ)	
5.2	गरदा, जहरैल भाप सब अथवा दोसर परिसंकटमय गैस सबके बनय पर की प्रभाव अछि ? सब मौसम विज्ञान परिमाण सभक संबंध में ब्यौरा दैथ ।	
5.3	कीऽ प्रस्ताव सँ गाड़ी सबके पार्क करबाक स्थल में कमी आओत? परिवहन अवसंरचना आओर सुधार क लेल प्रस्तावित उपैऽ सब के जकरा अन्तर्गत परियोजना स्थल क प्रवेश आओर निर्गम पर यातायात व्यवस्था सेहो अछि, विद्यमान स्तर क ब्यौरा दैथ ।	
5.4	प्रत्येक प्रवर्ग क अधीन क्षेत्र सब में – आंतरिक सड़क सब, बाईसिकिल मार्ग सब, पॉव पैरेऽ यात्री मार्ग सब, पैरेऽ मार्ग सब आदि पर चलय के पैटर्न सबहक ब्यौरा दैथ ।	
5.5	कीऽ यातायात हल्लागुल्ला आओर कंपन में महत्वपूर्ण बृद्धि होयत ? उपर वर्णित गप्प के कम कराबक लेल स्रोत सब आओर प्रस्तावित उपैऽ क ब्यौरा दैथ ।	
5.6	परियोजना स्थल क लऽग पास हल्ला गुल्ला आओर कंपन आओर परिवेशी हवा क गुणवत्ता पर डीजी सेट सब आओर	

	दोसर उपस्कर सब पर की प्रभाव होयत ? ब्यौरा दैथ ।	
6	सौंदर्यबौद्धी	
6.1	कीऽ प्रस्तावित परिनिर्माण सबहक परिणामस्वरूप कोनो दृश्य, दृश्य सुविधा अथवा भुदृश्य में रूकावट होयत ? की प्रस्तावक सब आहि गप्प पर विचार कय लेलनि अछि ?	
6.2	कीऽ विद्यमान परिनिर्माण सब पर नव निर्माण सँ कोनो प्रतिकूल प्रभाव होयत ? कोन कोन गप्प क ध्यान में राखल गेल अछि ?	
6.3	कीऽ डिजाइन मापमान के प्रभावित करय बला शहर रूप अथवा शहर डिजाइन सबहक कोनों स्थानीय आकलन अछि ? ओकरा स्पष्ट रूप सँ उल्लेख कयल जा सकैत अछि ।	
6.4	कीऽ कोनो मानव विज्ञान संबंधी अथवा पुरातत्वीय स्थल अथवा बाह्य सब लऽग पास में अछि ? कथन करु, अगर कोनो अन्य महत्वपूर्ण गप्प, जाहि पर प्रस्तावित स्थल क परिक्षेत्र में होयब पर विचार कयल गेल अछि ।	
7	समाजिक – आर्थिक पहलू	
7.1	कीऽ प्रस्तावक क परिणामस्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माण सभ में कोनो परिवर्तन होयत ? ब्यौरा दिय ?	
7.2	प्रस्तावित परियोजना क लऽग पास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना क ब्यौरा दैथ ।	
7.3	कीऽ परियोजना सँ स्थानीय समुदाय सब पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थल सब अथवा दोसर सांस्कृतिक मूल्य सब में विघ्न पऽडत? प्रस्तावित सुरक्षा उपैऽ की अछि ?	

8.	निर्माण सामग्री	
8.1	बेसी ऊर्जा संग निर्माण सामग्री क उपयोग भय सकऽत ? कीऽ उर्जा दक्ष प्रक्रिया सबहक संग निर्माण सामग्री उत्पादित कयल जाइत अछि ? (निर्माण सामग्री आओर हुनकर उर्जा दक्षता अथवा चयन करबाऽ में उर्जा संरक्षण उपैऽ क ब्यौरा दैथ)	
8.2	निर्माण क क्रम में सामग्री के परिवहन आओर उटाई धराई के कारण प्रदूषण, हल्ला गुला आओर लोक अशांति भय सकैत अछि। अहि प्रभाव के कम करबाक लेल की सब उपैऽ कयल जाईत अछि ?	
8.3	कीऽ सड़क सब पर आओर ढाँचा सब में पुनः चकित सामग्री उपयोग कयल जाईत अछि ? कयल गेल बचत सब हक सीमा के कथन करू ?	
8.4	परियोजना क प्रचालन सम्बन्धी चरण सब हक क्रम में भेल कूड़ा क संग्रहण, पृथक्करण आओर व्ययन के पद्धति क ब्यौरा सब दैथ।	
9	ऊर्जा संरक्षण	
9.1	विद्युत अपेक्षा, प्रदाय क स्रोत, बैक अप क स्रोत आदि क पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरा दैथ। निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट उर्जा खपत कतेक अछि ? उर्जा खपत के कम करबाक लेल की सब प्रयास कयल गेल अछि ?	
9.2	विद्युत के बैक-अप क प्रकार आओर क्षमता, जकरा देवय के अहाँक योजना अछि, कीऽ अछि ?	

9.3	उपयोग कयल जाय बला कॉच क अभिलक्षण की अछि ? शार्टवेव आओर लॉग वेव विकिरण दूनू सँ सम्बन्धित ओकर अभिलक्षण सब हक विनिर्देश दैथ ।	
9.4	भवन में कोन सब अप्रत्यक्ष आओर वास्तविक कारक उपयोग कयल जा रहल अछि ? प्रस्तावित परियोजना में कयल गेल उपयोजन के स्पष्ट करू ।	
9.5	कीऽ गली सब आओर भवन सब हक अभिन्यास सौर उर्जा युक्ति सबहक क्षमता के अधिकतम करई छैथ ? कीऽ अहाँ भवन परिसर में उपयोग क लेल सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन आओर सौर तप्त जल प्रणाली सबके उपयोग कयल जाइत अछि ? ब्यौरा सबहक सार दैथ ।	
9.6	कीऽ प्रशीतन/ तापन भार के कम करबाक लेल शेडिंग के प्रभावी रूप सँ उपयोग कयल जाइत अछि । पूर्व आओर पश्चिम देवाल सब आओर कोठा पर शेडिंग के अधिकतम करय के लेल उपयोग करय के कीऽ सिद्धान्त अछि ?	
9.7	शीतन, प्रकाशन आओर यांत्रिक प्रणाली सबहक उपयोग कयल जायत अछि ? तकनीकी ब्यौरा दैथ । ट्रांसफार्मर सब आओर मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता आओर वायु प्रशीतन भार धारणा सब हक ब्यौरा दैथ ? कीऽ अहाँ सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर सब के उपयोग कय रहल छैथ ? विनिर्देश दैथ ।	
9.8	सूक्ष्म, जलवायु परिवर्तन में भवन क्रियाकलाप सभ के संभावित प्रभाव कीऽ अछि ? तप्त द्वीप आओर प्रतीपन प्रभाव सबहक सृजन पर प्रस्तावित निर्माण में संभावित प्रभाव सब पर स्वतः	

	निर्धारण के उल्लेख करी।	
9.9	भवन अहाता के तापीय अभिलक्षण की अछि ? (क) छत (ख) बाहू देवाल सब आओर (ग) झरोखा सब ? उपयोग कयल गेल सामग्री आओर व्यष्टिक संघटक सब के भू-मूल्य सब पर आओर – मूल्य सब के ब्यौरा दैथ।	
9.10	अग्नि संकट के लेल प्रस्तावित सावधानी सब आओर सुरक्षा उपैय की अछि ? आपात योजना सब हक ब्यौरा दिय ?	
9.11	देवाल सामग्री के रूप में अगर शीशा के उपयोग कयल जाईत अछि ताऽ ब्यौरा आओर विनिर्देश जकरा अन्तर्गत उत्सर्जनता आओर तापीय अभिलक्षण सेहो अछि, दैथ।	
9.12	भवन में वायु प्रवेशन के दर कीऽ अछि ? प्रवेशन क प्रभाव के कोना क कम कय रहल छैथ। ओकर ब्यौरा दैथ।	
9.13	समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकि सब के कोन सीमा तक उपयोग कयल जाइत अछि ?	
	उपयोग कयल गेल नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सब हक ब्यौरा दैथ।	
10	पर्यावरण प्रबंध योजना— पर्यावरण प्रबंध योजना में निर्माण प्रचालन आओर परियोजना के क्रियाकलाप सब हक परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव सब के न्यूनतम करबाक लेल समस्त जीवन चक्र के क्रम में कयल जाय बला क्रियाकलाप सबके सऽब मदवार के लेल सभटा न्यूनतम करय बला उपैऽ अंतर्विष्ट होयत। एहि में विभिन्न	

	पर्यावरणीय विनियम सब के अनुपालन क लेल पर्यावरणीय मॉनिटरी योजना क आलेखन सेहो होयत। आपात क स्थिति में, जेहेन स्थल पर दुर्घटना जाहि के अर्न्तगत आईग लगनाई सेहो अछि उठाओल जाय बला कदम क कथन सेहो होयत।	
11	संलग्नक	
क	परियोजना स्थल आओर लगपासक परिदृश्य	
ख	स्थल अवस्थिति	
ग	प्रस्तावित स्थल क परिवर्ती विशेषता सब	
घ	समुचित मापमान में स्थल (लेवल आओर समोच्च उपदर्शित करैइत) (अगर उपलब्ध नहि होय तऽ मात्र अवधारणात्मक योजना टा संलग्न करैइथ)	

परिशिष्ट- IV

(खंड- II देखें)

प्ररूप-1ख2

**प्रवर्ग ख2 परियोजना सब / कार्यकलाप सब हक लेल पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति
हेतु आवेदन**

<p>1. परियोजना लागत : वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना क कुल लागत (लाख में); पर्यावरण प्रबंधन हेतु आवंटित निधि सब (पूँजी); सीईआर के लेल आवंटित निधि सब; ईएमपी के लेल आवंटित निधि सब (वार्षिक आवर्ती)</p>					
<p>2. जल आवश्यकता क ब्यौरा सब (संनिर्माण, प्रचालन आओर समापन चरण सब हक कम में)</p>					
क.	स्त्रोत	मात्रा केएलडी में	जल निकासी क पद्धति	स्त्रोत सँ दूरी	परिवहन क तरीका
<p>स्त्रोत: सतह/भूजल/समुंद्र/अन्य; परिवहन क तरीका: पाइपलाइन/ नहर/ अन्य; जल निकासी क पद्धति: बैराज/ मेढ/ ग्रहण इनार/ जैक इनार/ नलकूप/ खुलल इनार/ अन्य</p>					
ख.	पत्र संख्या; जारी करबाक तारीख; अनुमत मात्रा ;				

	सक्षम प्राधिकारी सँ अनुमति क प्रति		
ग.	कीऽ विलवणीकरण क प्रस्ताव कयल गेल अछि (हँ / नहिँ)		
	अगर हँ, (I) विलवणीकरण क्षमता (केएलडी); (II) लवण जल क मात्रा (के एल डी) लवण जल क निपटान के पद्धति		

3. अपशिष्ट जल प्रबंधन (निर्माण, प्रचालन आओर समापन क क्रम में)

किस्म / स्रोत	उत्पादित अपशिष्ट जल की मात्रा (किलोलीट र प्रति दिवस)	शोधन क्षमता (किलोलीट र प्रति दिवस)	शोध न पद्धि त	निपटा न पद्धति	पुनः चक्रण/ पुनः उपयोग में प्रयुक्त उपचारित जल क मात्रा (किलोलीट र प्रति दिवस)	निस्सारित जल की मात्रा (किलोलीट र प्रति दिवस)

4. ठोस अपशिष्ट जनन प्रबंधन (बहु प्रविष्टि अनुज्ञात)					
मद	मात्रा प्रतिवर्ष	इकाई	स्थल सँ दूरी	परिवहन सँ पद्धति	निपटान क तरीका

✓ मद :- (औद्योगिक अपशिष्ट, नगीय ठोस अपशिष्ट, प्लाई, ऐश, बॉटम ऐश, परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय आओर अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के हिसाब सँ), ई अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण आओर विध्वंस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, अन्य)

✓ इकाई :- (टन, किलोलिटर)

✓ निपटान क तरीका : - (उपचार भंडारण आओर निपटान सुविधा (टीएसडीएफ), अधिकृत पुनः चकक, भूमि भरण, सेनेटरी भूमिभरण, अन्य)

5. विभिन्न कार्यकलाप क लेल भूमि आवश्यकता (एकाधिक प्रविष्टियां अनुज्ञात) हेक्टेयर में :		
--	--	--

कार्यकलाप / सुविधा / संयंत्र / अन्य क विवरण	भूमि आवश्यकता	अभ्युक्ति सब
हरित पट्टी		
कुल		

	<p>✓ कार्यकलाप/ सुविधा/ संयंत्र/ अन्य में मिलल अछि: मुख्य संयंत्र, उपनगरी, हरित पट्टी, पोखरि तालाब, खदान क्षेत्र, ओबी डंप क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, नौकायन पोखरि, भूमिभरण जलाशय, बिलवणीकरण संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क लेल क्षेत्र, निर्मित-क्षेत्र, अन्य</p>
6.	अगर वन भूमि अंतग्रेस्त अछि:
	अगर सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन अभिप्राप्त कयल गेल अछि; मंत्रालय मिसिल संख्या, सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन क तिथि; अपयोजित क्षेत्र;
	अगर सैद्धान्तिक (चरण-1.1) अनुमोदन अभिप्राप्त कयल गेल अछि; मंत्रालय मिसिल संख्या, सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन क तिथि; अपयोजित क्षेत्र;
7.	गाछ कटाई, अगर कोनो होय : परियोजना के लेल काटल गेल गाछ सबहक संख्या (अगर वनभूमि मिलन नहि अछि); आओर गाछ सब के काटय और गाछ लगाबय के विवरण
8.	भूमि अधिग्रहण स्थिति; भूमि अधिग्रहित, भूमि एखन अधिग्रहित कयल जाय के अछि; अगर अधिग्रहित नहि अछि तँ भूमि अधिग्रहण क स्थिति
9.	अगर अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची – ' प्रजाति सब हक उपस्थिति अछि
	क. अनुसूची-। प्रजाति सबहक विवरण, संरक्षण योजना क प्रति सहित अनुसूची-। प्रजाति सब हक लेल संरक्षण योजना क विवरण; कयल गेल निधि प्रावधान; क्रियान्वयन क कालाबधि; इत्यादि
	ख. अनुमोदन क प्रति संग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूची-। प्रजाति सबके लेल संरक्षण योजना क अनुमोदन क विवरण; पत्र संख्या; निर्गत क तिथि; पैरवी अगर कोनो होय; इत्यादि
10.	अगर मूल क्षेत्र में जल स्रोत क उपस्थिति होय:
	क. मूल क्षेत्र में जल स्रोत सब हक विवरण;

ख.	अगर उपयोजन अपेक्षित अछि: अपेक्षित अपयोजन क ब्यौरा; आयोजित अध्ययन क ब्यौरा
ग.	सक्षम प्राधिकारी सँ अभिप्राप्त अनुमति क विवरण; पत्र संख्या; जारी करबाक तारीख; पैरवी सब अगर कोनो होय आओर अनुमति क प्रति।

11. जलबल आवश्यकता: निर्माण/ प्रचालन क क्रम में स्थायी/ अस्थायी नियोजन; कुल जनबल

12. हरित पट्टी हैक्टेयर में

क.	नव परियोजना सबहक मामला में: हरित पट्टी के कुल क्षेत्र; कुल परियोजना क्षेत्र क प्रतिशत; लगाओल जायबला पौध सब क संख्या; वृक्षारोपण के लेल आवंटित घन; हरित पट्टी योजना:
ख.	विस्तार/ आधुनिकीकरण/ उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आदि के मामला सब में

[i]	विवरण	मौजूदा	प्रस्तावित	कुल
	हरित पट्टी क कुल क्षेत्र			
	कुल परियोजना क्षेत्र क प्रतिशत पौधा क संख्या			
	आवंटित निधि सब			
[ii]	हरित पट्टी योजना क प्रति			

13. परियोजना लाभ

परियोजना लाभ क प्रकार	परियोजना लाभक विवरण

	(परियोजना लाभ में पर्यावरणीय, सामाजिक आओर अन्य लाभ मिलल होयत)
14.	परियोजना केसीआरजेड अथवा आईसीआरजेड में अवस्थित होयबाक क दशा में राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण क पैरवी: लगाओल गेल शर्त सबहक उल्लेख करैइथ; सामाजिक आओर पर्यावरणीय मुद्दा जिनकर सलाह देल गेल अछि, जाहि में आर एंड आर, जल, वायु, परिसंकटमय अपशिष्ट, पारिस्थिकी पहलू, इत्यादि सम्मिलित अछि, मुदा एतजैतक सीमित नहिं अछि (संक्षिप्त विवरण प्रदान कयल जाय के अछि) सीजेडएमए अथवा आईसीजेडएमए क प्रति
15.	गौण खनिज सब हक खनन के दशा में
	क. खनित कयल जाय बला खनिज सबहक संख्या आओर विवरण
	ख. खान क्षमता आरओएम (रन ऑफ माइन)
	ग. खनन योजना: अनुमोदन पत्र संख्या: अनुमोदन क तिथि, अनुमोदित पत्र; अनुमोदित खनन पट्टा क्षेत्रफल; अनुमोदित क्षमता
	घ. तकनीकी विवरण: कुल भूवैज्ञानिक भंडार (मिलियन टन) न्यूनतम आरक्षित (मिलियन टन); निष्कर्षण योग्य भंडार (मिलियन टन); निष्कर्षण क प्रतिशत (%); अयस्क/ खनिज क कोटि; स्ट्रिपिंग अनुपात; औसत प्रावण्य (डिग्री) खनन विधि (खुलल खुदाई/ भूमिगत/ मिश्रित (खुलल खुदाई + भूमिगत)/ आदित: खान क जीवन (वर्ष)
	ड. सज्जीकरण क ब्यौरा (कुचलनाई/ ढँकनाई) अन्य संग: अगर दलित्र के खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर संस्थापित करबाक प्रस्ताव कयल गेल

अच्छि; दलित्र क संख्या क आओर दलित्र के विवरण (एक सँ बेसी प्रविष्टि अनुज्ञात अच्छि)

दलित्र पहिचान सं	क्षमता (टीपीएच में)	अभ्युक्ति सब

च. खनन पट्टा क ब्यौरा: आशय पत्र अपलोड करू (खाली पीडीएफ अपलोड करू) संदर्भ संख्या क संग खनन पट्टा निष्पादन क तिथि; खनन पट्टा क विधिमान्यता; आदिनांक विधिमान्य निष्पादित खनन प्रपत्र के प्रति; इत्यादि।

छ. ओबी (अतिभार): प्रबंधन (खाली जखन खनन पद्धति : खुलल खुदाई अच्छि)

I. बाह्य डंप क ब्यौरा ; ओबी डंप सबहक संख्या ; कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में ; उँचाई (मीटर में) परिमाण (मिलियन घन मीटर में); पृष्ट भरण वर्ष सब हक संख्या ।

II. आंतरिक डंप क ब्यौरा : ओबी डंप सबहक संख्या ; कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में ; उँचाई (मीटर में) परिमाण (मिलियन घन मीटर में);

ज. उपरका माईट प्रबंधन क विवरण: खदान क समूचा जीवन क क्रम में उत्खनन कयल गेल उपरका माईट क मात्रा (मिलियन घन मीटर में); खदान क सम्पूर्ण जीवन क क्रम में उपयोग क लेल प्रस्तावित उपरका माईट का मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर में) खान क सम्पूर्ण जीवन क क्रम में अन्य कार्यकलाप सब में उपयोग क लेल प्रस्तावित उपरका माईट क मात्रा (मिलियन घन मीटर में)

झ.	अंतिम खान रिक्त्क के ब्यौरा (खाली तखने जखन खनन पद्धति; खुलल खोदाई होय); क्षेत्र (हेक्टेयर में); गहराई में (मीटर में); मात्रा (मिलियन घन मीटर में)
ञ.	खदान क विवरण (खाली तखने जखन खनन पद्धति ; खुलल खोदाई होय(अंतिम रिक्त्क (हेक्टेयर के गहराई में) मीटर जकर एकटा जल निकाय में परिवर्तित करबाक प्रस्ताव अछि) कुल खदान क्षेत्र (हेक्टेयर)
ट.	परिवहन क विवरण: खंदक/ भूमिगत सँ सतह; सतह सँ साइडिंग/ लदाई; परिवहन/ वाहक विवरण
ठ.	भूमि उपयोग क विवरण (खनन पूर्व)

भूमि उपयोग	एमएल क्षेत्र क भीतर (अछि)	एमएल क्षेत्र क बाहर (अछि)
कृषि भूमि		
वन भूमि		
बंजर भूमि		
चारागाह भूमि		
सतह जल निकाय		
आबादी		
अन्य (विनिर्दिष्ट करू)		

ड.

भूमि उपयोग	बागान	जल निकाय	सार्वजनिक उपयोग	अन्य
उत्खनन/ खदान				
उपरका माईट				
बाह्य ओबी डंप				
आंतरिक ओबी डंप				
सड़क सब				
निर्मित क्षेत्र (कॉलोनी/ कार्यालय)				
हरित पट्टी				
अक्षत क्षेत्र				
अन्य				
कुल				

ढ. भू-सुधार विवरण (खाली जखन खदान पद्धति खुलल खोदाई) खान के आच्छदित करैइत कुल वर्गीकरण योजना क्रियान्वित कयल

जायत। अहि में मिलल रहत; बाह्य ओबी डंप (हेक्टेयर में); आंतरिक ओबी डंप (हेक्टेयर में); खदान (हेक्टेयर में); सुरक्षा जोन (हेक्टेयर में); अंतिम रिक्ति (हेक्टेयर में); क गहराई (मीटर जकरा जलन निकाय में परिवर्तित करय के प्रस्ताव अछि); प्रति हेक्टेयर रोपण क घनल (सं. में.) अन्य हेक्टेयर में (जैसा कि एमएल परिसीमा, सड़क सब आओर अवसंरचना, बांध क्षेत्र क संग उत्खनन क्षेत्र आओर पट्टा क्षेत्र क बाहर उप-नगर में, इत्यादि) आओर कुल वनीकरण गाछ (हेक्टेयर में)

ण. प्रगामी खनन समापन योजना क स्थिति (खाली विस्तार परियोजना सब के लेल) अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना (बार चार्ट में) क अनुसार विभिन्न, कार्यकलाप सब हक क्रियान्वयन; अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना सँ कोनो विचलन; कुल उत्खनित क्षेत्र (हेक्टेयर में); उत्खनन क पश्चात् कुल पृष्ठभरण कयल गेल क्षेत्र (हेक्टेयर में); आओर कुल पुननिर्मित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

16. क्षेत्र विशिष्ट ब्यौरा सब अगर कोनो होय

17. ईआईए परामर्शदाता क विवरण: प्रत्यायन सं०; ईआईए परामर्शदाता क नाम; पता; दूरभाष सं०; ई-मेल क पता; प्रत्यायन के कोटि (कोटि के लेल पात्र/कोटि ख क लेल पात्र); प्रत्यायन के क्षेत्र; प्रत्यायन के विधिमान्यता; क्यूसीआई/ एन एबीईटी द्वारा जारी कयल गेल प्रत्यायन प्रमाण पत्र क प्रति।

18. संलग्न करय जाय बला दस्तावेज

क. ईएमपी रिपोर्ट क प्रति

ख. जोखिम आंकलन रिपोर्ट क प्रति

ग. अनुमोदित खनन योजना क प्रति

घ. जिला सवेक्षण रिपोर्ट क प्रति (खाली गौण खनिज सब हक खनन के लेल)

ड.	प्रतिकृति अध्ययन रिपोर्ट आओर आधारभूत सर्वेक्षण डेटा क प्रति (खाली नदी क बाउल खनन प्रस्ताव सबहक क लेल)
च.	खान आओर भूविज्ञान विभाग अथवा राजस्व विभाग, जो कोनो प्रयोज्य होय, क द्वारा जारी समूह प्रमाण पत्र
छ.	अतिरिक्त मिसिल, अगर कोनो होय

19. परिवचन

हम एतद्वारा ई बचन दई छी जे आवेदन आओर संलग्नक सब में देल गेल आंकड़ा सब आओर सूचना हमर सर्वोत्तम ज्ञान आओर विश्वास में सही अछि आओर हमरा ई जानकारी अछि कि अगर प्रस्तुत आंकड़ा सब आओर सूचना के कोनो भाग कोनो प्रकम पर असत्य अथवा भ्रामक पाओल जायत अछि तऽ परियोजना क अस्वीकार कय देल जायत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो होय, हमरा जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहत कयल जायत। उपर्युक्त क अलावा हम एतद्वारा ई बचन दैत छी जे ओकरा बाद सँ कोनो कार्यकलाप/संनिर्माण/विस्तार शुरू नहिं कयल गेल अछि।

नाम; पदनाम; कंपनी; पता

परिशिष्ट – V

(खंड – II देखू)

प्ररूप – 2

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लेल आवेदन

1-	विचारार्थ विषय सब हक (टीओआर) क विवरण: टीओआर/ मानक टीआओर जारी करबाक तिथि; मंत्रालय/ एमईएलआई मिसिल सं० नं०; टीओआर पत्रके कॉपी
2-	लोक परामर्श क विवरण: अगर परियोजना क लेक सुनवाई सँ छूट देल गेल अदित एकर कारण बताऊ; लोक सुनवाई के विज्ञापन क तारीख; विज्ञापन क प्रति अंग्रेजी में; कीऽ लोक सुनवाई क अध्यक्षता ओहि कोटि क कोनो अधिकारी क द्वारा कयल गेल दले जेना कि परिशिष्ट-। (हँ/नहिं) में विहित अछि। पीठासीन अधिकारी के पदनाम लोक सुनवाई के विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवाही के प्रति; लोक सुनवाई क तारीख; लोक सुनवाई क स्थान (ग्राम, तहसील, जिला, राज्य); प्रस्तावित परियोजना सँ लोक सुनवाई स्थल क दूरी (किमी); उपस्थित लोक सबहक संख्या; अगर कोनो लोक सुनवाई आयोजित कयल जाईत अछि, तऽ कृपया समटा लोक सुनवाई के विवरण प्रदान करी।
3-	पहिलूका पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क शर्त सबहक अनुपालना स्थिति सँ सम्बन्धित प्रमाणित रिपोर्ट क विवरण, विस्तार परियोजना सबहक दशा में; एमओईएफसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय/सीपीसीबी/एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी क जोन कार्यालय क विवरण, जतय सँ पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क शर्त सब हक अनुपालना स्थिति सँ सम्बन्धित प्रमाणित रिपोर्ट अभिप्राप्त कयल गेल अछि आओर पत्र संख्या; स्थल निरीक्षण क तिथि एवं अनुपालना क

स्थिति; पहिलूका पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क शर्त सबहक अनुपालना संबुंधी प्रमाणित रिपोर्ट क प्रति;					
4- परियोजना क लगात: वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना क कुल लागत (लाख में) पर्यावरण प्रबंधन (पूंजी) क लेल आवंटित निधि (लाख में); सीईआर (कॉरपोरेट पर्यावरणीय जवाबदेही) क मद में आवंटित निधि (लाख में) पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) क लेल आवंटित निधि (प्रति वर्ष आवर्ती) (लाख में)					
5- आधारभूत डेटा (वायु/ जल/ हल्लागुल्ला/माईट/भूजल तालिका/अन्य					
क. आधारभूत डेटा संग्रह के कालाबधि {तिथि (डीडी/ एमएम/वाईवाईवाईवाई) सँ; तिथि (डीडी/ एमएम/वाईवाईवाईवाई) तक					
ख. मौसम (ग्रीष्मकालीन/मानसून पूर्व/मानसून पश्च/शीतकालीन :					
ग. परिवेशी वायु गुणवत्ता (एएक्यू) निगरानी स्थान सबहक संख्या :					
घ. एएक्यू मॉनिटरिंग (एकाधिक प्रविष्टि सबके अनुमति अछि) क विवरण					
मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक
– मानदंड प्रदूषक :- पीएम 10, पीएम 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड, एनओएक्स, क्षेत्र विशिष्ट अन्य मापदंड)					
– इकाई:- (माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर, नैनो घन मीटर मिली ग्राम प्रति घन मीटर, प्रयोज्य नहिं)					
ड. भूजल निगरानी अवस्था सबहक संख्या					
च. भूजल निगरानी क विवरण (एकाधिक प्रविष्टियां स्वीकृत)					

मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक

– मानदंड प्रदूषक :- (पीएच, टीएसएस, टीडीएस, कुल कठोरता, क्लोराइड, फ्लोराइड, भारी धातु, क्षेत्र क लेल विशिष्ट अन्य मापदंड)

– इकाई:- (मिग्रा/लि/प्रयोज्य नहीं)

छ. सतही जल निगरानी स्थान सब हक संख्या

ज. भूजल निगरानी क विवरण (एकाधिक प्रविष्टि सब स्वीकृत)

मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक

– मापदंड :- पीएच, डीओ, बीओडी, सीओडी क्षेत्र विशिष्ट अन्य मापदंड

– इकाई:- (मिग्रा/लि/प्रयोज्य नहीं)

झ. परिवेश हल्ला गुल्ला निगरानी स्थान क संख्या

ञ. हल्ला गुल्ला निगरानी क विवरण (एकाधिक प्रविष्टि सबहक अनुज्ञात)

मानदंड	इकाई	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक

- मापदंड :- {एलईक्यू (दिन) एलईक्यू (राईत)}				
- इकाई:- (ए-वेटेड डेसीबल (डीबी) (ए)				
क. मृदा निगरानी स्थान सबहक संख्या (एकाधिक प्रविष्टी सब स्वीकृत) :				
मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक

- मापदंड :- {पीएच, एन (नाइट्रोजन), पी (फासफोरस) के (पोटाशियम), विद्युत चालकता}	
- इकाई:- (मली सेंटीमेंस प्रति सेंटीमीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर, प्रतिशत, सेंटीमीटर प्रति सेकंड मिलि समकक्ष प्रति 100 ग्राम; मिलीग्राम प्रति किलोग्राम भाग प्रति मिलियन, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अन्य)	
1. भूजल तालिका	

I. जल तालिका के सीमा मानसून पूर्व मौसम (भूजल जमीन सँ मीटर नीचाँ (घंटा)) : सँ तक
II. जल तालिका क सीमा मानसून प्च मौसम (भूजल जमीन सँ मीटर नीचाँ (एमजीएल) : सँ तक
III. अगर भूजल इंटरसेक्शन मिलल अछि, त पत्र संख्या; जारी करबाक तारीख आओर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पत्र क प्रति

6- जल क आवश्यकता क विवरण (निर्माण, प्रचालन आओर समापन क क्रम में)				
क.				
स्रोत	केएल डी में	जल निकासी	स्रोत सँ दूरी	परिवहन क

	मात्रा	के विधि		साधन

<p>स्रोत: भूतल/ भूजल/ सागर/ अन्य परिवहन क माध्यम: पाइपलाइन/ नहर/ अन्य; पाईन निकासी क विधि: बैराज/ मेढ़ सब/ इनार/ जैकबेल/ नलकूप/ खुलल इनार/ अन्य</p>
<p>ख. पत्र संख्या: जारी करबाक तारीख; अनुमत मात्रा; सक्षम प्राधिकारी सँ अनुमति के प्रतिलिपि</p>
<p>ग. अगर विलवणीकरण प्रस्तावित अछि (।) विलवणीकरण क्षमता (के एलडी) (।।) खाराजल क गुणवत्ता (केएलडी; खारा जल क निपटान क तरीका)</p>

7- अपशिष्ट जल प्रबंधन (निर्माण, प्रचालन आओर समापन क क्रम में)

प्रकार/ स्रोत	उत्पन्न अपशिष्ट जलक मात्रा (किलो लीटर प्रति दिन)	उपचार क्षमता (किलो लीटर प्रति दिन)	उपचार विधि	निपटान क तरीका	पुनर्चक्रण/ पुनः उपयोग में प्रयुक्त उपचारित पाईन क मात्रा (किलो लीटर प्रति दिन)	निस्सारित जल क मात्रा (किलो लीटर प्रतिदिन)

--	--	--	--	--	--	--

8- उत्पन्न ठोस अपशिष्ट क प्रबंधन (निर्माण, प्रचालन आओर समापन क क्रम में)

मद	मात्रा प्रति वर्ष	इकाई	स्थल सँ दूरी	परिवहन के साधन	निपटान क तरीका

मद:- (औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, फलाई ऐश, बॉटम ऐश, परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय आओर अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 क अनुसार) ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण आओर विध्वंस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, अन्य)

- इकाई :- (टन, किलो लीटर)

- निपटान क तरीका :- (शोधन, भंडारण आओर निपटान सुविधा (टीएसडीएफ), अधिकृत पुनः चक्रक, भूमिभरण, सेनेटरी लैंडफिल, अन्य)

9- वायु गणवत्ता समाघात पूर्वानुमान (निर्माण, प्रचालन आओर समापन क क्रम में)

मानदंड प्रदूषक	इकाई	आधारभूत सान्द्रण	न्यूनतम मान	बृद्धिशील सान्द्रण	कुल जीएलसी	विहित मापक

मापदंड- (पीएम₁₀, पीएम, सल्फर डाइ-ऑक्साइड, एनओएक्स, क्षेत्र विशिष्ट अन्य मापदंड; इकाई :- (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर, प्रयोज्य नहीं)

10- अलग अलग कार्यकलाप सब के लेल भूमि क आवश्यकता (एका धिक प्रविष्टि अनुज्ञात)

कार्यकलाप/सुविधा/ संयंत्र/ अन्य क विवरण	भूमि के आवश्यकता	अभ्युक्ति सब
हरित पट्टी		
कुल		

- कार्यकलाप/ सुविधा/ संयंत्र / अन्य में मिलल अछि: मुख्य संयंत्र, उप नगर, हरित पट्टी, ऐश, पोखरि, खदान क्षेत्र, ओबी डंप क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, नौकायन पोखरि, भूमि भरण, जलाशय, विलवणीकरण संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लेल क्षेत्र, निर्मित, क्षेत्र, अन्य

11- यदि वन भूमि अंतर्ग्रस्त अछि:

यदि सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन अभिप्राप्त कयल गेल अछि: पर्यावरण, वन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिसिल संख्या: सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन के तिथि; अपयोजित क्षेत्र:

यदि सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन अभिप्राप्त कयल गेल अछि: पर्यावरण, वन आओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिसिल संख्या: सैद्धान्तिक (चरण-1) अनुमोदन के तिथि; अपयोजित क्षेत्र:

12- गाछ कटाई, अगर कोनो होय : परियोजना क लेल काटल गेल गाछ क संख्या (अगर वन भूमि मिलल नहि अछि) ; आओर गाछ सब के काटय लेल आओर गाछ लगावय क विवरण (खाली पीडीएफ अपलोड करू)

13-	भूमि अधिग्रहण स्थिति: भूमि अधिग्रहित; भूमि एखन अधिग्रहित कायल जाय के अछि; अगर अधिग्रहित नहि अछि तऽ भूमि अधिग्रहण क स्थिति
14-	पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन (आर एंड आर), अगर कोनो होय {गाम क संख्या; परिवार क संख्या; पीडीएफ (परियोजना विस्थापित परिवार) क संख्या; पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) के संख्या; आर एंड आर के लेल आवंटित निधि; आर एण्ड आर के स्थिति (पूर्ण/प्रगतिधीन/ एखन शुरू कयल जाय के अछि)}
15-	<p>अगर अनुसूची-। प्रजाति के उपस्थिति अछि</p> <p>क. अनुसूची-। प्रजाति सब के विवरण; संरक्षण योजना के प्रति क संग अनुसूची-। प्रजाति सब के लेल संरक्षण योजना क विवरण; निधि क प्रावधान; कार्यान्वयन के कालाबधि; आदि।</p> <p>ख. अनुमोदन के प्रति क संग सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुसूची-। प्रजाति सब के संरक्षण के योजना क अनुमोदन क विवरण; पत्र संख्या; जारी करबाक तारीख; पैरवी सब, अगर कोनो होय, आदि।</p>
16-	<p>अगर मूल क्षेत्र में जल निकाय के मौजूदगी होय:</p> <p>क. मूल क्षेत्र में जल निकाय सब के विवरण ;</p> <p>ख. अगर अपयोजन अपेक्षित अछि; अपेक्षित अपयोजन क ब्यौरा; आयोजित अध्ययन के ब्यौरा ;</p> <p>ग. सक्षम प्राधिकारी सँ अभिप्राप्त अनुमति क विवरण पत्र संख्या; जारी करबाक तारीख; पैरवी सब अगर कोनो होय; आओर अनुमति के प्रति।</p>
17-	<p>अगर आघात भंजक क्षेत्र में जल निकाय सब हक मौजूदगी होय : आघात भंजक क्षेत्र में जल निकाय सबहक विवरण; आघात भंजक क्षेत्र में जल निकाय सबहक दिशा (उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम /</p>

उत्तर-पूर्व/उत्तर-पश्चिम/दक्षिण पूर्व/ दक्षिण पश्चिम); आघात भंजक क्षेत्र में जल निकाय सब हक दूरी (किलो मीटर)

18- जनबल के आवश्यकता: निर्माण/प्रचालन के क्रम में स्थायी/अस्थायी नियोजन; कुल जनबल

19- हरित पट्टी हैक्टेयर में

क. नव परियोजना सब हक दशा में हरित पट्टी के कुल क्षेत्र; कुल परियोजना क्षेत्र के प्रतिशत; लगावय जाय बला पौधा सबहक संख्या; बृक्षारोपण के लेल आवंटित धन; हरित पट्टी योजना क प्रति

ख. विस्तार/ आधुनिकीकरण/ उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आदि के दशा में

I.

विवरण	मौजूदा	प्रस्तावित	कुल
हरित पट्टी क कुल क्षेत्र			
कुल परियोजना क्षेत्र क प्रतिशत			
गाछ क संख्या			
आवंटित राशि			

II. हरित पट्टी योजना की प्रति

20- परियोजना लाभ

परियोजना के लाभ क प्रकार

परियोजना लाभ क विवरण

	(परियोजना लाभ में पर्यावरण, सामाजिक आओर अन्य लाभ मिलल होयत)
21-	अगर परियोजना/ कार्यकलाप पर सीआरजेड/ आईसीआरजेड अधिसूचना के उपबंध लागू होईत अछि।
क.	सीआरजेड वर्गीकरण {सीआरजेड I (क), सीआरजेड I (ख), सीआरजेड II, सीआरजेड III, सीआरजेड च (क, सीआरजेड IV (ख); स्थान प्रकार गैर कटाव तट, निम्न आओर मध्यम कटाव तट, उच्च कटाव तट) अंतर्गत मैनग्रोव भूमि क विवरण, अगर कोनों होय; मैनग्रोव भूमि के वितरण, अगर कोनो होय, मैनग्रोव भूमि के क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ख.	अगर ईआईए (स्थलीय) अध्ययन कयल गेल छल : ईआईए (स्थलीय) अध्ययन के अवधि तक अगर नई कयल गेल अछि त ओकर कारण
ग.	अगर ईआईए (समुंद्री) अध्ययन कयल गेल छल ईआईए (समुंद्री) अध्ययन क सारांश विवरण ; ईआई में कयल गेल पैरवी क प्रति; ईआईए (समुंद्री) अध्ययन के अवधि तक, अगर नहिं कयल गेल अछि तऽ ओकर कारण
घ.	आपदा प्रबंधन योजना/ राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (अगर लागू होय)
ङ.	परियोजना क प्रकार: (रिजॉर्ट/ इमारत सब/ नागरिक सुविधा सब, तटीय सड़क/ स्टिल्ट पर सड़क सब, तापीय विद्युत ब्लो डाउन सँ पाइप लाइन सब, शोधित बहिस्त्राव क समुंद्री निपटान, माल/ रसायन सबके भंडारण क सुविधा, अपतटीय संरचना सब, विलवणीकरण संयंत्र, दुर्लभ माईट/ परमाणु खनिज क खनन) मल जल, उपचार संयंत्र, लाईट हाउस, पवन चक्की, अन्य)

च.	अगर रिजॉर्ट/ इमारत सब/ नागरिक सुविधा सब: सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बला एजेंसी क नाम; कुल क्षेत्र/ निर्मित क्षेत्र (हेक्टेयर); संरचना क उँचाई; एफएसआई अनुपात; शासी नगर नियोजन नियम/ विनियम; कार पार्किंग क्षेत्र के प्रावधान क विवरण
छ.	अगर तटीय सड़क सब/ स्टिंट पर सड़क सब: सीआर जेड मानचित्र अथवा सीआरजेड तैयार करय बाली एजेंसी के नाम; भूमि पुनर्ग्रहण क क्षेत्र; भूमि सुधार क लेल गाद/ माईट के अनुमानित मात्रा, आवागमन के वहन क्षमता
ज.	अगर थर्मल पावर ब्लो डाउन सँ पाइपलाइन जाईत अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बला एजेंसी क नाम; पाइपलाइन क लम्बाई; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड क्षेत्र सँ जाय बला पाइपलाइन क लम्बाई; उत्खनन क गँहराई, उत्खनन क चौड़ाई; समुंद्र तट सँ गहन समुंद्र तक पाइपलाइन क लम्बाई, समुंद्र क पाईन के सतह सँ बहिर्वाह बिंदु के गहराई; निस्तारण बिंदु पर परिवेश क उपर बहिर्वाह के तापमान
झ.	अगर शोधित बहिर्वाह क समुंद्र में निपटान कयल जाइत अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय वाली एजेंसी क नाम; ग्रहण/ निकासी क अवस्थान, निकासी बिन्दु क गहराई; पाइपलाइन के लंबाई; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड क्षेत्र सँ जाय बला लम्बाई उत्खनन क गँहराई; उत्खनन क चौड़ाई; समुंद्र तट सँ गहन समुंद्र/ क्रीक तक पाइपलाइन के लम्बाई समुंद्र क पाईन के सतह सँ बहिर्वाह बिन्दु के गहराई; निस्तारण बिन्दु पर समुंद्र के गहराई; निपटान क प्रकार
ञ.	अगर सामान/ रसायनक भंडारण क सुविधा अछि सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बला एजेन्सी क नाम, रसायन

	क नाम आओर प्रकार; रसायन सबहक अंतिम उपयोग; भंडारण क लेल टैंक सब हक संख्या; टैंक सबहक क्षमता
ट.	अगर अपटतीय संरचना सब अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बला एजेंसी क नाम; अन्वेषण अथवा विकास; समुंद्र तक के गँहराई; रिंग्स/ प्लेटफार्म क संख्या; समूह संग्रहक स्टेशन क विवरण
ठ.	अगर विलवणीकरण संयंत्र अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय वाली एजेंसी क नाम; विलवणीकरण क क्षमता; कुल खारा पाइन क उत्पादन; निपटान बिन्दु पर परिवेश तापमान बेसी बहिस्त्राव क तापमान; परिवेश क लवणता; निपटान बिन्दु;
ड.	अगर दुर्लभ <u>माईट/परमाणु</u> खनिज सब हक खनन अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बाली एजेंसी क नाम; खनन के क्षमता खनन कयल गेल आयतन/ क्षेत्र; उत्खनित खनिज के प्रकार, खनिज क अंतिम उपयोग
ढ.	अगर मल जल शोधन संयंत्र अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बाली एजेंसी क नाम; क्षमता; निर्माण के कुल क्षेत्र; सीपीसीबी/एसपीसीबी/अन्य अधिकृत एजेंसी क द्वारा विहित प्रवाह मापदंड, सब हक अनुपालन; अगर निःसरण समुंद्र जल/ क्रीक में अछि (समुंद्र तट की दूरी, समुंद्री तट सँ/ ज्वारीय नदी तट सँ); समुंद्र क पाईन के सतह सँ बहिर्वाह बिंदु के गँहराई; प्रपात बिन्दु पर समुंद्र के गहराई
ण.	अगर लाइट हाउस अछि: सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बला एजेंसी क नाम; निर्माण क कुल क्षेत्र, संरचना क उँचाई

त.	अगर पवन चक्की अछि; सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करय बाली एजेंसी क नाम; क्षमता (मेगावाट); पारेषण लाइन सब; (भूमि क ऊपर भूमिगत); पवन चक्की क व्यास; ब्लेड क लंबाई; घुर्णन के गति; संरचना के उँचाई
थ.	अगर अन्य: सीआरजेड मानचित्र तैयार करय बला एजेंसी क नाम; कृप्या मुख्य ओकर विशेषता सब हक संग निर्दिष्ट करुऽ प्रासंगिक दस्तावेज के प्रति।
द.	एलटीएल/एचटीएल सँ परियोजना क दूरी (मीटर में) के उल्लेख कयल जायक चाही
[i].	सीआरजेड अधिसूचना क खंड जकरा तहत् परियोजना एक अनुमेय/ विनियमित कार्यकलाप अछि
[ii].	अगर सीआरजेड मानचित्र एचटीएल उपदिर्शत करैइत अछि तऽ 1: 4000 मापमान में तैयार कयल गेल एलटीएल सीमांकन: एचटीएल सँ प्रोजेक्ट के दूरी (मीटर सब में) कथन कयल जाय के चाही एवं मानचित्र अपलोड कयल जाय के चाही (केएमएल फाइल): एलटीएल सँ परियोजना क दूरी (मीटर में) के उल्लेख कयल जाय के चाही आओर मानचित्र (के एमएल प्रारूप)
[iii].	अगर सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र 1:4000 मापमान पर परियोजना लेआउट अधिरोपित अछि; केएमएल फाइल अपलोड करु
[iv].	अगर सीआरजेड मानचित्र 1:25000 परियोजना स्थल क 7 किमी क अर्धव्यास में तैयार कयल गेल अछि: केएमएल फाइल अपलोड करु

[v]. अगर सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड मानचित्र अन्य अधिसूचित ईएसए संग सीआरजेड I, II, III आओर IV उपदर्शित करैइत तैयार कयल गेल: केएमएल फाइल अपलोड करु

[vi]. अगर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सब सँ अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कयल गेल अछि: अनापत्ति प्रमाण पत्र क प्रतिलिपि

घ. बरखा जल संचयन प्रणाली क विवरण

न. राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के पैरवी, लगाओल गेल शर्त सबहक कथन करु: सामाजिक आओर पर्यावरणीय मुद्दा सब जकर सलाह देल गेल अछि, जाहि में आर एंड आर, जल, वायु, परिसंकटमय अपशिष्ट, पारिस्थिकी पहलू इत्यादि मिलल अछि, मुदा एतवहि नेहि सीमित अछि (संक्षिप्त विवरण प्रदान कयल जाय के अछि), सीजेडएमए अथवा आईसीजेडएमए क प्रतिलिपि

22- क्षेत्र विशिष्ट विवरण:

[i]. खनन प्रस्ताव सबहक दशा में

क. उत्खनित कयल जाय बला खनिज क संख्या (एकाधिक प्रविष्टी सबहक अनुज्ञात)

उत्खनित कयल जाय बला खनिज	प्रमुख अथवा गौण खनिज

ख. आर ओ एम (रन ऑफ माइन) में खदान क्षमता

ग.	गौण खनिज सब हक मामला सब में समूह प्रमाण पत्र क प्रति	
घ.	खनन योजना: अनुमोदन पत्र संख्या; अनुमोदन क तारीख; अनुमोदित पत्र क प्रति; अनुमोदित खनन पट्टा क्षेत्र; अनुमोदित क्षमता	
ङ.	तकनीकी ब्यौरा सब: कुल भूवैज्ञानिक भंडार (मिलियन टन); खनन योग्य भंडार (मिलियन टन) निष्कर्षण योग्य भंडार (मिलियन टन) निष्कर्षण क प्रतिशत (%); कोयला/ अयस्क/ खनिज ग्रेड; स्ट्रिपिंग अनुपात; गैसीय अवस्थाक श्रेणी (खाली कोयला खनन के लेल, अन्य लिख सकैत छैथ, प्रयोज्य नहि); औसत प्रावण्य (डिग्री); परत के अधिकतम मोटाई (मीटर) (खाली कोयल खनन के लेल अन्य लिख सकैत छैथ, लागू नहि); खनन विधि (खुलल खोदाई/भूमिगत/ मिश्रित (खोलल खोदाई+ भूमिगत)/ प्रवेश मार्ग; खान जीवन (वर्ष)	
च.	सज्जीकरण क ब्यौरा (कुचलनाई/ झाँपनाई/ अन्य सहित): अगर दलित्र के खनन पट्टा क्षेत्र क भीतर संस्थापित करय के प्रस्ताव कयल गेल अछि; दलित्र क संख्या आओर दलित्र क विवरण (एक सँ अधिक प्रविष्टि अनुज्ञात होय)	
	दलित्र आईडी	क्षमता (टीपीएच में)
		अभ्युक्ति सब

छ.	अगर खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर सज्जीकरण संयंत्र / कोयला धोबनशाला स्थापित करबाक प्रस्ताव अछि: सज्जीकरण / धोबन प्रौद्योगिकी ; क्षमता
ज.	अगर लागू होय तऽ परत क विवरण: परत क संख्या; कार्य करय जाय बला परतक मोटाई; सीम क अधिकतम मोटाई (मीटर)
झ.	खनन पट्टा क ब्यौरा: आशय पत्र अपलोड करू; संदर्भ संख्या क संग खनन पट्टा निष्पादन क तिथि; खनन पट्टा के विधिमान्यता; आदिनांक विधिमान्य निष्पादित खनन प्रपत्र क प्रति।
ञ.	ओबी (अतिभार) प्रबंधन (खाली जईखन खनन पद्धति खोलल खोदाई होय)

I.	बाह्य डंप सबहक ब्यौरा सब; ओबीडंप सबहक संख्या; कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) उँखसई (मीटर में) परिमाण (मिलियन घन मीटर में): पृष्ठ भरण वर्ष सबहक संख्या
II.	आंतरिक डंप क ब्यौरा: ओबी डंप सबहक संख्या; कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) उँचाई (मीटर में) परिमाण (मिलियन घन मीटर में)

ट.	ऊपरका माईट प्रबंधन क विवरण: खदान क सौंसे जीवन के क्रम में उत्खनन कयल गेल उपरका माईट क मात्रा (मिलियन घन मीटर में) खदान क सौंसे जीवन के क्रम में उपयोग क लेल प्रस्तावित उपरका माईट के मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर में) खान क सौंसे जीवन क क्रम में अन्य कार्यकलाप
----	--

	सब में उपयोग क लेल प्रस्तावित उपरका माइट क मात्रा (मिलियन घन मीटर में)
ठ.	अंतिम खान रिक्तक ब्यौरा (खाली तखने जखन खनन पद्धति: खुलल खोदाई होय): अंतिम रिक्त (हेक्टेयर) के गहराई में (मीटर में) मात्रा (मिलियन घन मीटर में)
ड.	खदान क विवरण: (खाली ताऽ धरि तक जखन खनन पद्धति: खोलल खोदाई होय) अंतिम रिक्त (हेक्टेयर); के गहराई में (मीटर जकरा एकटा जल निकाय में परिवर्तित करबाक प्रस्ताव अछि); कुल खदान क्षेत्र (हेक्टेयर)
ढ.	परिवहन क विवरण: खंदक / भूमिगत सँ सतह; सतह सँ साइडिंग / लदाई, परिवहन / वाहक विवरण
ण.	भूमि उपयोग क विवरण (खनन पूर्व)

भूमि उपयोग	एमएल क्षेत्र क भीतर (अछि)	एमएल क्षेत्र क बाहर (अछि)	कुल
कृषि भूमि			
वन भूमि			
बंजर भूमि			
चारागाह भूमि			

सतह जल निकाय			
आबादी			
अन्य (विनिर्दिष्ट करु)			

त. भूमि उपयोग क विवरण (खनन पश्च)

भूमि उपयोग	बागान	जल निकाय	सार्वजनिक उपयोग	अन्य
उत्खनन/खदान				
उपरका माईट बाह ओबी डंप				
आंतरिक ओबी डंप				
सड़क सब				
निर्मित क्षेत्र (कॉलोनी/कार्यालय)				

हरित पट्टी				
अक्षत क्षेत्रफल				
अन्य				
कुल				

थ. भू-सुधार विवरण (खाली जखन खनन पद्धति खुलल खोदाई): खान के आच्छादित करैइत कुल वनीकरण योजना क्रियानिवत कयल जाऽयत। अहि में मिलल होयत; बाह्य ओबी डंप (हैक्टेयर में); आंतरिक ओबी डंप (हैक्टेयर में); खदान (हैक्टेयर में); सुरक्षा जोन (हैक्टेयर में); अंतिम रिक्ति (हैक्टेयर में) के गहाराई (मीटर जकरा जल निकाय में परिवर्तित करबाक प्रस्ताव अछि): प्रति हैक्टेयर गाछ सांद्रता (स. में), अन्य हैक्टेयर में (जेना एमएल परिसीमा, सड़क सब आओर अवसंरचना, बान्ह क्षेत्र क संग उत्खनन क्षेत्र आओर पट्टा क्षेत्र क बाहर उप-नगर में, इत्यादि), आओर कुल वनीकरण बृक्ष (हैक्टेयर में)

द. प्रगामी खनन समापन योजना क स्थिति (खाली विस्तार परियोजना सबहक लेल): अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना (बार चार्ट में) क अनुसार विभिन्न कार्यकलाप सब हक क्रियान्वयन; अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना सँ कोनो विचलन; कुल उत्खनित क्षेत्र (हैक्टेयर में), उत्खनन क पश्चात् कुल पृष्ठभरण कयल गेल क्षेत्र (हैक्टेयर में); आओर कुल पुननिर्मित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(ii). उष्मीय परियोजना के लेल प्रस्ताव क दशा में (जाहि में आबद्ध विद्युत संयंत्र आओर अपशिष्ट ताप प्रत्युद्धरण संयंत्र मिलल अछि।

क. संयंत्र क विनिर्देश: प्रस्तावित प्रोद्योगिकी (अति महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, सीएफबीसी, एएफबीसी, पीएफबीसी, आईजीसीसी, भष्मीकरण, ताप अपघटन, गैसीकरण, जैव मेथेनन, अन्य संयंत्र भार कारक (%), वाष्प दर/ प्रवाह दर; कवथनित तापमान; कवथनित्रदाब; स्टैक किस्म (एकल चिमनी/ द्वि चिमनी/ तीन चिमनी); स्टैक सबहक संख्या

स्टैक आईडी	स्टैक उँचाई (मी)	निकास पर स्टैक व्यास (मी)	स्टैक गैस क निकास वेग (मि/सेकेण्ड)	स्टैक निकासी (से.)	गैस के तापमान

ख. ईंधन लक्षण सबहक विवरण: सकल उष्मीय मान (किलो कैलोरी/किग्रा); भस्म घटक (%), सल्फर संघटक (%); आर्दता (%), पारा (मिलीग्राम/किग्रा); विनिश्चित कार्बन (%), वाष्पशील पदार्थ(%)

ग. शीतलन प्रणाली क विवरण: शीतलन प्रणाली क प्रकार: वायु शीतक/ जल शीतक; प्रारूप क प्रकार, प्राकृतिक प्रारूप/ बलात प्रारूप वायु परिसंचरण के प्रकार: समानांतर प्रवाह/

प्रति प्रवाह; शीतन चक्र (सीओसी) शीतन के लेल पाईन क आवश्यकता (घन मीटर/ दिवस); क्वथनित्र तापमान गिरावट

[iii]. नदी घाटी आओर जल विद्युत परियोजना क प्रस्ताव के दशा में

क. उपक्षेत्र: (बहुउद्देशीय परियोजना/ पनबिजली परियोजना/ सिंचाई परियोजना)

ख. नदी के नाम:

ग. अगर नदी बेसिन के संचयी समाघात निर्धारण आओर वहन क्षमता क अध्ययन क निष्पादित कयल गेल नदी बेसिन के संचयी समाघात निर्धारण आओर वहन क्षमता क अध्ययन के स्थिति: अगर पैरवी कयल गेल अछि, नदी बेसिन के संचयी समाघात निर्धारण आओर वहन क्षमता क अध्ययन के विवरण आओर प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करू (खाली पीडीएफ अपलोड करू)

घ. परियोजना क प्रकार: (बॉन्ड वैराज क निर्माण/ धार क लम्बाई/ लिफ्ट सिंचाई योजना)

ङ. अगर लागू होय त बॉन्ड क उँचाई (मीटर) आओर बान्हक लम्बाई

च. कुल जलमग्न क्षेत्र (हेक्टेयर); सकल प्रभावित क्षेत्र क विवरण (जीसीए), (हेक्टेयर) सिंचाई योग्य प्रभावित क्षेत्र क विवरण (आईसीए) (हेक्टेयर); कृषि योग्य प्रभावित क्षेत्र (सीसीए) क विवरण (हेक्टेयर) कुल प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)

छ. बिजली घर संस्थापित क्षमता, बिजली घर क प्रकार: (भूमिगत/सतह/ क्षमता (मेगावाट) सुरंग सब हक संख्या, इकाई सबहक अथवा संख्या (धार) तट (बाम विस, दाहिन) दूनु)

ज. वार्षिक विद्युत उत्पाद: वार्षिक रूप से प्राप्त विद्युत के मात्रा (गीगा वाट) (जीडब्लूएच): मशीन के उपलब्धता (%) विद्युत उत्पादन के लागत (भारतीय रुपया में) आंतरिक प्रतिआय दर (%); आंतरिक प्रति दर की प्राप्ति के वर्ष, विभिन्न प्रतिशत सब पर जल उपलब्धता

प्रतिशत	पाईन क उपलब्धता (क्यूसेक)	निर्भर योग्य वर्ष	अभयुक्ति सब
50: पर			
75: पर			
90: पर			

झ. पाईन ग्रहण क्षेत्र शोधन संयंत्र (पीडीएफ अपलोड करु)

ञ. गाद प्रबंधन योजना: गाद प्रबंधन योजना क पीडीएफ अपलोड करु: कुल उत्खनन गाद (घन मीटर); निर्माण क लेल प्रयुक्त घन मीटर; गाद निपटान स्थल सब हक संख्या; कुल गाद निपटान क्षेत्र (अछि)

ट. मतस्य विकास आओर प्रबंधन योजना; मतस्य विकास आओर प्रबंधन योजना पीडीएफ में अपलोड करु, माछ क बच्चा के संख्या; माछ क प्रजाति सबहक संख्या; समग्र माछ प्रजाति के नाम (वैज्ञानिक नाम)

ठ. पर्यावरणीय प्रवाह क स्थिति

मौसम	औसत अन्तप्रवाह (मिलियन घनमीटर)	प्रवाह क प्रतिशत

	में)	
मंदी		
गैर-मंदी		
मॉनसून		
गैर मॉनसून		

ड.	मुक्त खंड (किमी)
ढ.	केन्द्रीय जल आयोगक अनुमोदन: अनुमोदन संदर्भ सं: अनुमोदन क तारीख; अनुमोदन क प्रति
ण.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण क अनुमोदन; अनुमोदन संदर्भ में; अनुमोदन क तारीख; अनुमोदन क प्रति
त.	कॉफर डैम (अपस्ट्रीम) क विवरण, अगर लागू होय; सामग्री के मात्रा (घन मीटर); बॉन्ड के लम्बाई (मी); उपयोग कयल जाय बला गाद क मात्रा (घनमीटर) उपयोग कयल जाय बला उधार सामग्री क मात्रा (घन मीटर) डिकमिशनिंग योजना के प्रतिलिपि
थ.	कॉफर डैम (डउनस्ट्रीम) क विवरण: अगर लागू होय; सामग्री क मात्रा (घन मीटर) बॉन्ड क लम्बाई (मी) उपयोग कयल जाए बला गाद की मात्रा (घनमीटर) उपयोग कयल जाए बला उधार सामग्री क मात्रा (घन मीटर) डिकमिशनिंग योजना क प्रतिलिपि

[iv]. अवसंरचना परियोजना अथवा कार्यकलाप के प्रस्ताव क दशा में

क.	भवन निर्माण क विवरण: भवन के अधिकतम उँचाई (मीटर) निर्मित कयल जाय बला पलैट सब हक कुल संख्या; भवन क संख्या; कुल भूखंड क्षेत्र (वर्गमीटर); कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)
ख.	फॉरशोर सुविधा सब आओर / अथवा समुंद्र निपटान, अगर प्रयोज्य अछि; तत्सम्बन्धी विवरण।
ग.	अगर परियोजना में फॉरशोर कार्यकलाप आओर / अथवा समुंद्री निपटान अंतर्ग्रस्त अछि; स्थोरा के प्रकार; स्थोरा क मात्रा; स्थोरा क नियंत्रण के उपाय; गरदा नियंत्रण क उपैऽ; परिमाण तलकर्षण क मात्रा (घमीटर प्रति दिन); तनकर्षण क प्रकार (पूँजी, रख-रखाव): तलकर्षण सामग्री क निपटान; आउटफलो डिफ्यूजर के विवरण; अपेक्षित विलयन क संख्या, जाहि दूरी पर आउटलेट परिवेशी मापदंड तक पहुँचत; आउटफॉल पर मॉनिटरिंग क विवरण; समुंद्रतट अध्ययन के प्रति; समुंद्र में विसर्जन क दशा में एसपीसीबी सँ एनओसी के प्रतिलिपि
घ.	वर्षा जल संचयन: भण्डारण क संख्या; क्षमता; पुनर्भरण; गड्ढा सबहक क संख्या; क्षमता
ङ.	पार्किंग: 4-पहिया / 2-पहिया पार्किंग के विवरण
च.	उर्जा बचत उपाय: स्रोत / तरीका; प्रतिशत; परिमाण
छ.	अन्य विवरण: जल ग्रहण क्षेत्र क जल निकाय आओर जल निकासी पैटर्स अगर कोनों होय: यातायात घनत्व क विवरण: समाघात आकलन आओर प्रतिमान अध्ययन; वनभूमि के नीच्चा भूमिगत सुरंग परियोजना सबहक दशा में; अवतलन समाघात अध्ययन रिपोर्ट के प्रति

ज. औद्योगिक संपदा सब में स्थापित कयल जाय बला उद्योग सबहक प्रकार ओकर प्रवर्ग क/ ख के अनुसार

क्र० सं०	उद्योग क प्रकार	इकाई सब हक संख्या	प्रवर्ग क/ख

झ. राजमार्ग परियोजना सब हक मामला में संरक्षण क लम्बाई

ञ. पुल सब/ आर ओ बी/ इंटरचेंज सब, उपरी पुल सब, वाहन, अंडरपास सब आओर, पैरेड चलबाक लेल अंडरपास क संख्या (राजमार्ग परियोजना सब हक दशा में): पुल सबहक कुल संख्या; आरओबी के कुल संख्या; इंटरचेंज सब हक कुल संख्या; उपरी पुल क कुल संख्या; वाहन अंडरपास क कुल संख्या; पैरेड चलबाक लेल अंडरपास क कुल संख्या; अन्य सुविधा सब; रेल आओर सड़क कॉरिडोर के ब्यौरा सब।

23- न्यायालय में लंबित मामला सब हक विवरण, अगर कानो होय (परियोजना आओर / अथवा ओ भूमि जाहि में परियोजना स्थापित करय के प्रस्ताव अछि जकरा विरुद्ध लंबित कोनो भी न्यायिक मामला सब) न्यायालय के नाम; प्रकरण के संख्या; न्यायालय के आदेश/ निर्देश, अगर कोनो होय आओर प्रस्तावित परियोजना क संग एकर प्रासंगिकता अछि, मामला सबहक विवरण; कोर्ट के आदेश क प्रति, यदि कोनो होय।

24- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम/ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम / जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम क अंतर्गत कोनो निदेश जारी कयल गेल निदेश सब, अगर कोनो होय, के ब्यौरा अछि

	(हैं अथवा नहीं) : निदेश सब हक प्रति, निदेश सब हक अनुपालना स्थिति अपलोड करु।?
25-	ईआई परामर्शदाता क विवरण: प्रत्यायन सं.; ईआईए परामर्शदाता क नाम: पता: दूरभाष सं0; ई मेल पता; प्रत्यायन क कोटि (कोटि क के लेल पात्र / कोटि ख के लेल पात्र); प्रत्यायन क क्षेत्र; प्रत्यायन क विधिमान्यता क्यूसीआई / एन एबीईटी द्वारा जारी कयल गेल प्रत्यायन प्रमाण पत्र क प्रति
26-	संलग्न कयल जाय बला दस्तावेज
	क. ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट क प्रति
	ख. जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट क प्रति
	ग. व्यवहार्यता रिपोर्ट / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट / विस्तृत संकल्पनात्मक योजना / अनुमोदित खनन योजना (खनन प्रस्ताव सब हक दशा में) के प्रति
	घ. अंतिम अभिन्यास योजना क प्रति अपलोड करु
	ङ. परियोजना प्रस्तावक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति क द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र अपलोड करु
	च. प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त अहि आवेदन के प्रस्तुत करय बला व्यक्ति क समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के एक प्रति अपलोड करु
	छ. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रति (खाली गौण खनिज सब हक खनन के लेल)
	ज. प्रतिकृति अध्ययन रिपोर्ट आओर आधारभूत सर्वेक्षण डेटा क प्रति (खाली धार क बाउल खनन प्रस्ताव सब हक लेल) अपलोड करु
	झ. पहिने के ईसी के अनुपालन क प्रमाण पत्र क प्रति (विस्तार प्रस्ताव सम क मामला सब में)

ज.	मुख्य वन्यजीव वार्डन क पैरवी क प्रति (अनुसूची-1 प्रजाति सबहक उपस्थिति क मामला सब में)
ट.	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क पैरवी के प्रति (अगर प्रस्ताव पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित अछि।)
ठ.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पैरवी के प्रति (सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड में स्थित परियोजना के मामला सब में)
ड.	अतिरिक्त दस्तावेज, अगर कोनो होय।

27- परिवचन

मैं एतद्वारा इ बचन दैत छी जे आवेदन आओर संलग्न क सब में देल गेल आँकड़ा सब आओर सूचना हमर सर्वोत्तम ज्ञान आओर विश्वास में सही अछि आओर हमरा इ जानकारी अछि जे अगर प्रस्तुत आँकड़ा आओर सूचना क कोनो भाग कोनो प्रक्रम पर असत्य अथवा भ्रामक पाओल जायत अछि तऽ परियोजना के अस्वीकार कय देल जायत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो होय, हमऽर जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहित कयल जायत। उपर्युक्त क अलावा, हम एतद्वारा इ बचन दैत छी जे ओकरा बाद सँ कोनो कार्यकलाप/ संनिर्माण/ विस्तार शुरू नहिं कयल गेल अछि।

नाम: पदनाम: कंपनी: पता

--

परिशिष्ट – VI

(खंड 12 देखें)

प्ररूप – 3

संदर्भ के नियम सब में संशोधन क लेल आवेदन

1-	विचारार्थ विषय सब हक ब्यौरा : टीओआर जारी करबाक तारीख; एमओईएफएंडसीसी/एसईआईएए/फाइल सं./टीओआर पत्र के प्रतिलिपि
2-	उत्पाद क विवरण

उत्पाद/ कार्यकलाप क्षमता/ क्षेत्र	अनुमोदित टीओआर क अनुसार मात्रा	प्रस्तावित मात्रा	इकाई	उत्पाद क परिवहन/ परिषण के तरीका

– इकाई— (टन प्रतिवर्ष (टीपीए), मेगा वाट (एमडब्ल्यू), किलो लीटर दैनिक (केएलडी); टन पेराई दैनिक (ट. पे. दै.), घनमीटर दैनिक, किलोमीटर (केएम); मिलियन लीटर दैनिक (एमएलडी), अन्य)

– उत्पाद क परिवहन/ पारेषण क तरीका (सड़क, रेल, बाहक पट्टी, पाइपवहन, आकाशीय मार्ग रज्जू इ अथवा तीन तरीका के संयोजन, अन्य)

2-	आकृति क ब्यौरा सब				
	संयंत्र/ उपस्कर/ सुविधा	मौजूदा आकृति	प्रस्तावित आकृति	संशोधन के बाद अंतिम आकृति	अभियुक्ति, यदि कोनो होय

3- टीओआर में संशोधन क कारण

4- कोनो अन्य संशोधन क आवश्यकता

अनुमोदित टीओआर क संदर्भ	अनुमोदित टीओआर क अनुसार विवरण	प्रस्ताव क अनुसार विवरण	अभियुक्ति सब

5- संलग्न करय बला दस्तावेज

क.	संशोधित प्ररूप – 1 के प्रतिलिपि अपलोड करु
ख.	संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट अपलोड करु
ग.	परियोजना प्रस्तावक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र
घ.	प्रयोक्ता अभिकरण क निमित्त अहि आवेदन के प्रस्तुत करय बला व्यक्ति क समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के एक प्रति अपलोड करुं
ङ.	अतिरिक्त दस्तावेज, अगर कोनो होय

6- परिवचन

हम एतद्वारा ई बचन दैत छी जे आवेदन आओर संलग्नक सब में देल गेल आँकड़ा सब आओर सूचना हमर सर्वोत्तम ज्ञान आओर विश्वास में सही अछि आओर हमरा इ जानकारी अछि जे अगर प्रस्तुत आँकड़ा आओर सूचना क कोनो भाग कोनो प्रक्रम पर असत्य अथवा भ्रामक पाओल जाइत अछि तऽ

परियोजना के अस्वीकार कय देल जाएत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो अछि, हमरा जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहृत कयल जायत। उपर्युक्त क अलावा, हम एतद्वारा ई बचन दैत छी जे ओकरा बाद सँ कोनो कार्यकलाप/ संनिर्माण/ विस्तार शुरू नहि कयल गेल अछि।

नाम: पदनाम: कंपनी: पता

परिशिष्ट – VII

(खंड 18 देखें)

प्ररूप – 4

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अथवा अवधि में संशोधन के लेल आवेदन

1.	पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क ब्यौरा सब: पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के जारी करबाक तारीख; एमओईएफएंडसीसी/एसईआईएए/ फाइल सं0; ईसी पत्र क प्रतिलिपि				
2.	प्रचालन करबाक लेल सहमति क ब्यौरा सब : कीऽ प्रचालन सहमति अभिप्राप्त कयल गेल अछि (हैं/ नहिं), अगर हाँ, तऽ प्रारम्भ सँ अभिप्राप्त प्रचालन करबाक सब सहमति के प्रतिलिप सब जाहि में आदिनांक विधिमान्य मिलल अछि; निर्गम क तारीख; विधिमान्यता; मिसिल सं; आवेदन संख्या।				
3.	जकरा लेल संशोधन इच्छित छल: आकृति में संशोधन/ अनापत्ति क शर्त सब में संशोधन/ अन्य विनिर्दिष्ट करू)				
4.	उत्पादन का विवरण (अनुमोदित ईसी क अनुसार)				
	<table border="1"> <tr> <td>उत्पाद/ कार्यकलाप</td> <td>मात्रा</td> <td>इकाई</td> <td>उत्पाद क परिवहन/ परिवहन/</td> </tr> </table>	उत्पाद/ कार्यकलाप	मात्रा	इकाई	उत्पाद क परिवहन/ परिवहन/
उत्पाद/ कार्यकलाप	मात्रा	इकाई	उत्पाद क परिवहन/ परिवहन/		

(क्षमता / क्षेत्र)			पारेषण क तरीका

–इकाई– (टन प्रतिवर्ष (टीपी), मेगा वाट (एम डब्ल्यू) किलो लीटर दैनिक (केएलडी) टन पेराई दैनिक (टीसीडी) घनमीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी), मिलियन लीटर दैनिक (एमएलडी), अन्य)

– उत्पाद क परिवहन / पारेषण क तरीका (सड़क, रेल, बाहक पट्टी, पाइप वहन, आकाशीय रज्जु मार्ग, दू अथवा तीन तरीका, सब हक संयोजन अन्य)

5. आकृति क विवरण (एकाधिक प्रविष्टि सब अनुज्ञात)

संयंत्र / उपस्कर / सुविधा	मौजूदा आकृति	प्रस्तावित आकृति	संशोधन क बाद अंतिम आकृति	अभियुक्ति सब अगर कोनो होय

6. संशोधन क कारण

7. कोनो अन्य संशोधन के आवश्यकता

अनुमोदित ईसी क संदर्भ	अनुमोदित इसी क अनुसार	प्रस्ताव क अनुसार विवण	अभियुक्ति सब
--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------

	विवरण		

8.	संलग्न कयल जाय बला दस्तावेज
	क. ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट के युक्तिका क प्रतिलिपि
	ख. संशोधित- व्यवहार्यता रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/ विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट/ विस्तृत अवधारणात्मक योजना/ अनुमोदित खनन योजना (खनन प्रस्ताव सब हक दशा में)
	ग. अंतिम अभिन्यास योजना क प्रतिलिपि
	घ. परियोजना प्रस्तावक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र
	ड. प्रयोक्ता आीकरण क निमित्त अहि आवेदन के प्रस्तुत करय बला व्यक्ति क समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप सँ हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के एकटा प्रति अपलोड करु
	च. अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोनो होय
9.	ईआईए परामर्शदाता क विवरण: प्रत्यायन सं०. ईआईए परामर्शदाता क नाम; पता; दूरभाष सं०; ई-मेल पता; प्रत्यायन क कोटि (कोटि क के लेल पात्र/ कोटि ख क लेल पात्र); प्रत्यायन क क्षेत्र; प्रत्यायन के विधिमान्यता; क्यूसीआई/ एनएबीईटी द्वारा जारी कयल गेल प्रत्यायन प्रमाण पत्र क प्रति
10.	परिवचन
	हम एतद्वारा ई बचन दैत छी जे आवेदन आओर संलग्नक सब में देल गेल आँकड़ा सब आओर सूचना हमर सर्वोत्तम ज्ञान आओर विश्वास में सही अछि

आओर हमरा ई जानकारी अछि जे अगर प्रस्तुत आंकड़ा आओर सूचना क कोनो भाग कोनो प्रक्रम पर असत्य अथवा भ्रामक पाओल जाईत अछि तऽ परियोजना क अस्वीकृत कय देल जायत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो होय, हमर जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहृत कयल जायत ।

नाम; पदनाम; कंपनी; पता

परिशिष्ट – VIII

(खंड 21 देखें)

प्ररूप – 5पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क अंतरण के लेल आवेदन

1-	परियोजना क नाम
2-	पूर्व क परियोजना प्रस्तावक क ब्यौरा सब (अंतर्ग्रस्त कार्यकलाप सब हक समामेलन क दशा में एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात): कंपनी / संगठन क नाम; पंजीकृत पता; कंपनी के विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम, अगर कोनो होय, के विवरण; आदि।
3-	नऽव परियोजना प्रस्तावक क ब्यौरा सब अन्तर्ग्रस्त कार्यकलाप सब हक विभाजन क दशा में एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात: कंपनी / संगठन क नाम; पंजीकृत पता; कंपनी के विधिक स्थिति, संयुक्त उद्यम, अगर कोनो होय, क विवरण, आदि।
4-	पत्राचार क पता (अंतर्ग्रस्त कार्यकलाप सब हक विभाजन क दशा में एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात): आवेदक के नाम; पदनाम; (स्वामी / साझेदार / सीईओ) पता; पिनकोड; ईमेल; दूरभाष सं०; फ़ैक्स सं; इत्यादि।
5-	ईआईए अधिसूचना, 2006 क अनुसूची क अनुसार परियोजना / कार्यकलाप क प्रवर्ग: अनुसूची क तहत मद; प्रवर्ग (क / ख1 / ख2)
6-	पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क ब्यौरा सब: पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति निर्गत करय के तारीख; एमओईएफएंडसीसी / एसईआईएए फाइल सं०; ईसी पत्र क प्रतिलिपि;

7-	<p>स्थापना क लेल सहमति क ब्यौरा: कीऽ स्थापना क लेल सहमति अभिप्राप्त कयल गेल अछि (हँ/नहिं), अगर हँ त अभिप्राप्त स्थापना क लेल सहमति जे आदिनांक विधिमान्य होय, के प्रतिलिपि: निर्गम क तिथि; विधिमान्यता; मिसिल सं०; आवेदन सं०; इत्यादि।</p>			
8-	<p>परियोजना के कार्यान्वयन क स्थिति (ईसी के दशा में: परियोजना / सुविधा सब/ कार्यकलाप सब सँ/ सम्बन्धित भौतिक प्रगति, जाहि लेल पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति देल गेल छल)</p>			
9-	<p>पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क विभाजन अंतर्ग्रस्त होवय के दशा में</p>			
<p>क. परियोजना संकाय सब/ कार्यकलाप सब हक प्रस्तावित विभाजन</p>				
<p>पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा/ कार्यकलाप, आकृति आओर क्षमता क संग</p>	<p>“एक्स” के प्रस्तावित अंतरण पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा/ कार्यकलाप, आकृति आओर क्षमता क संग</p>	<p>“वाय” के प्रस्तावित अंतरण पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा/ कार्यकलाप, आकृति आओर क्षमता क संग</p>	<p>“जेड” क प्रस्तावित अंतरण पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा/ कार्यकलाप, आकृति आओर क्षमता क संग</p>	
<p>ख. पूर्व पर्यावरणीय निबंधन सब हक आओर शर्त सब के प्रस्तावित विभाजन</p>				

पर्यावरणीय निबंधन आओर शर्त सब	अंतरिती एक्स	अंतरिती वाय	अंतरिती जेड

10- पूर्व पर्यावरण अनापत्ति क समामेलन अंतर्गस्त होवय के दशा में

क. संकाय सब / कार्यकलाप सब हक प्रस्तावित सम्मेलन

परियोजना-1 के प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप आकृति आओर क्षमता क संग	परियोजना-2 के प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप आकृति आओर क्षमता क संग	परियोजना-3 के प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप आकृति आओर क्षमता क संग	विलय पश्च सुविधा सब / कार्यकलाप

ख. पर्यावरणीय निबंधन सब आओर शर्त सब हक प्रस्तावित समामेलन

परियोजना-1 के लेल विहत	परियोजना-2 के लेल विहत	परियोजना-3 के लेल विहत	विलय के बाद प्रस्तावित
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

पर्यावरणीय निबंधन एवं शर्त सब	पर्यावरणीय निबंधन एवं शर्त सब	पर्यावरणीय निबंधन एवं शर्त सब	पर्यावरणीय निबंधन आओर शर्त सब

11. संलग्न करय जाय बला दस्तावेज
क. अंतरक सँ प्राप्त अनापत्ति
ख. ओई निबंधन सब आओर शर्त सब हक स्वीकृति जकरा तहत पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति देले गेल दल क संदर्भ में बतबैइत अंतरिती द्वारा परिवचन।
ग. सक्षम प्राधिकारी सँ फर्म के स्थानांतरण क प्रतिलिपि
घ. परियोजना प्रस्तावक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र
ङ. प्रयोक्ता अभिकरण क निमित्त अहि आवेदन के प्रस्तुत करय बला व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के एकटा प्रति
च. अतिरिक्त दस्तावेज, अगर कोनो होय।
12. परिवचन

हम एतद्वारा इ बचन दैत छी जे आवेदन आओर संलग्नक सब में देल गेल आँकड़ा सब आओर सूचना हमर सर्वोत्तम ज्ञान आओर विश्वास में सही अछि आओर हमरा इ जानकारी अछि जे अगर प्रस्तुत आँकड़ा सब आओर सूचना

क कोनो भाग कोनो प्रकम पर असत्य अथवा भ्रामक पाओल जायत अछि तऽ परियोजना के अस्वीकार कय देल जायत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो होय, हमर जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहत कयल जायत ।

नाम; पदनाम; कंपनी; पता

परिशिष्ट- IX

(खंड 17 देखें)

प्ररूप-6

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मंजूरी हेतु आवेदन

(जतय कोनो परियोजना अथवा कार्यकलाप क सम्बन्ध में सरकार द्वारा देल गेल पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति अथवा अधिकार अथवा अनुज्ञा अथवा प्राधिकार कोनो भी कानूनी कार्यवाही में अथवा सरकार द्वारा कानून क अनुसार निरस्त कयल जाइत अछि आओर उक्त पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति अथवा अधिकार अथवा अनुज्ञा अथवा प्राधिकार कोनो अन्य व्यक्ति अथवा सफल बोली दाता के अनुदत्त कयल जाइत अछि आओर तत्समय प्रवृत्त कोनो कानून क तहत उर्पुक्त विषय पर कोनो विशिष्ट अधिनियमन नहि अछि)

1-	परियोजना (सब हक) नाम
2-	पूर्व परियोजना प्रस्तावक ब्यौरा: कंपनी/ संगठन क नाम; पंजीकृत पता; कंपनी के कानूनी स्थिति ; संयुक्त उद्यम क विवरण, अगर कोनो होय; आदि।
3-	नऽव परियोजना प्रस्तावक के विवरण: कंपनी/ संगठन क नाम; पंजीकृत पता; कंपनी के कानूनी स्थिति; संयुक्त उद्यम क विवरण, अगर कोनो होय; आदि।
4-	पत्राचार क पता: आवेदक क नाम; पदनाम (स्वामी/साझीदार/सीईओ) पता; पिनकोड; ई-मेल; दूरभाष संख्या; फ़ैक्स सं०, आदि।
5-	अनुसूची क अनुसार परियोजना/ कार्यकलाप क प्रवर्ग: अनुसूची के तहत मद; प्रवर्ग (क/ ख1/ ख2)

6-	पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति क विवरण: पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति जारी करबाक तारीख; एमआईएफएंडसीसी / एसईआईएए मिसिल सं / पूर्व-ईसी-पत्र क प्रतिलिपि ।
7-	स्थापना क लेल सहमति के ब्यौरा सब: कीऽ स्थापना क लेल सहमति अभिप्राप्त कयल गेल अछि (हँ / नहिं), अगर हँ त अभिप्राप्त स्थापना क लेल सहमति जे अदिनांक विधिमान्य होय, ऽक प्रतिलिपि; निर्गम क तिथि; विधिमान्यता मिसिल सं.; आवेदन सं- इत्यादि ।
8-	परियोजना क कार्यान्वयन क स्थिति क मुकाबला में अनुमोदित खनन योजना (प्रारूप खनन परियोजना सब) अथवा व्यवहार्यता रिपोर्ट (अन्य परियोजना सब)
9-	संशोधित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना
10-	संलग्न कयल जाय बला दस्तावेज
	क. आवंटन पत्र क प्रतिलिपि
	ख. परियोजना प्रस्तावक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र
	ग. प्रयोक्ता अभिकरण क निमित्त अहि आवेदन क प्रस्तुत करय बला व्यक्ति क समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप सँ हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के एकटा प्रति
	घ. पूर्व ईआईए रिपोर्ट क प्रतिलिपि, जकरा आधार पर पूर्व परियोजना प्रस्तावक के पूर्व ईसी देल गेल छल ।
	ड. अतिरिक्त दस्तावेज यदि कोनो होय ।
11-	परिवचन
	हम एतद्वारा इ बचन दैत छी जे आवेदन आओर संलग्नक सब में देल गेल आँकड़ा सब आओर सूचना हमर सर्वोत्तम ज्ञान आओर विश्वास में सही अछि आओर हमरा इ जानकारी अछि जे अगर प्रस्तुत आँकड़ा सब आओर सूचना

क कोनो भाग कोनो प्रक्रम पर अत्य अथवा भ्रामक पाओल जायत अछि तऽ परियोजना के अस्वीकार कय देल जायत आओर परियोजना के देल गेल अनापत्ति, अगर कोनो होय, हमर जोखिम आओर लागत पर प्रतिसंहत कयल जायत ।

नाम; पदनाम; कंपनी; पता

परिशिष्ट- X

(खंड 13 देखें)

पर्यावरणीय संघात निर्धारण दस्तावेज के साधारण संचरणा

क्र० सं०	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	<ul style="list-style-type: none"> ● रिपोर्ट क प्रयोजन ● परियोजना प्रस्तावक के ब्यौरा सब; परियोजना क नाम; कम्पनी/ अथवा इकाई अथवा फर्म अथवा संगठन अथवा ट्रस्ट अथवा संयुक्त उद्यम अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम क नाम; पंजीकृत पता; कंपनी के विधिक स्थिति संयुक्त उद्यम, अगर कोनो होय, आदि। ● परियोजना क अवस्थान; भूखण्ड/ सर्वेक्षण/ खसरा संख्या; ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिनकोड; परियोजना/कार्यकलाप स्थल क अक्षांश आओर देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट सं०; टोपो शीट क प्रतिलिपि; एमएसएल सँ अधिकतम ऊँचाई, केएमएल मिसिल, अध्ययन क्षेत्र क भीतर परियोजना सीमा सँ निकटतम उच्चतम बाइढ़ स्तर (एचएफएल) क दूरी, भूकम्पीय जोन; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम रेलवे स्टेशन सँ दूरी (किमी में०); निकटतम हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा सँ दूरी (किमी में);

		<p>निकटतम नगर/ शहर/ जिला मुख्यालय (विनिर्दिष्ट करू); निकटतम नगर/ शहर/ जिला मुख्यालय सँ दूरी (किमी में); ग्राम पंचायत; जिला परिषद् नगर निगम; स्थानीय निकाय (पिन कोड आओर टेलीफोन नंबर क संग पूरा डाक पता); आदि।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सीमा परियोजना क निर्देशांक (अधिमानव; प्रत्येक मोड) ● सामान्य अवस्थान, विशिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा आओर परियोजना स्थल अभिन्यास दर्शावय बला नक्शा सब ● परियोजना अवस्थान के पारिस्थितिक संवेदनशीलता: ब्यौरा आओर दूरी, अगर वन्यजीव अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान अथवा संरक्षित क्षेत्र अथवा जैव मंडल रिजर्व अथवा व्याघ्र रक्षित क्षेत्र अथवा हाथी रक्षित क्षेत्र अथवा गंभीर रूप सँ प्रदूषित क्षेत्र अथवा अति प्रदूषित क्षेत्र अथवा पारिस्थितिकी – संवेदनशील क्षेत्र अथवा पारि-संवेदनशील क्षेत्र अथवा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र क सीमा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा अथवा पहाड़ी क्षेत्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय/ राष्ट्रीय विधान/ स्थानीय कानून क तहत संरक्षित क्षेत्र अथवा सांस्कृतिक अथवा अन्य सम्बन्धित मान अथवा नम भूमि अथवा जल निकाय अथवा तटीय जोन अथवा तीर्थ क्षेत्र सब अथवा पर्यटक क्षेत्र
--	--	---

		<p>अथवा रक्षा प्रतिष्ठापन, आदि सँ 10 कि.मी. के भीतर स्थित आदि।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● परियोजना क प्रकृति, आकार, प्रवर्ग क संक्षिप्त विवरण: अनुसूची में मद सं० प्रवर्ग (क / ख१ / ख२); प्रस्ताव क प्रकार (नऽव / विस्तार / आधुनिकीकरण) आदि। ● पर्यावरणीय, सामाजिक आओर विलीय दृष्टि सँ देश, क्षेत्र क लेल, परियोजना क महत्व। ● विस्तार अथवा आधुनिकीकरण क दशा में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (सब) आओर / अथवा सहमति (सब); अन्य अनापत्ति (सब) जेना कि भूजल, सतह जल आवेदन वन भूमि अपवर्तन, वन्य जीव अनापत्ति खनन योजना अनुमोदन, भवन योजना अनुमोदन आदि सहित परियोजना क संक्षिप्त इतिहास। ● अध्ययन क दायरा: कयल गेल विनियामक स्कोपिंग के विवरण (विचारार्थ विषय क अनुसार); सारणी में परियोजना के लेल विहित विचारार्थ विषय क अनुपालन।
2.	परियोजना विवरण	<ul style="list-style-type: none"> ● उत्पाद, सह-उत्पाद, परियोजना आकृति (विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के मामला में एखूनका अथवा प्रस्तावित अथवा विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के बाद संचयी, सँ संबंधित ब्यौरा सब) आदि। ● प्रौद्योगिकी आओर प्रक्रिया वर्णन जाहि में एकटा

		<p>योजनाबद्ध आरेख/ प्रवाह चार्ट मिलल अछि जे परियोजना क अभिन्यास, परियोजना क संघटक आदि देखबैइत होय ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनुमानित मात्रा, संभावना स्रोत, स्रोत सँ दूरी, परिवहन के प्रकार, लिंकेन के प्रकार क संग जरूरी काँच सामग्री (सब) आओर जलावन । ● अंतिम उत्पाद (सब) अथवा सह-उत्पाद सब हक विपणन क्षेत्र, परिवहन क तरीका, दूरी, लिंकेज अगर कोनो होय; आदि के । ● पाईन का आवश्यकता क वर्णन (निर्माण/संस्थापना/ प्रवर्तन/स्थापना चरण; प्रचारण चरण; अतिरेक/ बंद/ विघटन चरण क क्रम में); कुल पाईन के आवश्यकता; स्रोत; स्रोत सँ दूरी; निकासी क विधि; परिवहन क साधन; अनुमति/ एम ओ यू, आदि क विवरण । ● विद्युत आवश्यकता का विवरण (निर्माण/संस्थापना/प्रवर्तन / स्थापना चरण; प्रचालन चरण; अतिरेक/ बंद/ विघटन चरण के क्रम में) कुल विद्युत आवश्यकता; स्रोत; स्रोत सँ दूरी; दोहन क विधि; अनुमति/ एमओयू के विवरण: आपात व्यवस्था(आदि । ● परियोजना में परिकल्पित संसाधन अनुकूलन/ पुनर्चक्रण आओर इनकार अगर कोनो होय, के संक्षिप्त रूप सँ रेखांकित कयल जायके चाही । ● विभिन्न कार्यकलाप सब हक लेल भूमि के
--	--	---

		<p>आवश्यकता, भूमि क स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण क स्थिति, आदि ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अगर वनभूमि अन्तर्ग्रस्त अछि तऽ वन अनापत्ति स्थिति (सैद्धान्तिक (चरण- 1) अनुमोदन प्राप्त / अंतिम चरण- 1.1) अनुमोदन अभिप्राप्त / वन अनापत्ति प्रक्रियाधीन (चरण- 1) / वन अनापत्ति प्रक्रियाधीन (चरण- 1.1) / वन अनापत्ति हेतु आवेदन एखन धरि दाखिल नहि कयल गेल अछि) । ● गाछ कटाई, अगर कोनो होय / परियोजना के लेल काटल गेल गाछक संख्या (अगर वनभूमि अंतर्ग्रस्त नहि अछि) आओर गाछ क कटाई आओर वृक्षारोपण क वर्णन । ● एखनुका भूमि उपयोग पैटर्न (कृषि, गैर-कृषि, वन, जल निकाय (सीआरजेड अथवा आईसी आरजेड के तहत क्षेत्र संगे) परियोजना क परिधि सँ जंगल सब हक परिधि तक के न्यूनतम दूरी पारि-संवेदनशील क्षेत्र, जल निकाय (धार क एचएफएल सँ दूरी); सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड; अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र क दशा में राजपत्र अधिसूचना क एकटा प्रति देल जाय के चाही । ● जनबल क आवश्यकता: निर्माण / स्थापना / प्रतिष्ठापन / स्थापना चरण; प्रचालन चरण: व्यतिरिक्त / समापन / विघटना चरण; क कम
--	--	--

		<p>में स्थायी / अस्थायी नियोजन कुल जन बल।</p> <ul style="list-style-type: none"> परियोजना लागत: वर्तमान मूल्य स्तर पर (लाख में) परियोजना क कुल लागत अनुमोदन आओर कार्यान्वयन के लेल प्रस्तावित कार्यक्रम व्यवहार्यता ड्राइंग क योजनाबद्ध अभ्यावेदन जे ईआई प्रयोजन क जानकारी दैइत अछि। प्ररूप-2 क अनुसार क्षेत्र विशिष्ट विवरण
3.	पर्यावरण क वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक आओर पद्धति सहित आधारभूत अध्ययन क क्षेत्र (दायरा) पूर्व परियोजना अथवा पूर्व विस्तार पर्यावरणीय परिदृश्य क वर्णन अर्थात एकत्र कयल गेल आधारभूत डेटा क वर्णन बेसलाइन डेटा क सार सब पर्यावरणीय संघटक सब के आधार मानचित्र
4.	अनुमानित पर्यावरणीय संघात आओर न्यूनीकरण उपैऽ	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना अवस्थान संभावित दुर्घटना सब, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालन सब, खतम कयल गेल परियोजना सब हक अंतिम रूप सँ बंद करनाई अथवा पुनर्स्थापन क कारण अन्वेषित पर्यावरणीय संघात सब हक ब्यौरा सब। अपशिष्ट जल प्रबन्धन (निर्माण / संस्थापना / प्रतिस्थापन / स्थापना चरण; संचालन चरण; व्यतिरिक्ता / बंद / विघटना चरण के क्रम में);

		<p>प्रकार अथवा स्रोत; अपशिष्ट जल क मात्रा; शोधन क्षमता; शोधन विधि, पुनर्चर्कण अथवा पुनः उपयोग में प्रयुक्त शोधित पाईन क मात्रा; विसर्जन कयल गेल पाईन क मात्रा; निपटान क तरीका; अगर प्रस्तावित होय तऽ शून्य तरल विसर्जन के प्राप्ति क ब्यौरा सब।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (निर्माण/ संस्थापना/ प्रतिस्थापन/ स्थापना चरण; संचालन चरण; व्यतिरिक्ता/ बंद/ विघटना चरण क क्रम में) प्रकार अथवा स्रोत; ठोस अपशिष्ट क मात्रा; शोधन क्षमता; शोधन विधि; पुनर्चर्कण अथवा पुनः उपयोग में प्रयुक्त शोधित ठोस अपशिष्ट क मात्रा; विसिर्जित कएल गेल ठोस अपशिष्ट क मात्रा; निपटान क तरीका ● पहिचान कयल गेल प्रतिकूल संघात सब के न्यूनिकृत आओर/ अथवा दूर करय के लेल उपैऽ। ● हरित पट्टी विकास योजना
5.	अनुकल्पी सब हक विशेषण प्रौद्योगिकी एवं स्थल	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रौद्योगिकी आओर स्थल के लेल अनुकल्पी सब। ● नऽव आओर अपरीक्षित प्रौद्योगिकी के प्रौद्योगिकीय विफलता क निर्धारण। सऽब सअनुकल्पी क विवरण। ● सऽब अनुकल्पी के प्रतिकूल प्रभाव सबहक सारांश ● सऽब अनुकल्पी के लेल प्रस्ताविक न्यूनीकरण उपैऽ।

		<ul style="list-style-type: none"> ● औचित्य क संग अनुकल्प क चयन ।
6.	पर्यावरण मॉनिटरी कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> ● न्यूनीकरण उपैऽ सब हक प्रभावशीलता के मॉनीटर करबाक तकनीकी पहलू (जाहि के अनतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आँकड़ा सब हक विश्लेषण, रिपोर्ट करबाक अनुसूची सब, आपात प्रक्रिया सब, विस्तृत बजट आओर, उपापन अनुसूची सब सेहाँ अछि)
7.	अतिरिक्त अध्ययन	<ul style="list-style-type: none"> ● लोक सुनवाई क सूचना संगे लोक परामर्श, पर्यवेक्षण, सुनवाई क अध्यक्षता, परियोजना क पर्यावरणीय पहलू सब में सारवान हिस्सेदारी राखय बला व्यक्ति सब सँ लिखित प्रतिक्रिया सब कार्यवाही आओर सारणीबद्ध रूप से समयबद्ध कार्य योजना आओर बजटीय प्रावधान क संग अई क्रम में उठाओल गेल मुद्दा सब पर परियोजना क प्रस्तावक सबहक प्रतिबद्धता सब के ब्यौरा । ● जोखिम आओर खबर सहहक पहिचान, आपातकालीन तैयारी योजना आओर आपदा प्रबंधन योजना द्वारा समर्पित मूल्यांकन आओर प्रबंधन । ● समाजिक संघात निर्धारण, सामाजिक, आवश्यकता निर्धारण आओर प्रबंधन । ● पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन, अगर कोनो होय, गाम क संख्या, परिवार सबहक संख्या, परियोजना विस्थापित परिवार सभक संख्या,

		<p>प्रभावित परिवार संख्या, पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन के लेल आवंटित निधि: पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन के स्थिति (पूर्ण/ प्रगतिधीन/ एखन धरि शुरू नहिं): कार्य योजना कार्यान्वयन कार्यक्रम, बजटीय प्रावधान, इत्यादि।</p> <ul style="list-style-type: none"> सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड में स्थित परियोजना क दशा में, प्ररूप-2 के तहत अपेक्षित ब्यौरा
8.	परियोजना क लाभ	<ul style="list-style-type: none"> भौतिक अवसंचना में सुधार सामाजिक अवसंरचना में सुधार कॉपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर), लोक सुनवाई अथवा सामाजिक आवश्यकता निर्धारण क क्रम में उभरय बला मुद्दा सब हक आधार पर सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप समयबद्ध कार्य योजना, अर्ध-कुशल आओर अकुशल अन्य मूर्त फायदा सब
9.	पर्यावरण लागत-नफ्फा विश्लेषण	अगर विस्तारण प्रक्रम पर पैरवी कयल जाईत अछि।
10.	ईएमपी	<ul style="list-style-type: none"> ई सुनिश्चित करबाक लेल जे न्यूनीकरण सम्बन्धी उपैड कार्यान्वित कयल गेल अछि आओर ईआईए के अनुमोदन क पश्चात हुनकर प्रभावी मॉनीटरी कयल गेल अछि, प्रशासनिक पहलू सब हक वर्णन।

		<ul style="list-style-type: none"> ● शीर्ष प्रबंधन क द्वारा सम्यक अनुमोदित कम्पनी 'पर्यावरण नीति' ● पर्यावरण प्रबंधन विभाग/ प्रकोष्ठ क संगठनात्मक संरचना ● गैर अनुपालन/ उल्लंघन क निदेशक मंडल के रिपोर्टिंग के लेल तंत्र, अगर कोनो होय, रिपोर्टिंग आवर्त, रिपोर्ट कयल गेल गैर अनुपालन अथवा आंशिक अनुपालन के बंद करबाक लेल मानक संचालन प्रक्रिया, अगर कोनो होय।
11.	संक्षिप्त सार आओर निष्कर्ष (ई ईआईए रिपोर्ट क संक्षिप्त सार होयत आओर एकरा कार्यकारी सारांश क लेल उपयोग कयल जाऽ सकैत अछि)	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजना वर्णन ● पूर्व परियोजना अथवा पूर्व-विस्तार परिदृश्य (आधारभूत परिदृश्य) ● अनुमानित पर्यावरणीय संघात ● न्यूनीकरण क उपैऽ ● पर्यावरणीय मॉनीटर कार्यक्रम ● अतिरिक्त अध्ययन ● परियोजना क नफा सब ● पर्यावरण प्रबंधन योजना ● परियोजना क कार्यान्वयन के समग्र औचित्य ● कोना कऽ, प्रतिकूल प्रभाव के कम कयल गेल अछि, के व्याख्या
12.	नियोजित परामर्शी सब हक प्रकटन	<ul style="list-style-type: none"> ● हुनकर संक्षिप्त कार्य आओर देल गेल परामर्श क प्रकृति क संग नियोजित कयल गेल प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन क नाम।

		<ul style="list-style-type: none"> ● प्रत्यायन क विवरण ● ईआईए क तैयारी में मिलल ईआईए समन्वयक आओर कार्यात्मक क्षेत्र विशेषण (सब हक) ब्यौरा सब । ● परिशिष्ट – XIII क अनुसार ईआईए के तैयारी में मिलल ईआईए समन्वयक आओर कार्यात्मक क्षेत्र विशेषण (सब हक) घोषणा
टिप्पैण:		

1. सब दस्तावेज सब के ठीक सँ अनुक्रमित कयल जाय के चाही,, पृष्ठ क्रमांकित ।
2. डेटा संग्रह क अवधि/ तारीख स्पष्ट रूप सँ उपदिशत कयल जाय के चाहीं ।
3. क्षेत्रीय भाषा सब में सब सामग्री के प्रमाणिक अंग्रेजी अनुवाद प्रदान कयल जाय के चाही ।

परिशिष्ट –XI

(खंड 13 और 16 देखें)

पर्यावरणीय प्रबंधन रिपोर्ट के साधारण संरचना

क्र० सं०	ईआई संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	<ul style="list-style-type: none"> ● रिपोर्ट क प्रयोजन ● परियोजना प्रस्ताव क ब्यौरा सब: परियोजना क नाम; कंपनी/ संगठन क नाम; पंजीकृत पता, कम्पनी क विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम, अगर कोनो होय; आदि। ● परियोजना क अवस्थान: भूखंड/ सर्वेक्षण/ खसरा संख्या; गाम; तहसील; जिला; राज्य; पिनकोड; परिबद्ध अक्षांश— उत्तरी (सँ एवं तक) परिबद्ध देशांतर—पूर्व (सँ एवं तक); भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट पत्र सं०, टोपोशीट पत्रक प्रतिलिपि एएमएसएल सँ अधिकतम उँचाई: केएमएलए मिसिल के प्रति; अध्ययन क्षेत्र क भीतर, परियोजना सीमा सँ निकटतम उच्चतम बाईढ़ स्तर (एचएफएल) के दूरी; भूकम्पीय जोन, निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम रेलवे स्टेशन सँ दूरी (कि० मी० में), निकटतम हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा सँ दूरी (किमी. में): निकटतम नगर/ शहर/

		<p>जिला मुख्यालय (विनिर्दिष्ट करू); निकटतम नगर/ शहर/ जिला मुख्यालय सँ दूरी (किमी में) ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, नगर निगम, स्थानीय निकाय, (पिन कोड आओर टेलीफोन नंबर क संग पूरा डाक पता); आदि।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● साधारण अवस्थान, विशिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा आओर परियोजना स्थल अभिन्यास दर्शावय बला नक्शा सब। ● परियोजना क प्रकृति, आकार, प्रवर्ग क संक्षिप्त वर्णन; अनुसूची में मद सं। ● पर्यावरणीय, समाजिक आओर वित्तीय दृष्टि सँ देश, क्षेत्र क लेल परियोजना क महत्व ● परियोजना के संक्षिप्त इतिहास, जाहि में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति/ सहमति मिलल अछि।
2.	परियोजना क वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजना क प्रकार ● परियोजना क आवश्यकता ● परियोजना द्वारा आओर/ अथवा के लेल अपेक्षित संबद्ध कार्यकलाप सब हक संग प्रचालन क आकार अथवा परिमाण। ● परियोजना क अभिन्यास दर्शावय बला योजनाबद्ध आरेख/ प्रवाह चार्ट क संग प्रौद्योगिकी आओर प्रक्रिया विवरण परियोजना क संघटक अछि सब के देल जाय के चाही। ● अनुमानित मात्रा क संग आवश्यक काँच सामग्री सब, संभावित स्रोत, वित्तीय उत्पाद/ उत्पाद

		<p>सभक विपणन क्षेत्र, काँच सामग्री आओर तैयार उत्पाद के परिवहन क तरीका</p> <ul style="list-style-type: none"> परियोजना में परिकल्पित संसाधन अनुकूलन/ पुनर्चक्रण आओर इनकार, अगर कोनो होय, के संक्षिप्त रूप सँ रेखांकित कयल जाय के चाही। जल स्रोत के उपलब्धता, उर्जा/बिजली के आवश्यकता आओर स्रोत बतयबाक चाही। विभिन्न कार्यकलाप सब हक लेल भूमि के आवश्यकता, भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण क स्थिति आदि। उत्पन्न होवय बला अपशिष्ट क मात्रा (द्रव आओर ठोस) आओर ओकर प्रबंधन/ निपटान के योजना। व्यवहार्यता आरेख के योजनाबद्ध व्यपदेशन जे ईआईए प्रयोजन क जानकारी दैइत होयथ अनुमोदन आओर कार्यान्वयन के लेल प्रस्तावित कार्यक्रम
3.	प्रस्तावित न्यूनीकरण उपैऽ	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना क कारण अनुमानित पर्यावरणीय संघात सब हक विवरण दोसर बात क संग हरित पट्टी विकास योजना क संग न्यूनीकरण उपैऽ
4.	पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> न्यूनीकरण उपैऽ क प्रभावशीलता के मानीटर करबाक तकनीकी पहलू (जकरा अंतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आँकड़ा विश्लेषण, रिपोर्ट करय के अनुसूची सब, आपात प्रक्रिया

		सब, विस्तृत बजट आओर उपापन अनुसूची सब सेहो अछि)
5.	परियोजना क फायदा	<ul style="list-style-type: none"> ● कॉपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व—सीईआर क तहत प्रस्तावित कार्यकलाप ● नियोजन क्षमता, कुशल, अर्धकुशल आओर अकुशल ● अन्य मूर्त फायदा

परिशिष्ट – XII

(खंड 11 देखें)

पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट दस्तावेज के साधरण संरचना

क्र० सं०	पीएएफआर संरचना	अंतर्वस्तु
1.	कार्यकारी सारांश	<ul style="list-style-type: none"> विस्तार/ आधुनिकीकरण/ उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन/ प्रक्रिया में परिवर्तन क दशा में परियोजना प्रस्तावक क ब्यौरा सब हक संक्षिप्त सारांश परियोजना के अवस्थाम, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति/ सहमति क संग परियोजना क संक्षिप्त इतिहास; प्रचालन क आकार आओर परिमाण; प्रौद्योगिकी आओर प्रक्रिया विवरण; काँच सामाग्री क आवश्यकता; पाईन आओर बिजली के आवश्यकता, परियोजना अवस्थान क पर्यावरण संवेदनशीलता; पर्यावरण संघात निर्धारण; न्यूनीकरण क उपैऽ; मानीटरी; आदि।
2.	परियोजना क प्राक्कथन/ पृष्ठभूमि जानकारी	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना आओर परियोजना प्रस्तावक के परिचय। खनन परियोजना के दशा में, खनन पट्टा सब/ आशय पत्र क एकटा प्रतिलिपि देल जाय के चाही। परियोजना क प्रकृति के संक्षिप्त वर्णन।

		<ul style="list-style-type: none"> ● देश आओर/ अथवा क्षेत्र क लेल परियोजना क आवश्यकता आओर एकर महत्व ● माँग – आपूर्ति अंतराल। ● आयात बनाम स्वदेशी उत्पादन। ● निर्यात संभाव्यता ● घरेलू/ निर्यात बजार ● परियोजना क कारण रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष आओर अप्रत्यक्ष)
3.	परियोजना क प्रकार	<ul style="list-style-type: none"> ● अंतराबद्ध आओर अन्योन्याश्रित परियोजना सब हक संग परियोजना क प्रकार यदि कोनो होय। ● निर्देशांक क संग अवस्थान (साधारण अवस्थान, विशिष्ट अवस्थान आओर परियोजना सीमा आओर परियोजना स्थल अभिन्यास क दरशावय बला मानचित्र) ● अनुकल्पिक स्थल सबहक वर्णन आओर प्रस्तावित स्थल के चयन के आधार, विशेष रूप सँ पर्यावरण संबंधी विचारन के रेखांकन कयल जाय के चाही। ● प्रचालन क आकार अथवा परिभाषा ● प्रक्रिया ब्यौरा सबहक संग परियोजना वर्णन (परियोजना क अभिन्यास दरशावय बला योजनाबद्ध आरेख/ प्रवाह चार्ट, परियोजना

		<p>क संघटक आदि जाय के चाही)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनुमानित मात्रा सहित आवश्यक काँच सामाग्री सब, संभावित स्रोत, वित्तीय उत्पाद / उत्पाद सभ क विपणन क्षेत्र काँच सामग्री आओर तेयार उत्पाद क परिवहन के तरीका सब । ● परियोजना में परिकल्पित संसाधन अनुकूलन / पुनर्चक्रण आओर अस्वीकृति अगर कोनो होय, के संक्षिप्त रूप सँ रेखांकित कयल जाय के चाहीं । ● जल स्रोत क उपलब्धता उर्जा / बिजली क आवश्यकता आओर स्रोत बतयबाक जायल चाहीं । ● उत्पन्न होबय बला अपशिष्ट क मात्रा (द्रव आओर ठोस) आओर हुनकर प्रबंधन / निपटान क योजना ● व्यवहार्यता आरेख क योजनाबद्ध व्यपदेशन जे ईआईए प्रयोजन के जानकारी दैइत होय ।
4.	स्थल विश्लेषण	<ul style="list-style-type: none"> ● संयोजकता ● भूमि प्ररूप, भूमि उपयोग आओर भूमि स्वामित्व । ● स्थलाकृति (मानचित्र क संग) ● एखनूका भूमि उपयोग पैटर्न (कृषि, गैर कृषि, वन, जल निकाय (सीआरजेड) अथवा, आईसीआरजेड के तहत क्षेत्र क संगे),

		<p>परियोजना क परिधि सँ जंगल के परिधि तक के न्यूनतम दूरी, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जल निकाय (धार क एचएफएल सँ दूरी) सीआरजेड अथवा आईसीआरजेड। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र क दशा में राजपत्र अधिसूचना क एकटा प्रति देल जाय के वाही।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एखनूका अवसंरचना ● मृदा वर्गीकरण ● द्वितीयक स्रोत सब सँ जलवायु डेटा ● सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलबध
5.	आयोजन संक्षिप्त विवरण	<ul style="list-style-type: none"> ● आयोजना अवधारणा नगर आओर ग्राम (उद्योग सब, सुविधा सब, परिवहन आदि के प्रकार) टाउन आओर कन्ट्री ● जनसंख्या अनुमान ● भू-उपयोग आयोजना (हरित पट्टी क संग अलग-अलग) ● अवसंरचना माँग निर्धारण (भौतिक आओर सामाजिक) ● सुख-सुविधा सब / सुविधा सब
6.	प्रस्तावित बुनियादी ढाँचा	<ul style="list-style-type: none"> ● औद्योगिक क्षेत्र (प्रसंस्करण क्षेत्र) ● आवासीय क्षेत्र (गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र) ● हरित – पट्टी ● सामाजिक अवसंरचना

		<ul style="list-style-type: none"> ● संयोजकला (यातायात आओर परिवहन सडक/ रेल, मेट्रो, जलमार्ग, इत्यादि) ● पेयजल प्रबंधन ● औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन ● ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ● बिजली के आवश्यकता आओर प्रदाय/ स्रोत
7.	पुनर्वासन आओर पुनर्स्थापन (आर एण्ड आर) योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● घर सँ बेदखल आओर भूमि सँ बेदखल आओर भूमिहीन श्रमिक सब हक संग अई परियोजना सँ प्रभावित होवय बला के लेल नीति अंगीकरण (केन्द्र / राज्य) कयल जाय के चाही। एकटा संक्षिप्त रूप रेखा देबाक चाही।
8.	परियोजना कार्यक्रम आओर लागत अनुमान	<ul style="list-style-type: none"> ● निर्माण क संभावित तारीख आओर शुरूआत आओर पूरा होयबाक संभावित तिथि (परियोजना क लेल समय अनुसूची देबाक चाही) ● परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता क संदर्भ में विश्लेषण क संग अनुमानित परियोजना लागत
10.	प्रस्ताव के विश्लेषण (अंतिम पैरवी सब)	<ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्र में आदिवासी आबादी, अगर कोनो होय, के संगहि स्थानीय लोक सब के फायदा पर विशेष जोर देबाक संग वित्तीय आओर सामाजिक फायदा सब।

परिशिष्ट – XIII

प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन क प्रकटीकरण के लेल प्रारूप

1. मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्शी संगठन क नाम :
2. मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्शी संगठन का पता :
3. प्रत्यायन संख्या :
4. प्रत्यायन क क्षेत्र :
5. प्रत्यायन क प्रवर्ग (प्रवर्ग क के लेल पात्र/ प्रवर्ग ख के लेल पात्र) :
6. प्रत्यायन के विधिमान्यता (जाहि तिथि तक प्रत्यायन विधिमान्य अछि) :
7. ईआईए समन्वयक क नाम :
8. ईआईए रिपोर्ट के लेल भागीदारी के अवधि :
9. ईआईए समन्वयक हस्ताक्षर आओर तिथि:
10. ईआईए रिपोर्ट में मिलल कार्यात्मक क्षेत्र विशेषण सब हक विवरण

क्र० सं०	कार्य क्षेत्र	एफएई के नाम	एफएई के इनपुट्स/ सहभागिता (ईआईए रिपोर्ट क संग अंतर संदर्भ)	हस्ताक्षर और तारीख
1.	वायु प्रदूषण मानीटरी निवारण आओर नियंत्रण			
2.	मौसम विज्ञान, वायु गुणवत्ता प्रतिरूपण आओर अनुमान			
3.	जल प्रदूषण के			

	मानीटरी, निवारण आओर नियंत्रण			
4.	पारिस्थितिकी आओर जैव विविधता			
5.	हल्ला गुल्ला आओर कंपन			
6.	समाजिक- अर्थशास्त्र			
7.	जल विज्ञान, भूजल आओर जल संरक्षण			
8.	भूगर्भशास्त्र			
9.	मृदा संरक्षण			
10.	भूमि उपयोग			
11.	जोखिम मूल्यांकन आओर खतरा सबहक प्रबंधन			
12.	अन्य (विनिर्दिष्ट करुं)			

प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन क प्रमुख द्वारा घोषणा:

हम, एतद्वारा अहि बात क पुष्टि करई छी जे उपर्युक्त विशेषज्ञ सब मेसर्स के शीर्षक बला परियोजना क ईआईए रिपोर्ट तैयार केने छैथ या। हम इहो पुष्टि करई छी जे अहि

कथन में उल्लिखित कोनो भी भ्रामक जानकारी के लेल पूर्ण रूप सँ जवाबदेह हमर अछि ।

हस्ताक्षर एवं दिनांक


नाम:

पदनाम:

मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्शी संगठन क नाम


परिशिष्ट – XIV


पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अथवा पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा क लेल आवेदन सब के प्रसंस्करण क आरेखीय व्यपदेशन



परिशिष्ट – XV

अतिक्रमण मामल सबहक व्यवहारचर्याक आरेखीय व्यपदेशन





EIA के मौथिली भाषा में अनुवादिका

Mrs. Manju Jha

Advocate – On – Record

Patna High Court

Patna – 800 001

Mob.: 9931225371

9835261095

E-mail address- manju.jha54@gmail.com

Disclaimer:

ई हमर सौभाग्य आओर आदर अछि जे BSPCB हमरा EIA Notification केशमैथिली भाषा में अनुवाद करबाक अवसर प्रदान केलैथ। अपनाजन्य हम कतहूँ शुद्ध मैथिली लिखय में अथवा बूझय में गलती नहिं कयने छी, तथापित अगर कोनो अषुद्धि भय गेल होय तऽ, ताहि लेल क्षमा प्रार्थी।